लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८ २७—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६ ४७—७८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ७८—७९

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७९—८०

औचित्य प्रश्न के बारे में ८०—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८०—८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य ८३—८७

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य ८७—९०

डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ९०—९१

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक ९१—११५

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११२

खंड २ से २४ और १ ११३—११५

पारित करने का प्रस्ताव ११५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ११५

क संक्षेपिका ११६—२४

२—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७ १२५—४७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ १४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४	१६८—२३१
सभा पटल पर रख गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद्	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६–३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
प्रत्यर्पण विधेयक	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३७ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४–७५
राज्य सभा से सन्देश	३७५–७६
सदस्यों की गिरफ्तारी	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३७७—७८
भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव	३८१—९१
खण्ड २ से ४ और १	३९१
पारित करने का प्रस्ताव	३९१—९३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३९३—९९
दैनिक संक्षेपिका	४००—०९
अंक ४—गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ और १५५ १६	४११—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ और १६५ से १७१	४३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ और ३८७ से ४२२	४४२—७८
औचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७९
रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	४७९
सभा का कार्य	४७९—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—९०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४९०—९२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना	४९२—५१५
दैनिक संक्षेपिका	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७—१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य	६१८—१९
सभा का कार्य	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१–८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय पृष्ठ

अंक ६—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२ १०५१—७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२ १०७७—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . . १०९३—११५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक खेल संवादाता पर कथित आक्रमण . . . ११५२–५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५३–५४

रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . ११५४—८०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन . . . . ११८१—८२

विधेयक पुरस्थापित— ११८२–८३

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . . ११८२

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . . ११८२–८३

अस्पृष्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . ११८३—९१

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . . . ११९१—९३

विचार स्थगित किया गया

विचार करने का प्रस्ताव

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . ११९३—९५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ११९६—१२०५

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . .	१२०७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६	१२२२—४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९	१२४०—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२८४—८५
सदस्य की दोषसिद्धि	१२८५
सभा का कार्य	१२८५—८६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . .	१२८६—९३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . .	१२९३—१३०६
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
दैनिक संक्षेपिका	१३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक-सभा

शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२

१९ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

+

†*१७२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम ने अपना कार्य कब से आरम्भ किया ;

(ख) क्या उसका काय सिंचाई परियोजनाओं तक ही सीमित न रख कर उसे बढ़ाने का इरादा है ; और

(ग) क्या निजी ठेकेदारों को काम देने की आवश्यकता को दूर करने के लिये निगम के इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों की अपनी अलग पदाली होगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जनवरी, १९५७ से।

(ख) और (ग). जी, हां।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**: क्या सरकार इस निगम के ढांचे, गठन और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य की कुछ जानकारी देगी ?

†**श्री अलगेशन** : निगम का एक निदेशक मण्डल है जिसके सभापति श्री एल० एन० मिश्र हैं। मण्डल में केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों के कुल नौ निदेशक हैं। मोटे तौर पर निगम के संगठन का यह ढांचा है। मेरे पास एसोसियेशन का ज्ञापन और अन्तर्नियम हैं जो मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** : इस नयी प्रणाली से सिंचाई परियोजनायें पहले की अपेक्षा कितनी शीघ्रता से कार्यान्वित होंगी ?

†मूल अंग्रेजी में

1520 (Ai) LSD—1.

†**श्री अलगेशन** : कुछ राज्यों में अच्छे और अनुभवी ठेकेदार नहीं हैं । हमें ये नदी घाटी परियोजनायें कार्यान्वित करनी थीं और इसके लिये यह निगम अस्तित्व में आया चूंकि निगम बन गया तो उसने विशेषकर चम्बल घाटी परियोजना से सम्बन्धित कई लाख रुपये के कामों का ठेका ले लिया । निगम ने ये काम किये हैं और इन वर्षों में कुछ मुनाफा भी कमाया है ।

†**श्री हेडा** : मन्त्री महोदय ने भाग (ख) और (ग) का स्वीकारात्मक उत्तर दिया है । इस सिलसिले में निगम ने और कौनसे नये काम शुरू किये है ? क्या निगम के पास अगले वर्ष में ली जाने वाली परियोजनाओं का कोई कार्यक्रम है ?

†**श्री अलगेशन** : फिलहाल यह निगम केवल सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाओं का काम कर रहा है । निदेशक मण्डल की गत बैठक में यह निर्णय किया गया है कि निगम को निर्माण-कार्य भी लेना चाहिये । उन्होंने यह भी निर्णय किया है कि निगम को निर्माण-कार्य सम्बन्धी निगम के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या यह सच है कि निर्माण की सामग्री के अभाव के फलस्वरूप निगम की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई है और यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या सक्रिय कदम उठा रही है ?

†**श्री अलगेशन** : यह तो मैं नहीं कह सकता किन्तु यदि निगम हमसे कोई सहायता मांगे तो हम उसे सहायता देने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री उमानाथ** : क्या यह सच है कि यह निगम ठेका लेकर छोटे ठेकेदारों को काम सौंप देता है और यदि हां, तो क्या वह परियोजना के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच काम के हस्तान्तरण का अधिकरण है ?

†**श्री अलगेशन** : कभी-कभी छोटे-मोटे काम ठेकेदारों से कराये जाते हों लेकिन निगम दलाल के तौर पर काम नहीं करता ।

\+ **कर्णफुली बांध**

†*१७४. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
श्री दशरथ देव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने भारत को पूर्व सूचना दिये बिना पूर्व पाकिस्तान में कर्णफूली बांध बना लिया है और पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा क्षेत्र स्थायी रूप से जल-

†मूल अंग्रेजी में

मग्न हो गया है जिसके फलस्वरूप हमारी जनता को अत्यधिक कठिनाई हुई और उसे जलागम क्षेत्र छोड़ कर जाना पड़ा है ;

(ख) इस जलप्लावन से कितना क्षेत्र और कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालयों म राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) पूर्व पाकिस्तान में कर्णफूली बांध के निर्माण से पश्चिम बंगाल राज्य के किसी भाग के जलमग्न होने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नही होते ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है । मैंने इसके बारे में एक प्रश्न को सूचना भी दी है । बांध के निर्माण से पश्चिम बंगाल नहीं वरन् आसाम के कुछ क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं । क्या मैं इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि भारतीय क्षेत्र के जलमग्न होने की स्थिति में पाकिस्तान के साथ मुआवजा देने के बारे में करार किया गया था और चूंकि आसाम सरकार ने सवक्षण द्वारा सिद्ध कर दिया है कि भारतीय क्षेत्र जलमग्न होंगे तो इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री अलगेशन**: १९५९ में मन्त्री स्तर पर हुई बैठक में निर्णय किया गया था कि भारत को इस बांध के निर्माण के प्रति कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि जो क्षेत्र जलमग्न होंगे उनका संयुक्त सवक्षण किया जाये क्योंकि उस समय यह पता नहीं था कि कितना क्षेत्र डूब जायेगा और कितने व्यक्ति विस्थापित हो जायेंगे और उनके लिये क्या प्रबन्ध करना होगा । पाकिस्तान ने यह शर्त मान ली किन्तु संयुक्त सर्वेक्षण से पहले उसने बांध बनाना शुरू कर दिया और हमें अचानक सूचना दे दी कि बांध बना लिया गया है । बांध में पानी अपनी पूरी सतह तक नहीं पहुंचा तब भी आसाम के कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं । आसाम सरकार ने बांध के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये २१.५ लाख रुपये का अनुदान मांगा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन् मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता था कि क्या पाकिस्तान सरकार मुआवजा देने के लिये बचनवद्ध है । मैं चाहता हूं कि मुआवजा पाकिस्तान सरकार दे न कि भारत सरकार ।

†**श्री अलगेशन** : चूंकि बांध का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच हुये करार की शर्तों का उल्लंघन करके किया गया इसलिये हमने पाकिस्तान सरकार को सूचित कर दिया है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय अपचार किया है और वह इस सब नुकसान तथा अन्य परिणामों के लिये जिम्मेदार होगा । विस्थापित व्यक्तियों को जो मुआवजा दिया जायेगा और बांध के निर्माण से जो भी और हानि होगी उसका मुआवजा पाकिस्तान सरकार से मांगा जायेगा ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : पाकिस्तान सरकार ने बांध बनाकर जो अन्तर्राष्ट्रीय कदाचार किया है उसकी क्षतिपूर्ति की मांग करने की दिशा में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या इस सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ या पाकिस्तान सरकार से अथवा किसी अन्य स्तर पर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : हमते पाकिस्तान सरकार को सूचना दे दी है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि बाँध के निर्माण का पहला प्रक्रम करार का उल्लंघन कर के किया गया है भारत सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठा रही है कि जब तक पाकिस्तान सरकार मूआवज़े के बारे में हमसे बातचीत न कर ले तब तक वह बाँध के अन्य प्रक्रमों का निर्माण आरम्भ न करे ?

†**श्री अलगेशन** : बाँध में एक से अधिक प्रक्रम नहीं है । बाँध बन गया है, किन्तु पानी निर्धारित सतह तक नहीं आया है ।

†**श्री प्र० के० देव** : हमारा पिछला अनुभव बताता है कि पाकिस्तान करार की शर्तों को पूरा न करेगा । क्या सरकार ऐसे मामलों को और इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री अलगेशन** : इस सम्बन्ध में जो कुछ कार्यवाही सम्भव है उस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मन्त्री महोदय ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोई क्षेत्र जलमग्न नहीं हुए । किन्तु उस समय ढाका में टैक्निकल इंजीनियरों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र के जलमग्न होने की आशंका व्यक्त की गई थी और समाचारपत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल का काफी बड़ा क्षेत्र जलमग्न हुआ है । क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

†**श्री अलगेशन** : मेरा ख्याल है कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि पश्चिम बंगाल के कोई क्षेत्र जलमग्न न होंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुल कितनी भूमि जलमग्न हुई और कितने परिवार विस्थापित हो गये ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस सम्बन्ध में अनुमान के आधार पर ही कुछ जानकारी दे सकता हूं । यदि इस प्रश्न की अलग से सूचना दी जाये तो मैं सभा को जानकारी दे सकूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि कितने परिवार विस्थापित हुए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय ने सभा को जानकारी देने का आश्वासन दिया है।

प्रश्न संख्या १७५ और २१० के बारे म

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : श्रीमन्, इस प्रश्न के साथ प्रश्न संख्या २१० भी ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और मन्त्री महोदय को आपत्ति न हो तो वे इकट्ठे लिये जा सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अलगेशन** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जाये ।

दिल्ली म बिजली गुल होना

+

†*१७५. **श्री प्र० के० देव** :
श्री बसुमतारी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यलमन्दा रेड्डी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सु० भू० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त ।

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आमतौर पर बिजली की कमी रही है और विशेषकर बिजली अक्सर गुल हुई है ;

(ख) बिजली का सम्भरण कुशलतापूर्वक और नियमित रूप से करने के लिये क्या उपाय किये गये अथवा करने का विचार है ; और

(ग) बिजली का सामान्य सम्भरण पुनः कब से किये जाने की सम्भावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हाँ ।

(ख) दिल्ली में बिजली के सम्भरण की स्थिति में सुधार के उपाय सुझाने के लिये गत दिसम्बर में एक समिति की नियुक्ति की गई थी । समिति का प्रतिवेदन जल्दी ही प्राप्त हो जायेगा । समिति की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारियों से सुधार हेतु तुरन्त कदम उठाने के लिये कहा जायेगा ।

(ग) लगभग एक पखवाड़े में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली म बिजली का संकट

\+

*२१०. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० चं० बरुवा :
श्री बेरवा :
श्री हेम बरुआ :
श्री बागड़ी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५,००० किलोवाट बिजली की क्षमता वाले रोहतक रोड स्थित ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बिजली का संकट अधिक दिनों तक रहने की आशंका है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत में एक मास का समय लगेगा ;

(ग) एक अतिरिक्ति ट्रांसफार्मर तैयार क्यों नहीं रखा गया तथा आपातकाल में इस्तैमाल क्यों नहीं किया गया जबकि गत वर्ष इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था ;

(घ) यह कहाँ तक सत्य है कि दिल्ली बिजली सप्लाई संस्थान का जो ट्रांसफार्मर गत वर्ष जल गया था उसकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है ;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह भी सच है कि बिजली-संकट का प्रभाव पानी की सप्लाई पर भी पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विरण

२६ जुलाई, १९६२ को भाखड़ा-नंगल प्रणाली से दिल्ली को बिजली देने वाले पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड के रोहतक रोड के उपकेन्द्र में स्थापित ३८ एम० वी० ए, १३२/३३ के वी० के दो ट्रांसफार्मरों में से एक अचानक फेल हो गया । इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली को २५,००० किलोवाट बिजली कम मिलने लगी । पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड ने परीक्षण के लिए क्षति-ग्रस्त ट्रांसफार्मर को पृथक करने के लिए तुरन्त प्रबन्ध किए । इसके बाद विस्तृत परीक्षण से यह पता चला कि इसका एक भाग क्षति-ग्रस्त हो गया था । पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड को यह उम्मीद है कि यह ट्रांसफार्मर, मरम्मत के बाद, २५ अगस्त, १९६२ को पुनः चालू कर दिया जाएगा ।

गत वर्ष, दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम का कोई ट्रांसफार्मर नहीं जला था । पिछले अक्तूबर में, पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड का एक दूसरा ट्रांसफार्मर, जो कि इसी उपकेन्द्र में लगा हुआ था, फेल हो गया था । चूंकि पंजाब राज्य विद्युत् बोर्ड १०० एम० वी० ए, २२०/३३ के वी० के दो ट्रांसफार्मर लगा रहा था, जिन पर सारा कार्य अगस्त, १९६२ के अन्त तक पूरा होना अनुसूचित था, उनके पास कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं था जो कि अतिरिक्त रखा जा सके ।

जल सम्भरण के सम्बन्ध में, बिजली विद्युत् सम्भरण उपक्रम ने आवश्यक सेवाओं को, जिन में वाटर वर्क्स भी शामिल है, पूरी मात्रा में बिजली देने के लिये कदम उठाए हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : इस प्रश्न पर चर्चा के उत्तर में कल मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखते हुए, जो बहुत निराशाजनक है, सरकार को समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा और समिति को अपना प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा और यह पुरानी शिकायत कब तक दूर होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मन्त्री महोदय प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें।

†**श्री अलगेशन** : हम कई कदम उठा रहे हैं। रोहतक रोड पर ट्रांसफार्मर की खराबी के प्रश्न की जाँच के लिये एक समिति हाल में नियुक्त की गई है। दिल्ली में बिजली के असफर गुल होने और स्थिति में सुधार के उपाय सुझाने के लिये एक समिति पिछले वर्ष नियुक्त की गई थी। उसका प्रतिवेदन हमें जल्दी ही प्राप्त हो जायेगा।

जहाँ तक उठाये जा रहे कदमों का सम्बन्ध है मैं सभा को बता दूं कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अधिकारी रोहतक रोड के ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। वे उसकी मरम्मत और उसका परीक्षण कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का तेल सुखा देना पड़ता है जिसमें दो सप्ताह से कम नहीं लगेंगे। फिर भी वे इस ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी कार्यक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि यह ट्रांसफार्मर इस महीने की २० तारीख तक काम करने लग जायेगा।

उपरोक्त अधिकारी एक और कदम उठा रहे हैं। वे १०० एम० वी० ए के दो ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। पिछले साल जो ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसकी मरम्मत में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड शिथिल रहा है क्योंकि उसे विश्वास था कि इस महीने के अन्त तक ये दोनों ट्रांसफार्मर लगा दिये जायेंगे और दिल्ली की आवश्यकता पूरी हो जायगी। इसलिये यह काम भी साथ-साथ चल रहा है और हमें आशा है कि २५ अगस्त से पहले वह पूरा हो जायेगा।

नंगल से एक १० एम० वी० ए ट्रांसफार्मर लाया गया है जो लगाया जा रहा है।

पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ट्रांसफार्मर की स्थिति को ठीक करने के लिये ये सब कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि पुर्जों के लिये आयात लाइसस गत सितम्बर में माँगे गये थे जो हाल में दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय ने इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये वित्त मन्त्रालय से कुछ कहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सब बातें कल चर्चा के दौरान कही जा चुकी हैं।

†**श्री त्यागी** : श्रीमन्, लाइसेंस के लिये आवेदन किया गया था और लाइसेंस देने में विलम्ब क्यों हुआ यह बात कल नहीं कही गई थी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : श्रीमन्, कल इन सब बातों का उत्तर नहीं दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मन्त्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अलगेशन** : जी, हाँ। यह सही नहीं है कि लाइसेंस गत सितम्बर में माँगे गये थे और वे अब जाकर दिये गये। किन्तु, एक बार पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के सभापति ने सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय से विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिये कहा था जो पुर्जों के लिये आयात के लिये आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की गयी और विदेशी मुद्रा दिलाई गयी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कब ?

†**श्री अलगेशन** : मुझे तारीख तो ज्ञात नहीं किन्तु जून या जुलाई में विदेशी मूद्रा दिलायी गयी थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कल बताया गया था कि पंजाब सरकार ने विदेशी मुद्रा माँगने में देर कर दी। क्या विलम्ब उससे हुआ था या यहाँ केन्द्रीय सरकार से ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इसके लिये किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहता।

†**श्री त्यागी** : समाचार पत्रों ने इस सम्बन्ध में प्रचार किया है जिसका खण्डन आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रश्न पूछने की अनुमति / उत्तर जैसा भी है उसमें मैं क्या कर सकता हूं।

†**श्री अलगेशन** : आयात लाइसेंस .....

†**श्री रघुनाथ सिंह** : स्पीकर साहब ने जो सवाल पूछा उसका कोई उत्तर आप देंगे या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं।

†**श्री अलगेशन** : मैं इस सम्बन्ध में जितनी तारीखें हैं उनकी सूची सभा पटल पर रख सकता हूं। इसके बाद माननीय सदस्य स्वयं देख सकते हैं कि विलम्ब कहाँ हुआ और गलती किस की है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : केन्द्रीय सरकार ने और विशेषकर केन्द्रीय सिंचाई और विद्यूत् मन्त्रालय ने बिजली के सम्भरण की कठिनाई को दूर करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये क्योंकि इस मन्त्रालय ने कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है ? मन्त्रालय ने क्या कदम उठाये और किस कानून के मातहत ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक है। इसके अलावा प्रश्नकाल के बाद इस विषय को लिया जाने वाला है।

†**श्री प्र० के० देव** : पंजाब सरकार द्वारा किये जाने वाले सम्भरण पूर्ण रूप से निर्भर रहने के बजाय बिजली पैदा करने के लिये और क्या व्यवस्था की जा रही है ? सरकार का कर्तव्य है....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ चुके हैं।

†**श्री अलगेशन** : जो कदम उठाये जा रहे हैं उनके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। भाप से बिजली पैदा करने वाला एक ३० एम० डब्ल्यू० बिजलीघर बन रहा है। इसका निर्माण दिसम्बर, १९६३ तक पूरा हो जायेगा। १५ एम० डब्ल्यू० बिजलीघर १९६४ तक और १९६५–६६ तक दो ५०–६० एम० डब्ल्यू० बिजलीघर बन जायेंगे, पंजाब की भाखड़ा-नंगल

†मूल अंग्रेजी में

प्रणाली से सितम्बर अक्तूबर, तक १२,००० किलोवाट बिजली मिलने लगेगी। ट्रांसफार्म बिगड़ जाने से ४८,००० किलोवाट बिजली कम हो गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमन्, हम और जानकारी प्राप्त करना चाहते थे इसलिये हम ने इस प्रश्न की सूचना दी। कल के वाद-विवाद से हमें सन्तोष नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल के बाद कई प्रस्ताव लिये जायेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि हम केवल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक ही प्रश्न को, वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, पन्द्रह मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : श्रीमन्, दो प्रश्न एक साथ लिये गये हैं।

किसानों को प्रोत्साहन

\+

†*१७६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पैकेज प्रोग्राम' के क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के किसानों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ग) क्या उन किसानों पर जो 'पैकेज प्रोग्राम' क्षेत्र से बाहर हैं किन्तु उस के विरोधी हैं, 'पैकेज प्रोग्राम' का कोई प्रभाव है ; और

(घ) यदि हां, तो किसान किस प्रकार के प्रभाव का अनुभव करते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६]**

†**श्री सं० चं० सामन्त** : क्या माननीय मंत्री को सूचना मिली है कि कुछ अखिल भारतीय उपाधिधारी, अन्यथा जिन्हें 'कृषि पंडित' कहा जाता है, जिन्हों ने अपनी किसी भूमि में गहन खेती है, उन से समूची सम्पदा के लिये आयकर लिया जाता है जबकि वे सभी जमीनों में गहन खेती नहीं करते हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : : हां । हाल में जबकि मैं बंगाल में था, एक किसान ने मुझे इस बारे में बताया था । मैं ने वहां के प्राधिकारियों से इस मामले की जांच करने का निवेदन किया था । उन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने की कोशिश करूंगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से विदित होता है कि प्रमाणपत्र तथा उपाधि दे कर प्रोत्साहन दिया जाता है । जहां 'कृषि पंडित' नामक प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं, वहां सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है । अनेक मामलों में 'कृषि पंडित' की उपाधि नहीं दी गई है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : वस्तुतः, दो प्रणालियां हैं । एक फसल स्पर्धा की है और दूसरी सामुदायिक उपाधि की । फसल स्पर्धा चार अवस्थाओं में की जाती है---एक ग्राम आधार पर, दूसरी खंड आधार पर, तीसरी जिला आधार पर और चौथी राज्य आधार पर । पांचवीं अखिल भारतीय आधार पर होती है । गांवों के बारे में हमें खण्डों के माध्यम से रिपोर्ट मिलती है और हमें रिपोर्ट खण्डों के उपायुक्त से प्राप्त होती है । राज्य स्पर्धाओं की रिपोर्ट हमें सीधे मिलती है । जहां तक अखिल भारतीय उपाधि का सम्बन्ध है स्वयं हम स्पर्धा आयोजित करते हैं और सभी राज्य इस में भाग लेते हैं । जिन स्पर्धाओं में कुछ खण्ड या जिले भाग लेते हैं, उन का आयोजन राज्य सरकारें करती हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि पैकेज प्रोग्राम के खेतों के अलावा दूसरे किन किन क्षेत्रों में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की इस वर्ष के लिये या आगामी वर्ष के लिये क्या योजना है ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में सारे देश भर के लिये योजना है और किसानों को सहायता दी जाती है । पैकेज और दूसरी सहायता में केवल अन्तर इतना है कि पैकेज डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन की संख्या इस समय १५ है, किसानों को जो मदद दी जाती है वह उन के फार्म प्लान के मुताबिक दी जाती है, और जो नान-पैकेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन में साधारण रीति से, जो पहले से चली आ रही है, सहायता दी जाती है । इंसेक्टीसाइड्स, डस्टर्स और स्प्रेअर्स के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से २५ पर सेंट सबसिडी दी जाती है । दूसरे फासफेटिक फरटीलाइजर्स के बारे में भारत सरकार की ओर से २५ पर सेंट सहायता दी जाती है । लेकिन इस २५ पर सेंट में से आधा राज्य सरकार वहन करती है । तीसरी सहायता हम सरफेस वैल्स के लिये देते हैं । इस में भी २५ परसेंट सहायता दी जाती है और यह सहायता हर प्रकार के किसान को दी जाती है चाहे वह पैकेज डिस्ट्रिक्ट का हो या नान पैकेज डिस्ट्रिक्ट का । चौथे हम लोग इम्प्रूव्ड इम्पलीमेंट्स के लिये भी सहायता देते हैं । इस के अलावा तीन प्रकार के ऋण दिये जाते हैं, स्वल्प अवधि के लिये, मध्यम अवधि के लिये और दीर्घ कालीन ऋण । इन के लिये भी हम मदद देते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे---

अध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे स्टेटमेंट के बाद तो शायद और पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री पु० र० पटेल** : राज्यों तथा संघ सरकार द्वारा दिये गये अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपबन्धित प्रोत्साहन, अर्थात न्यूनतम भुगतानात्मक मूल्य कृषकों को दिया जाता है । यदि यह नहीं दिया जाता है, तो वह प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : वस्तुतः इस बारे में हाल में घोषणा की गई थी कि गेहूं का मूल्य १३ रु० मन से नीचे नहीं गिरने दिया जायेगा ।

†**श्री पु० र० पटेल** : प्रश्न यह नहीं है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में योजना निर्माताओं ने कहा है कि न्यूनतम मूल्य लाभप्रद होना चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह अभी निर्धारित नहीं किया गया है, परन्तु ऐसा ही करने का प्रयास किया जायेगा । पहिली कार्यवाही यह की गई है कि गेहूं का निम्नतम मूल्य १३ रु० मन निर्धारित किया गया है । हम देखेंगे कि अन्य फसलों के भी ऐसे मूल्य निर्धारित किये जायें ।

श्री राम सेवक यादव : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को सहायता नहीं मिलती । जो भूमिधर हैं उन को सहायता मिलती है और जो सीरदार हैं, जिन की संख्या ज्यादा है, उन को सहायता नहीं दी जाती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं पता लगाऊंगा उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से और निवेदन करूंगा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या मंत्री महोदय को यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को भी क्राप कम्पिटीशन में इनाम दिये गये हैं जो डिजर्व नहीं करते । उन्हों ने जालसाजी कर के इनाम हासिल किये हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर इस के बारे में प्रश्न कर्ता महोदय कोई ठोस उदाहरण देंगे तो मैं उस की जांच कराऊंगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात का ध्यान रख कर कि कृषि उत्पादन दल ने वर्ष १९६५-६६ के लिए ११ करोड़ टन का लक्ष्य निर्धारित किया है और योजना में यह लक्ष्य १० करोड़ टन रखा गया है, क्या दिये जाने वाले प्रोत्साहन १० करोड़ टन के लिये होंगे या ११ करोड़ टन के लिए ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु हमारा प्रयास इस में यथासंभव वृद्धि करते का होगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या यह दर्शाने के लिये सरकार के पास कोई जानकारी है कि 'पैकेज प्रोग्राम' क्षेत्रों में परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वस्तुतः 'पैकेज प्रोग्राम' जिलों में, जिन का मैं ने भ्रमण किया है, मैं ने परिणामों को उत्साहवर्धक पाया है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों की कोई विशेष एजेन्सी है जो समय समय पर 'पैकेज प्रोग्राम' क्षेत्रों में प्रगति तथा गतिविधि का मूल्यांकन करती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमारे पैकेज दल नियमित रूप से यह कार्य कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल गुप्त** : प्रश्न संख्या २०६ भी लिया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेंड परियोजना

†*१७७. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेंड परियोजना ने एक लाख किलोवाट बिजली का निर्माण आरम्भ कर दिया है जैसाकि उस के बारे में अनुमान था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे और अलुमीनियम कारखाने द्वारा बिजली का अपना पूरा कोटा लिया जा रहा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निवेदन किया गया था कि प्रश्न संख्या २०६ भी लिया जाये ।

†**श्री अलगेशन** : मैं इस का भी उत्तर दूंगा ।

दामोदर घाटी निगम के लिए रेंड की बिजली

†*२०६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम को रेंड की फालतू बिजली का कुछ भाग देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किये गये प्रबन्धों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों ने अपने उद्योग क्षेत्रों में बिजली की संकटमय स्थिति को ध्यान में रखते हुए नये प्रस्ताव भेजे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान । रेंड ह्यांध परियोजना दामोदर घाटी निगम को अस्थायी आधार पर १०० प्रतिशत 'लोड फैक्टर, पर २० मेगावाट बिजली दी जायेगी । उत्तर प्रदेश में मांग में निरन्तर वृद्धि होने के कारण १-११-१९६३ को यह मात्रा घट कर ५ मेगा वाट रह जायेगी । १-४-१९६४ से बिजली का दिया जाना बन्द हो जायेगा ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

श्री बिशनचंद्र सेठ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को इससे बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए और एक लाख किलोवाट बिजली पैदा करना चाहिए था । अभी मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया "नो" । इस "नो" का मैं क्या मतलब समझूं ? क्या अभी तक बिजली बनना ही शुरू नहीं हुआ हैं ?

†**श्री अलगेशन** : पांचों संयंत्र चालू होने के लिए तैयार हैं । वे लग गये है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि कुछ नहीं बन रहा ।

†**श्री अलगेशन** : नहीं । लगभग ४७ मेगावाट बिजली बन रही हैं । जिसका अर्थ है ४७,००० किलोवाट । इन में से २४,००० किलोवाट बिजली हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारखाना प्रयोग कर

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है । उन्हें ५० मेगावाट का विद्युत खण्ड नियत किया गया है । बाकी बिजली वे शीघ्र ही ले लेंगे । दूसरा उपभोक्ता रेलवे है । रलवे को बिजली बिहार विद्युत संभरण बोर्ड देगा । बोर्ड बिजली रेंड से लेकर उन्हें देगा । उन्होंने प्रेषण व्यवस्था पूरी नहीं की हैं । उनका विचार सितम्बर तक इ सेपूरा करने का हैं । तब, रेलवे १०·५ मेगावाट बिजली लेगी ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को जितने समय में पूरा होना चाहिये था उतने समय में यह पूरा क्यों नहीं हुआ और इससे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कितना बड़ा लास हो रहा हैं क्योंकि जहां उसको एक लाख किलोवाट बिजली डिस्ट्रिब्यूट करनी चाहिए थी वह इस समय केवल ४६ हजार किलोवाट ही डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस देरी का क्या कारण है ?

†**श्री अलगेशन** : क्योंकि उपभोक्ता बिजली लेने को तैयार नहीं है । दो बड़े उपभोक्ता, अर्थात् एल्यूमिनियम कारखाना और रलवे आजकल बिजली नहीं ले रही हैं ।

†**एक माननीय सदस्य**: उपभोक्ता कौन है ?

†**श्री अलगेशन** : विद्युत क्षमता का विकास होने में कुछ समय लगता हैं । उपभोक्ताओं की व्यवस्था भी तैयार नहीं हैं । कुछ छोटे स्टेशन पूरे होने हैं । ये कारण हैं ।

बाकी उपबन्ध विद्युत के बारे में हमने व्यवस्था की है कि वे दामोदर घाटी निगम ग्रिड को २० मेगावाट बिजली ३१ मार्च, १९६३ तक गे और यह मात्रा निरन्तर कम होती रहेगी और वर्ष १९६४ के आरम्भ में समस्त विद्युत क्षमता का प्रयोग होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह अवस्थित कमी, जो वर्ष १९६३ और १९६४ में दामोदर घाटी निगम ग्रिड को रेंड विद्युत के परिवर्तन में होगा, सरकार द्वारा सूत्रबद्ध की जायेगी और साथ ही अन्य कार्यवाही की जायेगी ताकि दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में वहां की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त बिजली पैदा की जायेगी ?

†**श्री अलगेशन** : हां, श्रीमान । यही स्थिति हैं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच हैं कि पांचों विद्युत जनक यंत्र वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग किये जाने के लिए कुछ समय से तैयार हैं, परन्तु उपभोक्ताओं को विद्युत नहीं दी जा रही है क्योंकि ग्रिड के कुछ मुख्य छोटे स्टेशन पूर नहीं हुए हैं ?

†**श्री अलगेशन** : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बिहार बंगाल कोयला क्षेत्रों का दामोदर घाटी निगम ग्रिड से उपलब्ध होने वाली बिजली का अवस्थित प्रोग्राम क्या है, जिसके बिना उत्पादन न हो सकेगा ? हम रेंड परियोजना को बिजली अवस्थाओं में लेना अब बन्द करेंगे, दामोदर घाटी निगम को उपलब्ध होने वाली बिजली की क्या अवस्थायें है ?

†**श्री अलगेशन** : आजकल जो विद्युत रेंड से दी जायेगी, वह कोयला खानों में प्रयोग होगी ; और वह वर्ष १९६४ तक समाप्त हो जायेगी जब कि स्वयं दामोदर घाटी निगम बिजली दे सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न विशिष्ट था । मैं दामोदर घाटी निगम ग्रिड को मिलने वाली बिजली की कमी का निश्चित प्रोग्राम और यह जानना चाहती थी कि दामोदर घाटी निगम अतिरिक्त विद्युत की पूर्ति कैसे करेगा जो कि उ रेंड की बिजली मिलना बन्द होने पर देनी पड़ेगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । मेरी माननीय मित्र दामोदर घाटी निगम का प्रोग्राम जानना चाहती हैं । यह अभी मेरे पास नहीं है । यदि विशिष्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : जब कि उत्तर प्रदेश राज्य, विशेषकर बुन्देलखंड में पहले से ही बिजली का अति अभाव है, तो इन दो उपक्रमों को रेंड की बिजली क्यों दी गई ? मैं १ लाख किलोवाट बिजली के उपलब्धि होने की भी तारीख जानना चाहती हूं और वह लक्ष्य क्यों पूरा नहीं किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

†**श्री अलगेशन** : रेंड की बिजली उत्तर प्रदेश से और कहीं भेजने का प्रश्न नहीं है । अब भी, यह मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों को बिजली दे रहा है । बात यह है कि स्वयं उत्तर प्रदेश में 'लोड' का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, और ऐसे समय तक यह बिजली भेजी जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

रेलवे संगठन में डिवीजन

+

†*१७८. **श्री प्रिय गुप्त :**
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संगठन के डिवीजन रेलवे की कुशलता और रेलों की कुशलता से चलाने में प्रभावी सिद्ध हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में डिवीजन की यह प्रणाली पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे में लागू करने का इरादा हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) बड़ी रेलों के लिए डिवीजनल व्यवस्था उपयुक्त हैं ।

(ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे में डिवीजनल व्यवस्था आरम्भ की जा रही है । आजकल उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर डिवीजनल व्यवस्था आरम्भ करने का विचार नहीं हैं क्योंकि ये रेलें जिला प्रणाली पर चलाने के लिए बहुत छोटी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में खण्डीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी तक एक और खण्ड का निश्चय नहीं हुआ है, और यदि नहीं, तो यह निश्चय कब होगा, और .....

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अधिक 'और' का प्रयोग नहीं होना चाहिये ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : फिर तो आप बुलाइयेगा नहीं ।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : दक्षिण पूर्व रेलवे का खण्डीकरण हो रहा है । दक्षिण पूर्व रेलवे पर सात खण्ड बनाने का विचार है । पांच खण्ड सुपरिन्टेन्डेन्ट पदस्थ है । नागपुर और वाल्टायर के लिए दो खण्ड सुपरिन्टन्डेन्ट वर्ष के अन्त तक पद ग्रहण कर लेंगे ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : प्रशासी तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी बढ़ गई है, और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हुई है । एवं क्या इसके परिणामस्वरूप उनकी वरिष्ठता तथा पदोन्नति के अवसरों पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने तथा शिकायतों को समाप्त करने के लिए संघों के परामर्श से या अन्य किसी रूप में क्या उपाय किये जायेंगे ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कमी होने का कोई प्रश्न नहीं है । क्या प्रशासन में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या में कोई वृद्धि होगी या नहीं, इसके लिए मैं अलग सूचना चाहता हूं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय सेवा की शर्तें नहीं बताई जा सकतीं । कृपया आप बैठ जायें ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : हां, मैं बैठ जाऊंगा । परन्तु यदि संसद में हमें उत्तर नहीं मिलता, तो इसका फ़ायदा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री जी ने कहा है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के कई खण्ड होंगे । क्या इस खण्डीकरण में कोई वित्तीय प्रश्न भी शामिल हैं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : निश्चय ही, वित्तीय संभाव्यता होगी । कुछ स्थानों पर, खण्डीय मुख्यालय बनाने होंगे । बड़ी संख्या में क्वार्टर, आदि बनाने होंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा था कि डिवीज़नल व्यवस्था बड़े क्षेत्रों में आरम्भ की गई है । जब मूल रूप में क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण हुआ था, उस समय क्या दक्षिण रेलवे आकार में छोटी थी ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : दक्षिण पूर्व रेलवे बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे हैं । यह कभी भी छोटा क्षेत्र न था । इसे सदैव ही बड़ा क्षेत्र माना गया है । परन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर इस्पात कारखाने जैसी कुछ बड़ी परियोजनायें बन रही थीं । इस्पात कारखानों को माल ले जाने की व्यवस्था करने के कारण बड़े बड़े कार्य हो रहे थे । यदि हम उसके खण्ड बनाते, तो

†मूल अंग्रेजी में

हमें शंका थी कि उन कार्यों में बाधा उत्पन्न होती। यही कारण है खण्ड बनाना स्थगित कर दिया गया।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या किये गये पुनर्गठन से रेलों की कार्य-क्षमता में सुधार होगा, विशेषकर रेलगाड़ियों के समय पर चलने में ? फिर, दुर्घटनाओं से बचने में इससे रेलों को कहां तक सहायता मिलेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : कार्यकुशलता तथा रेलगाड़ियों के उत्तम ढंग से चलने के लिए डिवीजनल व्यवस्था अधिक उत्तम है।

†**श्री प्र० के० देव** : डी० बी० के० लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में दक्षिण पूर्व रेलवे पर बड़े निर्माण कार्य आरम्भ किये गये है। इन डी० बी० के० लाइनों को पूरा होने पर और अधिक डिवीज़न बनेंगे। दक्षिण पूर्व रलवे के सात विद्यमान डिवीज़नों के अलावा क्या सरकार कोई और डिवीज़न बनाने का विचार कर रही हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि संचालन सम्बन्धी कारणों से ऐसा करना आवश्यक होता है, तो संभव है कि हमें अन्य डिवीज़न बनाने पर विचार करना पड़े।

श्री प० ला० बारूपाल : क्या मैं जान सकता हूं कि बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और अहमदाबाद मीटरगेज रेलवेज़ का एक अलग ज़ोन बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अलहदा चीज़ है।

श्री शाहनवाज खां : यहां तो साउथ ईस्टर्न की बातचीत चल रही है।

†**श्री भगवत झा आज़ाद** : डिवीज़नल व्यवस्था की कथित प्रगति जान कर, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केवल क्षत्र ही एक सीमा है या अन्य कठिनाइयां भी हैं जो उत्तरपूर्व रेलवे और उत्तर सीमा रेलवे पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुकूल नहीं समझी गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुख्य विचार कार्य-भार का होता है। उत्तर-पूर्व और उत्तर सीमा रेलवे पर कार्य-भार इतना नहीं है जिससे डिवीज़न व्यवस्था लागू करना आवश्यक हो।

हुगली में पाइलट

+

†*१७९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली के पाइलटों को मई, १९६२ में दिये गये आश्वासन जिसके आधार पर उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी थी पूरे किये गये हैं;

(ख) क्या उनकी शिकायतों के बारे में एक और जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २१ मई, १९६२ को लोक सभा में मैंने जो वक्तव्य दिया था उस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। हुगली के पाइलटों को, १९ मई को अपने काम को चालू करने से पहले शर्त के तौर पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सही है या नहीं कि यद्यपि कोई औपचारिक आश्वासन न दिया गया हो, सरकार ने बताया था कि वे पत्तन आयुक्तों के अधीन उनके प्रशासन होने के सम्बन्ध में उनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंग और उनको इस विषय में संतुष्ट करने के लिये किसी प्रकार के समझौते वाली व्यवस्था की जायेगी । क्या ऐसा कोई समझौता किया गया है और उसका स्वरूप क्या है ?

†**श्री राजबहादुर** : इस सम्बन्ध में मैं अपने वक्तव्य का निम्न भाग दोहराता हूं :

> "कलकत्ता पत्तन में विविध समुद्रीय सेवाओं के बीच उचित समन्वय लाने तथा अच्छ सम्बन्ध कायम रखने के लिये और चारों ओर अधिक कुशलता बढ़ाने के लिय सरकार कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के परामर्श के साथ पत्तन की समुद्रीय सेवाओं का पुनर्गठन करने के प्रश्न की जांच करने का विचार करती है ।"

मैं समझता हूं इससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस पुनर्गठन का क्या हुआ है ? क्या इस दिशा में कोई कार्रवायी की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के सभापति ने इस प्रश्न पर पहले ही विचार किया है। वह संसार के विविध बड़े पत्तनों के विभिन्न ढांचों का अध्ययन करने में लगा हुआ है और यह करने तथा पत्तनों आयुक्तों के साथ परामर्श करने के पश्चात् वह अपने प्रस्ताव या सिफारिशें सरकार को पेश करेगा और सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा पत्तन आयुक्तों के परामर्श से निर्णय करने का विचार करती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पाइलटों और विमान आयुक्तों के बीच १९४८ के करार की विवादास्पद कंडिका (ठ) का निर्वचन के लिये उच्च न्यायालय या किसी बड़े व्यक्ति को उल्लेख किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : यह हमेशा के लिय समाप्त कर दिया गया है और इसे उच्च न्यायालय या और किसी को भेजने का सवाल नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही नहीं है कि १९४८ में हुगली के पाइलटों को एक निश्चित आश्वासन दिया गया था जब कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने इस बदरगाह पाइलट सेवा को अपने हाथ में लिया था कि सेवा के अन्य कक्षों में वेतनों और भत्तों के बढ़ जाने की अवस्था में हुगली के पाइलटों के मामले पर भी विचार किया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम मई, १९६२ की बात कर रहे हैं न कि १९४८ में दिये गये आश्वासन की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : विवाद को समाप्त करने के लिये मैं कहूंगा कि इस प्रश्न पर विशेष रूप से विचार किया गया था और पाइलटों ने उस स्थिति को स्वीकार किया जो सरकार ने उनके सामने रखी थी कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता और यह हमेशा के लिय समाप्त कर दिया गया है ।

विमान दुर्घटनायें

+

†*१८०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोइंग विमानों की कई दुर्घटनाओं पर ध्यान दिया है और जेट विमानों को काम में लाने के अपने निर्णय पर कुछ विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में विमान खरीदने के बारे में हमारा क्या कार्यक्रम है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अहमद मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां । बोइंग और अन्य विमानों सम्बन्धी सब घटनाओं और दुर्घटनाओं की कड़ी निगरानी की जाती है । बोइंग ७०७ की विविध दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आज तक की गई प्रविधिक जांच से यह पता चला है कि अमरीकी सरकारी प्राधिकारियों तथा बोइंग विमान कम्पनी के मतानुसार कोई खास न्यूनता नहीं है । वर्तमान जेट विमान को बदलने के बारे में विचार करने का कोई प्रश्न इस स्तर पर पैदा नहीं होता ।

(ख) भविष्य में क्रय करने का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप में तै नहीं हो पाया ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्रालय ने किन रिपोर्टों के आधार पर दुर्घटनाओं की जांच की है और पिछले छः महीनों में बोइंगों की दुर्घटनाओं की लड़ी के मुख्य कारण क्या थे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पिछली चार दुर्घटनाओं की अभी जांच संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है । पिछली दो दुर्घटनाएं तो मई और जून में ही हुई हैं । पहली दुर्घटना के बारे में कहा गया था कि विमान में विध्वंसन द्वारा विस्फोट हुआ था और दुर्घटना का कारण यही था ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें से चार की जांच अभी जारी है, क्या मंत्रालय इन रिपोर्टों की पूर्ण जांच के पश्चात् ही इन बोइंग विमान की खरीद का अपना कार्यक्रम अन्तिम रूप में तय करेगी, क्योंकि इस का विमान यातायात पर बहुत गहरा बुरा असर पड़ चुका है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं पहले ही सभा को आश्वासन दे चुका हूं कि विमान में कोई बड़ी न्यूनता नहीं है । जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें कोई साझी बात नहीं है । जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है, कि हम इन रिपोर्टों की जांच बड़ी सावधानी से करेंगे, यह किया जा रहा है । मैं इस सुझाव के लिये उन को धन्यवाद देता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** इस बात की दृष्टि से कि १५-२-६१ और २२-६-६२ के बीच जो ५ दुर्घटनाएं हुई हैं, ४१६ व्यक्ति मारे गये, क्या सरकार यह नहीं समझती कि इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि क्या कुछ निश्चित मील की यात्रा करने के पश्चात् इन बोइंग ७०७ की धातु को विशेषकर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है और हमें कोई खरीद करने से पूर्व सुरक्षा के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिये ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** श्री माथुर ने यही बात पूछी है । मैंने बताया है कि विभिन्न दुर्घटनाओं में कोई एक बड़ा साम्य कारण नहीं था । (**अन्तर्बाधाएं**) और हमें आश्वासन दिया गया है कि ढांचे में कोई त्रुटि अभी तक नहीं पाई गई । यद्यपि अभी तक रिपोर्टें नहीं आईं, हमें निर्माताओं तथा अन्य लोगों ने आश्वासन दिया है कि संरचना सम्बन्धी त्रुटि कोई नहीं है ।

जहां तक विमानों में पूर्णतया वायु में उड़ सकने योग्य अवस्था में रखने तथा पाइलटों को स्वस्थ रखने का सम्बन्ध है, मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे विमान चालक और मरम्मत तथा संधारण बहुत उत्तम हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या हमारी सरकार उन सरकारों द्वारा की गई जांच पर निर्भर करती है, जहां दुर्घटनाएं हुई हैं या क्या वह स्वयं इस बात की तसल्ली करेगी कि जैसा अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि कोई खराबी नहीं है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** हमें अन्य जांच पर निर्भर रहना पड़ता है जो समूचे विश्व में होती हैं किन्तु निस्संदेह हमें यह देखना पड़ता है कि रिपोर्ट की जांच बड़ी सावधानी से की जाती है और यह देखना पड़ता है कि निष्कर्षों में कोई त्रुटि न रही हो । इस बात का परीक्षण हम करते हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुखर्जी :** क्या यह सही है कि बोइंग का संभवतः अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है, और इसलिये हमें बोइंग की अधिक दुर्घटनाएं सुनाई पड़ती हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह सही है कि इस का सर्वाधिक उपयोग होता है और इस समय जेट विमानों में इनकी संख्या सर्वाधिक है ।

श्री तुलसी दास जाधव : बोइंग्ज़ के जो एक्सीडेंटस होते हैं, उन के कारण उन को चेंज करने का प्रश्न उठाया गया है । क्या इस बात का पता लगाया गया है कि उन एक्सीडेंट्स के कारण क्या हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : उन एक्सीडेंट्स के कारण अभी पूरे मालूम नहीं हुए हैं । वे तो थोड़े दिन बाद मालूम होंगे ।

†**श्री उमानाथ :** क्या सरकार को **नारा** की रिपोर्ट का पता है, जिसने इस प्रश्न पर विचार किया था और यह बताया था कि उसमें संरचनात्मक त्रुटि है कि एक पिन की कमी के कारण नट ढीला हो गया, और क्या सरकार ने निर्माताओं को कोई हिदायत जारी की है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** सरकार निर्माताओं को कोई हिदायत जारी नहीं करती, अपितु निर्माता रिपोर्ट प्राप्त होने से ही पहले इन विविध दुर्घटनाओं का अध्ययन करते हैं और वे उपभोक्ताओं को मंत्रणा देते हैं कि किसी आकस्मिकता के लिये अमुक परिवर्तन किये जाने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रजी में

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये फ्रांस के "कैरावेल" विमान

+

†*१८१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मुख्य मार्गों पर फ्रांस के "कैरावेल" विमान चलाने की योजना बनाई है ;

(ख) क्या प्रादेशिक मार्गों पर 'वायकाउण्ट' और 'फोकर फ्रैंडशिप' विमानों को धीरे धीरे काम में लाकर 'डकोटा विमानों' को लगभग पूर्णतया हटा देने का भी इरादा है ; और

(ग) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, यातायात प्रवृत्ति का, विशेषकर मुख्य मार्गों पर अध्ययन करने का पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचीहै कि उनको मुख्य मार्गों पर बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये वाइकाउण्ट की अपेक्षा बड़ विमान की आवश्यकता है। इस समय उपलब्ध विभिन्न जेट विमानों का अध्ययन करने के पश्चात्, निगम ने सरकार को तीसरी योजना अवधि में ९ करोड़ रुपये की लागत से ४ कैरावेल बी० आई० एन० विमान खरीदने के लिये, और चौथी योजना के प्रारम्भ में ६ करोड़ रुपये की लागत पर ३ और विमान खरीदने के विकल्प के साथ, प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है। निगम का इरादा यह है कि जब कभी विमान मुख्य मार्गों के लिये अधिग्रहण किये जाएं, तो वाइकाउण्टों को बड़े प्रादेशिक मार्गों पर चलाया जाए।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या निगम ने फ्रांसीसी कैरावीलन की खरीद के लिये कोई क्रमित कार्य क्रम तैयार किया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** जैसा कि मैंने बताया है कि क्रमित कार्यक्रम यह है कि हमें अब चार के लिये आर्डर देना चाहिये यदि सरकार इस योजना का अनुमोदन करती है और यदि विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। चौथी योजना में, हमें तीन की आवश्यकता होगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या हम अपने जेट विमानों का अपने प्रादेशिक मार्गों के लिये उपयोग करेंगे और यदि हां, तो डकोटों को बदलने का क्या कार्यक्रम होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं बता चुका हुं कि तेरह वाइकाउण्ट जो वहां हैं फालतू हो जायेंगे जब हमें मुख्य मार्गों के लिये जट विमान मिल जायेंग। उनको बड़े प्रादेशिक मार्गों पर चलाया जाएगा। छोटे मार्गों के लिय हमने पहले ही पांच फोकर खरीद लिय हैं और १९६३ के पहले तीन महीनों में पांच पांच और आ जायेंग और हमने अधिक डकोटों को बदलने के लिये इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को हिदायतें दी हैं कि व एवरो--७४८ की खरीद के बारे में पूरी तरह जांच कर।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० ला०द्विवेदी :** दूसरे देशों में बने इसी किस्म के हवाई जहाजों के मुकाबले में मैं जानना चाहता हूं कि कैरेवेल्ज़ में कौन सी ऐसी खासियतें हैं जिनकी वजह से इनको पसन्द किया गया है और इससे क्या फायदा होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** यह एक प्रविधिक मामला है। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने फोक्कर इलैक्ट्रा, कैरावील्ज़, ट्राइडेंट, बोइंग ७२७ और इलियूशन बी० ए० सी० १११ आदि कई किस्मों के विमानों का परीक्षण किया है। इन सब प्रकार के विमानों का परीक्षण करने के पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि मुख्य मार्गों के लिये जो भारत में ८००—१२०० मील है, कैरावील्ज सर्वोत्तम रहेगा।

†**श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :** तीसरी योजना में डकोटाओं को बदलने के लिये १० करोड़ रुपये की व्यवस्था है, उस राशि में से ४.५ करोड़ रुपये फोक्कर फ्रेंडशिप के लिये हैं। क्या तीसरी योजना में कैरावील्ज की लागत पूरी करने के लिये नियतन है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन तीसरी योजना के नियमन का उपयोग करेगी ११ करोड़ रुपये के नियतन में से इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के फोक्कों की खरीद के लिये ३.४ करोड़ रुपये दिये हैं। लगभग ७–८ करोड़ रुपये नये विमानों की खरीद के लिये रखे हैं। यदि सरकार कैरावलीज खरीदने का निर्णय करती है, तो वित्त मन्त्रालय से प्रार्थना करने की आवश्यकता होगी।

†**श्रीमती शारदा मुखर्जी :** क्या इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ने उन विमानों के मानकीकरण का विचार किया है जिनकी यह उपयोग करेगी ? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे पास तीन प्रकार के विमान हैं। वाइकाउण्ट, फोक्कर फ्रेंडशिप और डकोटा। अब एक चौथा भी ले रहे हैं। करलीवज। सम्भवतः हमारे पास पांचवीं किस्म का एवरो ७४८ होगा। क्या हम कितने ही प्रकार के विमानों का विलास बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या हमारा देश अपने आन्तरिक मार्गों पर इतने विमान चला सकता है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं मा० सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं कि विमानों की किस्में कम से कम होनी चाहियें। निस्सन्देह हमारे पास डकोटे, वाइकाउण्ट, स्काई मास्टर और फोक्कर हैं। धीरे धीरे डकोटाओं की संख्या कम करने का इरादा है। वाइकाउण्ट, फोक्कर फेंडशिप, कैरावील्ज और यदि एवरो ७४८ आया तो इनका उपयोग किया जाएगा। य कैरावील्ज के अतिरिक्त हैं।

†**श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या सरकार कलकत्ता से अगरतल्ला और सिल्चर तक के मार्ग पर डकोटाओं के स्थान पर फोक्कर फैंडशिप लाने का विचार करती है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** पूर्वी प्रदेश में, पांच फोक्कर हैं जिनका इस समय प्रयोग किया जा रहा है है और उस ओर फोक्करो का अधिक उपयोग बहुत कठिन होगा।

†**श्री जयपालसिंह :** मुझे समझ में नहीं आता कि मा० मन्त्री ने स्वयं अपनी बात का खण्डन किया है या नहीं। श्रीमती शारदा मुकर्जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है वहां कैरावील्ज होंग। मैं समझता था कि समूचा मामला विचाराधीन था और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं गया। अब जब उनको अवसर मिले वह अपनी बात को सही कर लें और बाद में अपने आपको सही करने में सभा का समय नहीं दिया जाना चाहिय।

†**श्री मुहीउद्दीन :** माननीय सदस्य कैरावील्ज को जट विमान समझ लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपालसिंह:** माननीय सदस्य ने श्रीमती शारदा मुकर्जी के कई प्रकार के विमानों सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में कहा है, जिसके परिणामत: हमारे संधारण और व्यय पेचीदा हो जाएगा, कि निस्सन्देह कैरावीलज होंगे। मैं समझता हूं कि पहले उन्होंने कहा था कि कैरावीलन खरीदने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। ये दोनों बातें परस्पर मेल नहीं खातीं। वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन:** मैंने अभी इसका स्पष्टीकरण किया ह। हो सकता है मने, गलती की हो। मेरा आशय जेट विमान से था, वह किसी भी प्रकार का हो।

†**श्री जयपालसिंह:** मैं जट विमान को जानता हूं। तीसरी या चौथी योजना में कैरावीलज खरीदने का हमारे लिय कुछ भी औचित्य हो, बीच की अवधि में बढ़े हुए यातायात को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कैरावीलज १९६४ तक नहीं आ सकेंग। अब और तब के बीच हम क्या कर रहे हैं ? क्या हम बढ़ती मांग को पूरा करने के लिय वाइकाउण्ट या फोक्कर फ्रेंडशिप या और कुछ ले रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं कह चुका हूं कि मैं १९६३ के पहले तीन महीनों तक पांच फोक्करों की आशा करता हूं और सौभाग्य से १९६२–६३ के मौसम में, बम्बई और दिल्ली के बीच के यातायात के लिये एक बोइंग ७०७ प्राप्त हो जाएगा। निस्सन्देह, अधिक वाइकाउण्ट ख ीदने का प्रश्न विचाराधीन है। इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन ने शरद-योजना बना ली है और मैं आशा करता हुं कि इस योजना से वायु परिवहन सम्बन्धी जनता की बढ़ती हुई मांग पूरी हो जायगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सही है कि सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन कों कोटाओं के विस्तार के लिये केवल एवरो खरीदने का निर्देश दिया है और यदि हां तो क्या डकोटाओं के बदलने के लिये वह अधिक फोकर फ्रैंडशिप खरीद रहे हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** दो वर्ष पूर्व, हमने पांच फोकरों का आर्डर दिया था और वे १९६३ के पहले तीन महीनों में मिल जायेंगे। उसके पश्चात्, हमने अनुदेश दिये थे कि डकोटाओं के बदलने के लिये एवरो ७४८ पर विचार किया जाना चाहिये।

सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान परिषद्

†*१८२. **श्री श्रीनारायण दास : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसंधान परिषद् की जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बैठक में कौन-कौन से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई; और

(ख) बैठक में की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये ?

†**सामुदायिक विकास पंचायती राज्य तथा सहकार मंत्रालय म उपमंत्री (श्री ब० सू० मर्ति):** (क) और (ख). ३ जुलाई, १९६२ को हुई राष्ट्रीय परिषद् की पहली बैठक में जिन महत्वपूण विषयों पर चर्चा की गई उन तथा सरकार द्वारा सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कारवाई को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ५०।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से पता चलता है कि सरकार ने स्थायी समिति बनाने से सम्बन्धित सिफारिश मान ली है। इस समिति का ठीक कार्य और क्षेत्र क्या होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : स्थायी समिति राष्ट्रीय परिषद् के सामने रखे जाने से पूर्व सब महत्व-पूर्ण मदों पर विचार करेगी।

†**सेठ अचल सिंह** : जिन राज्यों में पंचायती राज लागू हुआ है, वहां क्या वह कामयाब हो रहा है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य हमें यह बात बतायें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नर्मदा घाटी प्राधिकार

†*१७३. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नर्मदा घाटी प्राधिकार या निगम गठित करने का इरादा रखती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की अस्थायी योजना अथवा रूपरेखा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख). योजना का ब्योरा---प्राधिकार का स्वरूप, इसके अधिकार और कृत्य, वित्तीय व्यवस्था और कार्य करने का तरीका---तैयार करने के लिये भारत सरकार ने एक विशेष कार्य पदाधिकारी (आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) नियुक्त किया है। उसका प्रतिवेदन सितम्बर, १९६२ म आने की आशा है। उसके बाद इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

गाड़ियों का देर से चलना

*१८३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री भगवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों के देर से चलने सम्बन्धी प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और कब से उस निणय को कार्यान्वित किया जायगा; और

(ग) क्या सरकार ने यह भी जानने का यत्न किया है कि गाड़ियों के देर से चलने के क्या कारण हैं, और यदि हां, तो उन्हें दूर करने का क्या प्रयास किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सवारी ले जाने वाली गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के सम्बन्ध में हमेशा समुचित और पर्याप्त ध्यान दिया गया है और दिया जा रहा है।

१९६१–६२ के कुछ महीनों में सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के समय पर चलने में कुछ गिरावट आ गयी थी। बोर्ड ने एक बैठक बुलायी जिसमें इस सवाल पर विचार-विनिमय किया गया। बैठक में उन रेलों के सम्बन्धित अफसरों ने भाग लिया जिन पर स्थिति में कुछ गिरावट दिखायी पड़ी थी। इस बैठक में कुछ ऐसे सिद्धान्तों पर विचार किया गया जिनको संचालन की वर्तमान स्थितियों के अनुरूप समय-सारणी बनाते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। रेल प्रशासनों से कहा गया है कि अगली समय-सारणी बनाते समय इन सिद्धान्तों का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया जाय। गाड़ियों के देर से चलने के कई कारण हैं जिनमें से कुछ तो रेलवे के काबू में हैं और कुछ उसके काबू से बाहर हैं। फिर भी गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए हर सम्भव कार्रवाई की गयी है और की जा रही है। इसके फलस्वरूप मई, १९६२ के मुकाबले जून और जुलाई, १९६२ में गाड़ियों के आने-जाने में आमतौर पर सुधार हुआ है और आशा है कि १-१०-१९६२ से समय-सारणी में जो संशोधन किया जायेगा उससे स्थिति में और सुधार होगा।

मलाया को चीनी का निर्यात

†*१८४. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया की सरकार ने गैर-साम्यवादी देशों से चीनी के आयात पर लगाये गये सब प्रतिबन्ध हटा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संशोधित नीति के फलस्वरूप मलाया को आगामी वर्ष किये जाने वाले चीनी के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मलाया सरकार ने रूसी ब्लाक और चेकोस्लोवाकिया के अतिरिक्त किसी भी देश से चीनी के आयात पर से १ जुलाई, १९६२ से प्रतिबन्ध हटा लिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि प्रतिबन्धों का भारत से मलाया को चीनी के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

इडुकी जल-विद्युत् परियोजना

†*१८५. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री कंप्पन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अ० व० राघवन : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडूकी नदी के पानी के उपयोग के सम्बन्ध में केरल और मद्रास के बीच उत्पन्न विवाद निपटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इडूकी नदी पर जल-विद्युत् परियोजना की क्रियान्विति में कोई प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) इस मामले का केरल और मद्रास के परामर्श से परीक्षण किया गया और अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) इडिक्की सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस वर्ष के अन्त तक परियोजना की क्रियान्विति के लिये योजना आयोग की आवश्यक अनुमति मिलने की सम्भावना है ।

पाकिस्तान को गेहूं का संभरण

†*१८६. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने भारत आ रहे गेहूं के दो जहाज पाकिस्तान भेज दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत आ रहा कुल कितना गेहूं इस प्रकार पाकिस्तान भेज दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, हां ।

(ख) लगभग २० हजार टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान नहर

†*१८७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री र० ना० रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कर्णी सिंह जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर बनाने के लिए दोषपूर्ण सामान काम में लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तथाकथित दोषपूर्ण सामान सप्लाई करने वालों के विरुद्ध और उन पदाधिकारियों के विरुद्ध भी जिन्होंने ऐसा सामान मंजूर किया था, क्या कारवाई की गयी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १ जुलई, १९६२ को आश्चय दौरे के समय, पंजाब के सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री ने राजस्थान फीड के हरीक मुख्य कार्य से लगभग ५६ मील दूर एक स्थान पर फर्श बिछाने के लिये अधपकी ईंटों को इस्तेमाल होते पाया ।

(ख) इस मामले में जांच करने के लिये पंजाब सरकार ने एक जांच पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है । उसकी उपपत्तियां प्रतीक्षित हैं, जिसके आने तक सम्बन्धित सब-डिवीजनल आफिसर और सेक्शनल आफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है ।

भारत का नौवहन निगम

†*१८८. **श्री का० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नौवहन निगम ने अमरीकी व्यापार में भाग लेने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) निगम भारत अमरीका व्यापार में सेवा के लिये अगले ३, ४ वर्षों में हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाये जाने वाले दस जहाजों में से ६ जहाज इस्तेमाल करेगा ।

वी सी–१० हवाई जहाज

†*१८९. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के लिए वी सी–१० हवाई जहाज प्राप्त करने की कोई योजना है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसका यह लाभ है कि वे सीमित धावनपथों वाले अनेक हवाई अड्डों से उड़ाये जा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) एयर-इंडिया द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे बोइंग विमानों की अपेक्षा वी० सी०-१० हवाई जहाजों को लाभदायक नहीं पाया गया ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तटीय पोतों का अर्जन और कोयला की ढुलाई

†*१९०. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का नौवहन निगम कोयले की ढुलाई के लिय छः तटीय पोत खरीद रहा है ;

(ख) क्या ये पोत विदेशी पोत निर्माताओं से सीधे खरीदे जायेंगे या टेंडर मांग कर खरीदे जयेंगे ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापटनम् में इन पोतों में स कुछ का निर्माण करने की संभावना सुनिश्चित कर दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) शिपिंग कारपोरशन आफ इंडिया लिमिटेड से तटीय व्यापार के लिये छः जहाजों के अर्जन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) क्योंकि विशाखापटनम् में हिन्दुस्तान शिपयार्ड में समूची तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र पार व्यापार के लिये जहाज बनते रहेंगे, उस यार्ड में ये जहाज बनाना संभव नहीं हो सकेगा । परन्तु देश में बने कुछ जहाज प्राप्त किये जाने की संभावना का पता लगाया जा रहा है ।

गहरे पानी में उगाया जाने वाला धान

†*१९१. { **श्री म० ना० स्वामी** :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितना क्षेत्र जलमग्न हैं ; और

(ख) मत्स्य पालन के साथ गहरे पानी में धान उगाने की क्या संभावना हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) देश में जलमग्न क्षेत्र के बारे में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अस्थाई रूप से पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम चार महीने तक १० लाख एकड़ भूमि में पानी भरा रहता है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष के काफी समय में पानी वाले क्षेत्रों में मछली पकड़ने के साथ साथ धान की खेती संभव है। पानी भरे हुए क्षेत्रों में यह कार्य करना संभव नहीं होगा क्योंकि सतह पर काफी पानी उपलब्ध नहीं होता।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का रेलवे पर लागू होना

†*१९२. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मांग की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम रेलवे पर लागू कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने मांग पर विचार करके उसके बारे में निर्णय कर लिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सरकार को अभी तक भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यनियन कांग्रेस से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ रेलवे पर भी लाग होता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हीराकुद बांध के दोष

†*१९३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री किशन पटनायक :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा राज्य के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि जो उन्होंने १४ जुलाई, १९६२ को भुवनेश्वर में प्रेस सम्मेलन में दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि हीराकुद बांध के कुछ प्रमुख दोषों का पता लगा है ;

(ख) ये दोष क्या है और क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इनकी जांच की थी ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) वर्तमान दोषयुक्त बांध से हीराकुद बांध की बाढ़ नियंत्रण क्षमता कितनी कम हो गई है और इस अभाव को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५१]**

कृषि आयोग

†*१९४. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में पिछले १५ वर्षों में की गई कृषि की उन्नति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक कृषि आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: जी, हां । सरकार ने अभी कृषि आयोग नियुक्त न करने का फैसला किया है ।

कलकत्ता में हैजा

†*१९५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कलकत्ता में इस वर्ष असामान्य समय पर हैजा के महामारी के रूप में फैलने का पता है ;

(ख) इस बीमारी को रोकने के लिये राज्य सरकार को सहायता करने के लिये संघ सरकार ने क्या कदम उठाये है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलकत्ता को एशिया में स्थानिक हैजा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है क्या सरकार इस कार्यवाही को प्राथमिकता देगी ; और

(घ) क्या कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) जी, हां । भारत सरकार को कलकत्ता में आधे जून से आधे जुलाई तक, संभवत: वहां पर वर्षा देर से होने के कारण, हैजा के अधिक मामले होने का पता है ।

(ख) हैजा के फैलने पर स्थानीय प्राधिकारियों ने नियंत्रण कर लिया है । राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी ।

(ग) और (घ). कलकत्ता की समस्या को प्राथमिकता दी जाती है जिसके लिये सभी सहायता दी जा रही है ।

कोयले का धीमी गति से वैगनों से उतारा जाना

†*१९६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में रलवे वैगनों स कोयले के धीमी गति से उतारे जाने के फलस्वरूप, रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन का कार्यक्रम छिन्न-भिन्न हो गवा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छ: महीनों में इस स्थिति में कितनी गिरावट आयी है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) रलवे माल डिब्बों से धीमी गति से कोयला उतारे जाने के कारण रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं हुई है। तथापि, ऐसी घटनायें हुई हैं जहां नियत स्थानों पर कोयला उतारे जाने के कारण कोयला वैगनों, विशेषत:, 'बोक्स' वैगन रकों को रुकना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उनकी बारी में समय अधिक लग गया है ।

(ख) पिछले छ: महीनों में स्थिति में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है ।

(ग) (१) 'बोक्स' वैगन रेक से कोयला जल्दी उतारने के लिये राज्य सरकारों से उपयुक्त स्थानों पर कोयला भंडार बनाने को कहा जा रहा है । कुल कोयला भंडार खोले जा चुके हैं और

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य उपभोक्ता स्थानों पर और कोयला भंडार खोलने के प्रश्न पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है ।

(२) बड़े उपभोक्ताओं से अधिक मात्रा में कोयला लेने और कोयले के 'बोक्स' वैगन रेक स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

(३) कुछ स्थानों पर कोयला उतारने के लिये निःशुल्क समय में कमी कर दी गयी है और स्थानभाटक में वृद्धि कर दी गयी है ।

राजस्थान के मार्ग से विमान सेवा के लिये राज सहायता

†*१९७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने जयपुर होकर की जाने वाली कुछ उड़ानों के लिये राजस्थान सरकार से राज सहायता मांगी है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने राज सहायता देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

देश में ऐक्स-रे फिल्मों की कमी

†*१९८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐक्स-रे फिल्मों का अभाव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ऐक्स-रे फिल्मों का आयात घटा दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐक्स-र फिल्मों की इस अनुपलब्धि के कारण बहुत से मामलों में रोग निदान नहीं किया जा सका है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) से (घ). वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात लाइसेंस कम किये जाने के कारण देश में एक्स-रे फिल्मों की कमी हो गई थी। तथापि, एक्स-रे फिल्मों पर की गई कटौती ठीक कर दी गई है अब देश मे एक्स-र फिल्मों के संभरण की स्थिति सामान्य है । बीच की अवधि में निश्चित अवधि वाले मामलों में एक्स-रे जांच रोकनी पड़ी परन्तु जिन मामलों में तत्काल परीक्षण की आवश्यकता थी, कोई रुकावट नहीं आई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थायी सिन्धु आयोग

†*१६६. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अप्रैल, १६६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी सिन्धु आयोग की बाद में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जैसा कि २१-४-१६६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में बताया गया था, स्थायी सिन्धु आयोग की बैठक के बाद आयोग की दूसरी बैठक ४ मई से ८ मई, १६६२ तक रावलपिंडी (पाकिस्तान) में हुई । इस बैठक में, आयोग ने पहली बैठक में चर्चा किये गये विषयों में से निम्न विषयों पर चर्चा की :

(१) ३१ मार्च १६६२ को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थायी सिन्धु आयोग का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन ; और

(२) स्थायी सिन्धु आयोग द्वारा सिन्धु जल सन्धि, १६६० के अनुच्छेद ८(४)(ग) के अन्तर्गत किये जाने वाले सामान्य निरीक्षण दौरे ।

क्योंकि आयोग ने ३१ मार्च, १६६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपने वार्षिक प्रतिवेदन को ७ मई, १६६२ को अन्तिम रूप दिया और इसको दोनों सरकारों को पेश किया, आयोग ने केवल निरीक्षण के सामान्य दौर के लिये कार्यक्रम तैयार करने के लिये दोनों आयुक्तों द्वारा इसको दी गयी अतिरिक्त जानकारी का ही अध्ययन किया ।

भूख निरोध सप्ताह

†*२००. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत १६६३ के शुरू में संयुक्त राष्ट्र तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से घोषित 'भूख निरोध' सप्ताह मनाने में भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उस की रूपरेखा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) इस मामले में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) कार्यक्रम के मुख्य कार्यों में विश्व भर में डाक-टिकट जारी करना, राष्ट्रीय रेडियो औरटलविजन प्रसारण, परिवार उपवास दिवस मनाना, मितोपभोगी भोजन, शान्त अतिथि भोजन और रोटी पर उप कर लगाना शामिल होने की आशा है ताकि विश्व से भूख मिटाने की संभावना के लिये एक नया तरीका बनाया जाये और आवेदन को तेज किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृष्णा-गोदावरी आयोग की रिपोर्ट

†*२०१. श्री बसुमतारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री उमानाथ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री नाथ पाई :
श्री मोहसिन :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा गोदावरी आयोग की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). रिपोर्ट के १८ परिच्छेदों में से १४ परिच्छेद प्राप्त हो चुके हैं और बाकी ४ परिच्छेद अगले कुछ दिनों में प्राप्त होने की आशा है। इस बारे में एक विवरण ७ अगस्त, १९६२ को सभा पटल पर रखा गया था। अभी इस प्रतिवेदन का मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जाना है।

नदी बोर्ड

†*२०२. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २५ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पानी के संभरण के विनियमन के लिये विभिन्न नदियों के बोर्ड (अन्तर्राज्यीय) बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). माही, महानदी और ताप्ती नदी के सिनों सम्बन्धी नदी बोर्ड बनाने के बारे मे ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। नर्मदा के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकरण नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१) कृष्णा गोदावरी, (२) सतलुज, व्यास और रावी, (३) यमुना, (४) कावेरी और (५) अजय नदी बेसिनों सम्बन्धी नदी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है। यद्यपि कई राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है, कुछ राज्यों ने कई आपत्तियां उठायी हैं, जो परीक्षणाधीन हैं। तीन राज्यों से अन्तिम रूप से उत्तर अभी आने हैं।

कोयला उद्योग के लिये बिजली की आवश्यकता

†*२०३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला औद्योगिक कार्यक्रम की बिजली की आवश्यकताओं का जिस अध्ययन दल ने हाल ही में निर्धारण किया था उस ने किन कार्यों की सिफारिश की है;

(ख) क्या इन सिफारशों की योजना आयोग तथा राज्यों ने जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा केन्द्र और राज्यों ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है।

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५२।]

इटली की विमान कम्पनी के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

†*२०४. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बसुमतारी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री नम्बियार :
श्री नाथ पाई :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री कजरोलकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ जुलाई, १९६२ को बम्बई के निकट एक इटली की विमान कम्पनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस में कुल कितने यात्री मर गये थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि 'एलिटालिया' के आठ उच्च अधिकारी लापता विमान का पता लगाने में सहायता देने के लिये भारत आये थे; और

(ङ) यदि हां, तो उन की सहायता से हमें कितनी मदद मिली ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) स (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अलितालिया डी० सी० —८ विमान की ६ और ७ जुलाई, १९६२ की रात्रि को पूना-नासिक सड़क पर जुनार के पश्चिम में लगभग २५ मील दूर एक पहाड़ी पर घातक दुर्घटना हुई । यह विमान बैंगकाक से बम्बई आ रहा था । विमान में सवार सभी ८५ यात्री और ९ चालक मारे गये और विमान पूर्णतः नष्ट हो गया ।

२. दुर्घटना की एक जांच न्यायालय द्वारा, जिस के अध्यक्ष बम्बई उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं, जांच की जा रही है । परामर्शकों के रूप में असैनिक उड्डयन विभाग के निदेशक, एयर इंडिया के संचालन मैनेजर और भारतीय वायु बल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है । इटली की सरकार ने एक अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि नियुक्त किया है और उन को और उन के परामर्शदाताओं को जांच में भाग लेने के लिये सभी सुविधायें दी जा रही हैं । जांच न्यायालय ने अपना काम आरम्भ कर दिया है । सरकार को इस की उपपत्तियां उपलब्ध होने में कुछ समय लगेगा ।

(घ) कुछ स्थानीय अलितालिया पदाधिकारी, अपनी प्रार्थना पर, लापता विमान की खोज में सरकारी विमानों में गये ।

(ङ) इस विमान का महाराष्ट्र राज्य की पुलिस की सहायता से पता चला ।

प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

†*२०५ **श्री का० ना० तिवारी :**
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: (क) और (ख). प्राकृतिक चिकित्सा में कम से कम तीन वर्ष पुराने उपयुक्त सार्वजनिक धर्मार्थ संस्थाओं को (१) व्याधिकृत प्रयोगशाला स्थापित करने; (२) अनुसन्धान परियोजनाओं और (३) प्राकृतिक चिकित्सा में प्रैक्टिस करने वालों के लिये और प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज करने वालों को सहायता करने के लिये सहायकों के प्रशिक्षण के लिये

†मूल अंग्रेजी में

४ वर्षीय / २ वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिये समान पाठचर्या लागू करने के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ।

मेटल / कार्ड रेलवे पास

†*२०७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के किन श्रेणियों के अधिकारियों को मेटल / कार्ड रेलवे पासों का उपयोग करने का अधिकार है;

(ख) क्या इन अधिकारियों को अपने पासों पर 'ड्यूटी' पर यात्रा करते समय अपने परिवारों को भी ले जाने की अनुमति है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सभी रेलवे पदाधिकारियों जिन्हें ड्यूटी पर रेलवे यात्रा करनी पड़ती है, को मेटल/कार्ड पास दिये जाते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रेलवे पदाधिकारियों को अपने अधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रों का बहुत दौरा करना पड़ता है और जब से देश मे रेलें चली हैं, मेटल / कार्ड पासों पर परिवार (केवल पत्नी और बच्चे) ले जाने की सुविधा दी जा रही है ।

दामोदर घाटी निगम के द्वारा बिजली की सप्लाई

†*२०८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री हेम बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सचदेव समिति ने पश्चिम बंगाल की बिजली की उस मांग का क्या निर्धारण किया है जिसे दामोदर घाटी निगम को १९६५–६६ में पूरा करना होगा;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पश्चिम बंगाल के लिये बिजली की कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम ने सचदेव समिति के प्रतिवेदन के संबंध में अपने विचार अलग अलग प्रस्तुत किये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूरे प्रतिवेदन पर ब्यौरेवार टिप्पणी दे दी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बिजली की कमी के कारण पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विस्तार रोक दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) घाटी में—१७८.०७ मेगा वाट (एक साथ मांग)

---

†मूल अंग्रेजी में

घाटी के बाहर —१५५.५८ मेगा वाट (एक साथ मांग)

(ख) १२८३.१५ मेगा वाट ।

(ग) और (घ). जी, हां ।

(ङ) बिजली की कमी का औद्योगिक प्रसार पर भी असर पड़ा है ।

कटक में इंजन की भट्टी में कूद कर आत्महत्या

†*२०९. **श्री म० ना० स्वामी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामरतन गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ जुलाई, १९६२ को कटक रेलवे स्टेशन पर हावड़ा-मद्रास मेल के इंजन की भट्टी में एक व्यक्ति कूद गया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इंजन के ड्राइवर ने, उस को इस घटना की सूचना दिये जाने पर भी गाड़ी चला दी थी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) यद्यपि इस घटना की पुष्टि के लिये कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, परिस्थितियों की गवाही से पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति इंजन की भट्टी में नहीं बल्कि धुंएं के डिब्बे में घुस गया और जल कर मर गया ।

(ख) चालक को यह बात एक अन्य अनजान व्यक्ति द्वारा अकस्मात ही बतायी कही जाती है परन्तु उसने (चालक ने) उस व्यक्ति पर असामान्य जानकारी के कारण विश्वास नहीं किया ।

माल का सड़क द्वारा ढोया जाना

†*२११. **श्री हेम बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार लम्बी दूरी के माल को सड़क द्वारा ढोने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरा टेलीफोन कारखाना

†*२१२ { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन के निर्माण के लिये दूसरा कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस की स्थापना के लिये स्थान चुन लिया गया है;

(ग) स्थान का क्या ब्यौरा है; और

(घ) इस को कौन सी तिथि तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (घ). टेलीफान बनाने के लिये एक अन्य कारखाना स्थापित करने के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार अभी भविष्य में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण के प्रकार के बारे में प्रविधिक समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है और सरकार को यह प्रतिवेदन मिल जाने पर इस मामले में आगे विचार किया जायेगा ।

गंडक परियोजना

†*२१३. { **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण गंडक परियोजना को कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बाग नदी परियोजना

†*२१४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकारों ने बाग नदी परियोजना के संबंध में प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) क्या योजना आयोग ने दोनों सरकारों के संयुक्त कार्य की स्वीकृति दे दी है; ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) स्वीकृत प्रस्ताव प्राप्त होने और उनकी परीक्षा किये जाने के बाद ही स्वीकृति दी जा सकती है ।

प्रादेशिक फल और सब्जी गवेषणा केन्द्र

†४२३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक फल और सब्जी गवेषणा केन्द्रों की स्थापना के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में बागबानी का विकास

†४२४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना - काल में (वर्षवार) बागबानी के विकास के लिये कितना अनुदान दिया गया; और

(ख) जिन योजनाओं के लिये अनुदान दिये गये उन के क्या नाम है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) पंजाब सरकार को द्वितीय योजना काल में बागबानी के विकास के लिये दिये गये अनुदान और ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है : —

वर्ष	अनुदान रुपये	ऋण पये	कुल पये
१९५६–५७ .	शून्य	शून्य	शून्य
१९५७–५८ .	४,०००	१०,६६,०००	१०,७०,०००
१९५८–५९ .	५२,०००	८,६७,०००	९,१९,०००
१९५९–६० .	५२,०००	८,७५,०००	९,२७,०००
१९६०–६१ .	५०,०००	१०,६३,०००	११,१३,०००

(ख) पंजाब राज्य में बागबानी का विकास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाजियाबाद के निकट हवाई अड्डा

†४२५ { श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिये गाजियाबाद के समीप एक असैनिक हवाई अड्डा बनाने के बारे में निर्णय किये जाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उसका क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). क्योंकि गाजियाबाद के निकट स्थान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिये उपयुक्त स्थान नहीं हैं, अन्य स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। यह प्रश्न विचाराधीन है।

पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र

†४२६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, वर्षवार पंजाब में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये; और

(ख) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में १९ परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये जिन का ब्योरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	परिवार नियोजन केन्द्र
१९५६–५७	..
१९५७–५८	३८
१९५८–५९	३०
१९५९–६०	४४
१९६०–६१	७९

(ख) उपरोक्त परिवार नियोजन केन्द्रों पर ९,६०,०१५ रुपये व्यय किये गये।

विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली

†४२७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार डाक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि करेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस दिशा में कोई कदम उठाये जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). जैसे जैसे मरीजों की संख्या और विभिन्न विभागों के कार्य में वृद्धि होती है, डाक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि की जाती है ।

अगरताला में मोटर मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र

†४२८. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अगरतला मे सरकारी प्रबन्ध में एक मोटर मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई कदम उठाये गये है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में अगरताला में यह केन्द्र स्थापित करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

अनन्नास की खपत

†४२९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्ष १९६१–६२ मे फलों को डिब्बों में बन्द करने वाले उद्योगों द्वारा कुल कितनी मात्रा में अनन्नास की खपत की गयी ;

(ख) वर्ष १९६२–६३ में त्रिपुरा में फलों को डिब्बों में बन्द करने के उद्योगों द्वारा अनन्नास की खपत की अनुमानित मात्रा क्या हैं;

(ग) उत्पादकों को प्रति सैंकड़ा अनन्नास पर कितना मूल्य दिया गया; और

(घ) क्या राज्य में अनान्नास के उत्पादन में प्रोत्साहन के लिये कोई कदम उठाये जा रहे है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १०४८ मन ।

(ख) १५६० मन ।

(ग) (१) वर्ष १९६१–६२ में ८.५० रुपये प्रति सैंकड़ा अनन्नास ।

(२) वर्ष १९६२–६३ में ११ रुपये प्रति सैंकड़ा अनन्नास ।

(घ) जी, हां (१) अनन्नास से रस निकालने वाली मशीन के वितरण की योजना चालू है और चालू मौसम में २.२० लाख रस निकलने वाली मशीनें वितरित की जायेंगी ।

(२) अगरतला में वर्तमान फलों को डिब्बों में बन्द करने के केन्द्र का विस्तार किया जा रहा हैं और अरुन्धुतिनगर में एक नया कारखाना स्थापित किया जायेगा ।

(३) वर्ष १९६४–६५ में कुमाराघाट में एक फल परीरक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

त्रिपुरा में कुष्ठ रोगी

†४३०. **श्री दशरथ देव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोगियों के सम्बन्ध में आंकड़े और तथ्य इकट्ठा करने के लिये त्रिपुरा में कोई कार्यप्रणाली कायम की गयी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुष्ठ रोगियों को परिवार के अन्य सदस्यों और समाज से अलग रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा०सुशीला नायर)** : (क) जी हां। कुष्ठ रोग की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिये कुष्ठ रोग सर्वेक्षण एकक त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् के अधीन नवम्बर, १९५९ से काम कर रहा है ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

वी० एम० हास्पिटल, अगरतल्ला, त्रिपुरा

†**४३१. श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वी० एम० हास्पिटल, अगरतल्ला (त्रिपुरा) में काफी लम्बे समय से कान, नाक और गले के एक विशेषज्ञ की आवश्यकता रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद पर भरती के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या वी० एम० हास्पिटल में नाक, कान, गला विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाने वाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां, नवम्बर, १९५७ में जब यह पद निर्माण किया गया था तब से ।

(ख) और (ग). दो बार, अलग अलग अवसरों पर, इस पद के लिये किसी उम्मीदवार को नामनिर्देशित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से प्राथना की गई थी। दोनों ही बार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सके। एक बार फिर संघ लोक सेवा आयोग से इस मामले में प्राथना की गई है। उस के द्वारा नामनिदशन प्राप्त न होने की दशा में, त्रिपुरा प्रशासन ने बिल्कुल अस्थायी आधार पर एक तदर्थ नियुक्ति कर ली है ।

रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†**४३२. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रतनगढ़ नगर (राजस्थान) रतनगढ़ रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) के दोनों ओर बसा हुआ है और रेलवे लाइनों के ऊपर कोई ऊपरी पुल न होने के कारण पदल चलने वालों और सवारी-गाड़ियों को रेलवे लाइन पार करना पड़ता है जिस से दुर्घटनाएं होती हैं और जानमाल की हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे स्टेशन के पास एक ऊपरी पुल बनाने या नीचे का पुल बनाने की तीव्र आवश्यकता पर विचार किया है और उस का क्या नतीजा निकला ; और

(ग) ऊपरी पुल या नीचे के पुल का काम संभवत: कब शुरू किया जायगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे स्टेशन की एक ओर रतनगढ़ का मुख्य नगर है और दूसरी ओर एक छोटी बस्ती विभाजन के बाद बसाई गई है। नगर के किसी ओर भी पहुंचने के लिये, पैदल चलने वालों और जानवरों के लिये स्टेशन के रेवाड़ी वाले छोर पर "डी" क्लास केवल क्रासिंग है लेकिन वह सवारी गाड़ियों के लिये नहीं है। यदि राज्य सरकार रेलवे लाइन के आरपार नीचे का पुल बनाने की योजना पेश करे तो रेलवे उस पर विचार

†मूल अंग्रेजी में

करेगी। रतनगढ़ में ऊपरी या नीचे का पुल बनाने के लिये राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंगलौर–हसन रेलवे लाइन

†४३३. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर-हसन रेलवे के लिये अन्तिम सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) इस लाइन के निर्माण से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य किस दशा में है ; और

(ग) क्या यह तय किया जा चुका है कि यह बड़ी लाइन होगी या छोटी लाइन होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) अन्तिम स्थान सर्वेक्षण के लिये मंजूरी मिल चुकी है। सर्वेक्षण कराने के लिये रेलवे ने सभी प्रारम्भिक व्यवस्था पूरी कर ली है ताकि वास्तविक सर्वेक्षण वर्षा के तुरन्त बाद आरम्भ किया जा सके।

(ग) यह लाइन छोटी लाइन (मीटर गेज) होगी।

कृत्रिम अंग केन्द्र

†४३४. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम अंग केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या गरीब अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और साधन मुफ्त सप्लाई करने के लिये इन केन्द्रों में कोई व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** (क) देश में तीन कृत्रिम अंग केन्द्र हैं जो भारत सरकार के नियत्रण के अधीन हैं। वे केन्द्र ये हैं प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर, पूना, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रीहैबिलिटेशन, बम्बई और इरविन हॉस्पिटल, नई दिल्ली में, आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर। राज्य सरकारों के अधीन कृत्रिम अग केन्द्रों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग). कृत्रिम अग केन्द्र, पूना में गरीब अपंग व्यक्तियों को मुफ्त कृत्रिम अंग देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रीहैबिलिटेशन, बम्बई में इस प्रयोजन के लिये १०,००० रुपये की व्यवस्था है। इरविन अस्पताल केन्द्र में, गरीब रोगियों के लिये खर्च "पुअर फन्ड" से, जो इरविन अस्पताल में रखा जाता है, दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी

त्रिपुरा को चावल की सप्लाई

†४३५. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में अब तक केन्द्रीय सरकार की ओर से त्रिपुरा को किस किस्म का चावल दिया गया ;

(ख) क्या त्रिपुरा में राशन की दुकानों के अलावा कोई सस्ते दाम वाली दुकानें भी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और उन दुकानों में प्रति सेर चावल का क्या भाव है ; और

(घ) १९६२ में त्रिपुरा में चावल की अनुमनित आवश्यकता कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) सामान्य चावल ।

(ख) और (ग). त्रिपुरा में सस्ते दाम वाली १०४ दुकानें चल रही हैं जहां ४५ नये पसे प्रति सेर की दर से चावल दिया जा रहा है ।

(घ) १९६२ के लिए त्रिपुरा में चावल की आवश्यकता का हमारा अनुमान लगभग २०,००० टन है ।

परादीप पत्तन

†४३६. **श्री प्र० क० देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के प्रस्तावित परादीप पत्तन का सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) तट से कितनी दूरी पर दस फैदम गहराई का समुद्र है ; और

(ग) पत्तन के विकास के सम्बन्ध में सब से नई स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी हां ।

(ख) केवल सात फैदम कन्टूर तक की सर्वेक्षण किया गया था । खाड़ी से दस फैदम कन्टूर की दूरी लगभग पांच मील है ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिन से पत्तन में पांच लाख टन अयस्क और आधा लाख, टन सामान्य माल उतारा लादा जा सके, १५४.३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । कुछ स्वीकृत निर्माण कार्य उड़ीसा सरकार पहले ही आरम्भ कर चुकी है ।

पिछले साल राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि परादीप को सब मौसमों के योग्य बन्दरगाह तुरन्त ही बनाया जाय । वह योजना आरम्भ में सालाना २० लाख टन का लक्ष्य रख कर बड़े पैमाने पर अयस्क के निर्यात की प्रयोजना का एक अंग होनी चाहिये । राज्य सरकार ने बन्दरगाह के विकास के लिये एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये सलाहकार इंजीनिअरों की एक फर्म को नियुक्त किया है । सलाहकार इंजीनिअरों की परियोजना रिपोर्ट अभी हाल ही में राज्य सरकार से प्राप्त हुई है और उस की छानबीन हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालीकट में रेलवे स्टेशन

†४३७. **श्री कोया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में कालीकट में नया रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार सभवत: कब तक काम पूरा कर लेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) लगभग १६ प्रतिशत काम अभी तक पूरा हुआ है ।

(ख) करीब जून, १९६३ के अन्त तक ।

त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ को ऋण

†४३८. **श्री दशरथ देब :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो योजनाओं की अवधियों में और १९६१ में समाप्त होने वाली अवधि में, प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ को कितनी कितनी रकम दी गई ;

(ख) यह धन किन प्रयोजनों के लिये दिया गया था ;

(ग) क्या साहित्य का प्रकाशन एक प्रयोजन था ; और

(घ) १९६०-६१ में क्या क्या प्रकाशन निकाले गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) (१) पहली योजना की अवधि में —कुछ नहीं

(२) दूसरी योजना की अवधि में अर्थात् १९५६ से १९६१ में निम्नलिखित प्रकार से:—

	रुपये
१९५६–५७ में . . .	कुछ नहीं ।
१९५७–५८ में . . .	७,४०५
१९५८–५९ में . .	३,५०१
१९५९–६० में . . .	१२,४२९
१९६०–६१ में . . .	२४,७३८

(ख) (१) उन शिक्षकों के जिन्हों ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया था, वेतन और भत्तों के खच तथा अन्य आकस्मिक व्यय के लिये ।

(२) प्रशिक्षार्थियों के लिये छात्रवृत्ति, आदि ।

(ग) जी हां ।

(घ) को नहीं । वित्तीय सहायता वर्ष १९६०-६१ के अन्त में दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि-ऋण

†४३६. **श्री दशरथ देब :** क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में कृषि ऋण के लिए त्रिपुरा के राज्य सहकारी बैंक को कुल कितनी ऋण-याचिकाएं प्राप्त हुईं;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने आवेदकों को इस बैंक से वह ऋण प्राप्त हुआ; और

(ग) बाकी याचिकाओं को अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) २९८ ।

(ख) २८७ ।

(ग) अस्वीकृत ११ मामलों में, नौ याचिकाएं उन संस्थाओं से थीं जिन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया था, एक याचिका गैर-सदस्य की थी और एक याचिका देर से प्राप्त हुई थी ।

खेती के औजार

†४४०. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) छोटे तथा मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कितने कारखाने खेती के औजार बना रहे हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्रों में ऐसे कितने कारखाने हैं;

(ग) इन कारखानों के स्थापना स्थान कहां कहां पर हैं;

(घ) इन में से प्रत्येक किस प्रकार के औजार बनाता है; और

(ङ) १९५९-६० तथा १९६०-६१ में प्रत्येक कारखाने का वार्षिक उत्पादन क्या था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) एक सौ इक्कीस ।

(ख) पांच ।

(ग) और (घ). सरकारी औद्योगिक वर्कशाप तिरुचिरापल्लि, मद्रास में बनने वाले औजारों के अतिरिक्त अन्य औजारों आदि की जानकारी कृषि विभाग के विस्तार निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका 'एग्रिकल्चरल इम्पलीमेंट्स—व्हेयर टु बाई देम' में दी हुई है । आज तक संशोधित इस पुस्तिका की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

लाहौल जिले में सड़क

४४१. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव क्लांग जिंग जिंग बार सड़क (लाहौल जिले में) के निर्माण के बारे में आया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय म नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और(ख). शायद माननीय सदस्य का मतलब किलांग जिंग जिंग बार सड़क से है । यह प्रायोजना लाहौल जिले के उन सड़क निर्माण कार्यों की सूची में शामिल कर ली गयी है जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए अनुमोदित कर ली गयी है । तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में इस निर्माण कार्य के लिए ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है । यह राशि यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाहन पथ को चौड़ा कर के मौजूदा खच्चर मार्ग में सुधार करने के लिए है । इस सड़क पर दारचू नाले के ऊपर एक पुल बनाने का प्रस्ताव भी है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भत्ता

†४४२. **श्री हेम राज** : क्या **परिवाहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौल तथा स्थिति जिलों में स्थित डाक तथा तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता किन दरों पर दिया जाता है; और

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का विचार उनका प्रतिकर भत्ते की दर पंजाब सरकार के भत्ते के दरों के अनुसार करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क)अनुबंध के अनुसार ।

(ख) जी नहीं ।

अनुबंध

१. बाहर के अर्थात् जो सरकारी कर्मचारी लाहौल तथा स्पिति के नहीं हैं ।	पुनरीक्षित वेतन क्रम में उनके मूल वेतन का ७५ प्रतिशत परन्तु अधिकतम १२५ रुपये मासिक ।
२. लाहौल घाटी के परन्तु स्पिति घाटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और इसका उलट	पुनरीक्षित वेतन क्रमों में उनके मूल वेतन का ५६ १/४ प्रतिशत परन्तु अधिकतम १०० रुपये मासिक ।
३. लाहौल के सरकारी कर्मचारी लाहौल घाटी में काम करने वाले तथा स्पिति घाटी में काम करने वाले स्पिति के सरकारी कर्मचारी	पुनरीक्षित वेतन क्रमों में उनके मूल वेतन का ३७$^{१}/_{२}$ प्रतिशत परन्तु अधिकतम ६५ रुपये मासिक ।

दिल्ली चण्डीगढ़ टेलीफोन लाइन

†४४३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के बीच ट्रंक टेलीफोन लाइन १९६१ में कितनी बार खराब बताई गई;

(ख) खराब हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) खराबियों को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) (क) १९६१ में दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच तीन ट्रंक सर्किट थे। १९६१ में प्रत्येक सर्किट पर हुई खराबी नीचे बताई जाती है :—

नई दिल्ली	चण्डीगढ़
तदैव	—१ : ६८
तदैव	—२ : ६१
तदैव	—३ : १२९

(ख) प्राकृतिक खराबियों तथा तांबे के तारों की चोरियों के कारण सर्किट में खराबी आई थी।

(ग) प्राकृतिक खराबियों के कारण हुई खराबियों को रोका नहीं जा सकता है। तांबे के तार की चोरियों को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) पुलिस अधिकारियों से निकट सम्पर्क;

(२) दोबारा अपराध करने वाले व्यक्तियों को बढ़ी हुई सजा;

(३) तांबे के तार के स्थान पर तांबे के वैल्ड तार लगाना।

(४) इसके अतिरिक्त अब हाई फ्रिक्वेंसी करियर सिस्टम के तीन से पांच सर्किट कर दिये गये हैं और तब से सर्किट की क्षमता में सुधार हो गया है। दीर्घकालीन उपाय के लिये दिल्ली से अम्बाला तक तार डालने का आयोजन है। इससे लाइन की खराबी तथा तार की चोरी बन्द हो जायेगी।

देश में खार वाली भूमि का रक्बा

†४४४. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार कुल कितना एकड़ 'खार भूमि' है; और

(ख) भूमि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है और १९६१ में कितनी भूमि वसूल हुई ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): जानकारी राज्य सरकार से मंगाई गई है और मिल जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य रेलवे पर दमोह रेलवे स्टेशन पर टिकटों का गुम हो जाना

†४४५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के दमोह रेलवे स्टेशन से विभिन्न दर्जों के टिकटों की बही खोई गई है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशन से यह किस प्रकार गुम हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां । स्टाक में से कुछ टिकट गुम पाये गये ।

(ख) से (घ). जांच की जा रही है ।

मुस्करा में तार सुविधायें

४४६. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमीरपुर जिले के केन्द्र में स्थित ५,००० से ऊपर आबादी वाले ग्राम मुस्करा में क्या तार की व्यवस्था के लिये कोई लिखा-पढ़ी की गई थी; और

(ख) जब कि इस ग्राम से १६ मील से भी अधिक दूरी पर चारों ओर तार भेजने की कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या यहां शीघ्र ही तारघर खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और यदि नहीं, तो क्यों ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां ।

(ख) मुस्करा में तारघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

वन सम्बन्धी नीति

†४४७. श्री ह० च० चटर्जी :
श्री रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वन नीति को क्रियान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है;

(ख) पिछली दो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत अधिक भूमि पर वन लगाये गये हैं;

(ग) तीसरी योजना में कितनी और अधिक भूमि पर वन लगाये जायेंगे;

(घ) काफी धन व्यय करके जो बांध बनाये गये हैं तथा नहरों के संरक्षण के लिये उचित वन लगाने की योजना के अधीन नदी घाटी योजनाओं के जलागम क्षेत्रों में वन लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में कितने प्रतिशत जलागम क्षेत्रों में वन लगाये गये हैं, तथा तीसरी योजना में क्या किया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) (क) वनरोपण का काम राज्य सरकारों का है अतः राष्ट्रीय वन नीति को क्रियान्वित करने का काम उन पर ही छोड़ दिया गया है, किन्तु फिर भी काम की देखभाल केन्द्रीय वन बोर्ड द्वारा निरन्तर की जाती है और इस बोर्ड में राज्य सरकारों के मंत्री भाग लेते हैं ।

केन्द्रीय सरकार वनों के विकास सम्बन्धी राज्यों की योजनाओं को बनाने में सहायता देती है बशर्ते कि राज्य सरकार उनसे ऐसा करने के लिये कहें । खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय द्वारा इन योजनाओं की प्रतिवर्ष जांच की जाती है और राज्य सरकारों को यह अपनी सिफारिशें भी भेजता है ।

(ख) प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वनों के अन्तर्गत १९५०-५१ में २,७७,२३२ वर्गमील का क्षेत्र था जो १९५५-५६ में बढ़ कर २,७१,६३४ वर्गमील हो गया अर्थात् उसमें लगभग २ प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह इसलिये हुआ कि वन भूमि को भूमि उपयोगिता शीर्षों के अन्तर्गत बांट दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वनभूमि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) ऐसी आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ८,३९,००० एकड़ भमि पर नये पेड़ लगेंगे । इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या ये पेड़ वर्तमान वन भूमि में ही लगेंगे अथवा वर्तमान वनक्षेत्र के अतिरिक्त वाली भमि पर लगेंगे ।

(घ) बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि के कटाव को रोकने के लिये केंद्रीय सरकार का एक विशेष कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया है जिस पर लगभग ११ करोड़ रुपये व्यय होंगे । इस योजना के अन्तर्गत वनारोपण के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातें भी सम्मिलित हैं । इसके अलावा राज्य सरकारों की भी अपनी योजनाएं हैं जिन पर लगभग ५२ लाख रुपये व्यय होंग । इस परियोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि जब काम एक से अधिक राज्यों में हो तो सम्बन्धित राज्य सरकारें एक अन्तर्राज्यीय बोर्ड बनायें ।

(ङ) इस समस्या पर व्यवस्थित रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही ध्यान दिया गया और उस दौरान में २.२५ लाख एकड़ में भूमि कटाव को रोकने के लिये काम किया गया—इस कार्य के अन्तर्गत भूमि पर वन लगाना भी सम्मिलित हैं । ततीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग १० एकड़ भूमि पर वन लगाये जायेंगे ।

इतवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में कोयले का आवागमन

†४४८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इतवार तथा अन्य छुट्टियों के दिनों में कोयले के आवागमन में कमी हो जाती है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की कमी से कोयले के सम्पूर्ण आवागमन पर भी प्रभाव पड़ता है ;

(ग) यदि हां तो छुट्टी के दिनों में कोयले के सामान्य आवागमन को बनाय रखने के लिय सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). इतवार तथा छुट्टी के अन्य दिनों में सप्ताह के अन्य सामान्य दिनों की अपेक्षा कोयले के आवागमन में कमी हो जाती है। इसका असर सम्पूर्ण आवागमन पर भी पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कोयला व्यापारियों एवं उद्योगों से निरतन्र यह बात कही जा रही है कि वे इतवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में भी सप्ताह के अन्य दिनों की भांति कोयले का लदान जारी रखें।

रेलवे कर्मचारियों को प्रेरणा

†४४९. श्री सु० भू० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन व्यक्तियों को कोई प्रेरणा देती है जो अच्छी डिजाइन, निर्माण, स्टीम लोको तथा बिजली के लोको के सम्भरण एवं कार्य संचालन सम्बन्धी सुझाव देते हैं;

(ख) यदि हां तो वह प्रेरणा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में भूतकाल में कितने व्यक्तियों को इनाम आदि दिये गये हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) निम्नरूप में प्रेरणा दी जाती है :—

(१) नकद इनाम

(२) अग्रिम वेतन वृद्धि

(३) अध्ययन के लिये छुट्टी

(४) सेवा पुस्तिका में प्रशंसात्मक टिप्पण; और

(५) बच्चों को छात्रवृत्तियां।

(ग) लगभग ७८ कर्मचारियों को १९५७ से १९६१ के अन्त तक इनाम दिये गये हैं।

उर्वरकों का संभरण

†४५०. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री कर्णीसिंह जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उमानाथ :
श्री म० न० स्वामी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में अमोनियम सल्फेट तथा अन्य दूसरे प्रकार के उर्वरकों का कितना-कितना सम्भरण, जिनका परामर्श कि केन्द्रीय उर्वरक बोर्ड ने दिया था, भारत के उर्वरक निगम ने विभिन्न राज्यों को किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ की विभिन्न तिमाहियों में विभिन्न किस्म की उर्वरकों का वितरण कितना-कितना किया गया है ;

(ग) इस वितरण का आधार क्या है ; और

(घ) १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में विभिन्न राज्यों ने कितने-कितने उर्वरक की मांग की थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) तथा (ख). भारत के उर्वरक निगम के सिंदरी तथा नांगल कारखानों से प्रतिवर्ष दिया गया उर्वरक तथा केन्द्रीय उर्वरक संचय से वितरित किया गया उर्वरक बताने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या ३०९–६२]**

(ख) नाइट्रोजन उर्वरक सामान्यतः विभिन्न राज्यों की मांग तथा उपलब्ध सम्भरण के आधार पर दिये जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि राज्यों के पास कितना स्टाक बाकी है तथा इसके अलावा विशेष कारणों जैसे सूखा तथा अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों की हानि आदि का भी ध्यान रखा जाता है। तथा साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसान लोग कितना उर्वरक उपयोग में ला सकते हैं।

(घ) वांछित जानकारी विवरण में दी हुई है।

राज्यों में बिजली की कटौती

†४५१. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री उमानाथ :
श्री सुब्बरामन :
श्री मुथिया :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने यहां बिजली के सम्भरण में कटौती की है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में बिजली के सम्भरण में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है।

(ग) क्या कृषि को दी जाने वाली बिजली में जो कटौती की गई थी उसे अब पूरा कर दिया गया है ;

(घ) क्या उन राज्यों में जहां कि औद्योगिक बिजली में कटौती कर दी गई थी अब उसे पूरा कर दिया गया है ;

(ङ) अब किन-किन मदों में बिजली की कमी की हुई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ङ). जानकारी राज्यों से एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक सर्जन

†४५२. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक सर्जनों में से (डाक्टर) तृतीय श्रेणी कुछ प्रतिशत सर्जनों को राजपत्रित बना दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो वह प्रतिशत संख्या क्या है ;

(ग) क्या य राजपत्रित सर्जन द्वितीय श्रेणी में से होंगे अथवा श्रेणी १ में से ;

(घ) उनके वेतन दर क्या होंगी ; और

(ङ) क्या इन सहायक सर्जनों पर श्रेणी ३ तथा श्रेणी २ के नियम भी लागू होंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). प्रतिशत संख्या तो कोई निर्धारित नहीं की गई है। ५ वर्ष सेवा करने के बाद ये सहायक सर्जन अवैतनिक राजपत्रित श्रेणी के हकदार हो जाते हैं।

(घ) सहायक सर्जनों की वर्तमान वेतन दर यह है अर्थात् ३३५—२०—४७५—२५—५७५ दक्षता अवरोध २५—६५०। यह अवैतनिक राजपत्रित पदाधिकारियों पर भी लागू होगा।

(ङ) इस पर विचार हो रहा है।

रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा

†४५३. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल निरीक्षक, चालक, शन्टर, फायरमैन, गार्ड, तथा टी टी० ई० के लिये वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के लिये प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा पास करना अनिवार्य है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के काम करने के स्थानों पर इन्हें प्रशिक्षण देने अथवा लेक्चर देने की व्यवस्था की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण की सुविधा रेलवे कर्मचारियों के मुख्यालयों पर दी गई है क्योंकि वहां रेलवे डिसपेंसरी अथवा स्वास्थ्य एकक होती है। स्टेशनों पर जहां कि ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं कर्मचारियों को निकटवर्ती डिस्पेंसरी अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों में जाना पड़ता है।

दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु

†४५४. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में दिल्ली के चिड़ियाघर में कितने पशुओं की मत्यु हो गई है ;

(ख) मृतक जानवर किस जाति के थे ; और

(ग) उनकी मृत्यु का मुख्य कारण क्या था ?

†**कृषि मंत्री (डा० रामसुभग सिंह):** (क) फरवरी से जुलाई, १९६२ तक दिल्ली के चिड़ियाघर में ४२ विभिन्न जातियों के ७५ पशु मरे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५३]**

(ग) उनकी मृत्यु के मुख्य कारण नीचे दिये हुए हैं :—

(१)	एट्रीशिन (जहाज पर लाते समय तथा उनको चिड़ियाघर में लाने के बाद यहां की स्थिति से परिचित होने तक)	२२
(२)	लुठंको द्वारा मारे गये .	१५
(३)	ठंड से . .	४
(४)	साथ रहने वाले पक्षियों द्वारा	४ (अधिकतर चिड़िया)
(५)	वर्षा के कारण .	४ ,,
(६)	सांप के काटने से	४
(७)	एनटेरीटीज़ .	४
(८)	लकवा से .	३
(९)	वृद्धावस्था के कारण .	२
(१०)	विविध रोगों से . .	१३
	योग	७५

विश्व के अन्य चिड़ियाघरों की अपेक्षा दिल्ली के चिड़ियाघर में मृतकों की संख्या कम है ।

वाशिंगटन के नेशनल पार्क मे वार्षिक मृत्यु दर १८ प्रतिशत है । दिल्ली में यह मृत्यु संख्या १९५९–६० में २९ प्रतिशत थी, १९६०–६१ मे घट कर १८ प्रतिशत रह गई और १९६१–६२ में यह घट कर केवल ९ प्रतिशत ही रह गई है ।

भारतीय घोड़ों का अभिजनन

†४५५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय घोड़ों का अभिजनन सुधारने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये सरकार ने बाहर से भी घोड़े मंगाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) (i) जानवरों के सुधार, जिसमें घोड़े भी शामिल हैं, का काम मुख्यत: राज्य सरकारों का है । राज्यीय पशु पालन विभाग अपने पशु चिकित्सालयों में बढ़िया किस्म के पशु रखते हैं जहां उनका उपयोग अभिजनन के काम में भी आता है । महाराष्ट्र, मैसूर, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश में भी अभिजनन संस्थान हैं जहां अच्छी किस्म के जानवर रखे जाते हैं । तथा अभिजनन के काम में लाये जाते हैं ।

(ii) राज्य सरकारों के काम में सहायता देने के साथ साथ भारत सरकार ने एक अश्व अभिजनन फार्म की स्थापना और ५ स्टड स्टेन्ड्स बनाने की एक योजना तीसरी योजना में बनाई है जिस पर १५ लाख रुपये व्यय होंगे । यह फार्म पहाड़ी प्रदेशों में अच्छे किस्म के अश्व तैयार करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे किस्म के घोड़ों की व्यवस्था करेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

(iii) १९६१–६२ में घोड़ों का आयात करने के लिये सरकार ने एक उदार नीति अपनाई है जिससे कि अच्छे किस्म के अश्व तैयार हो सकें। इस योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ में ८२ पशुओं का आयात किया गया जिनका मूल्य ६,८०,००० रुपये है।

(ख) प्रस्तावित अश्व अभिजनन फार्म के लिये घोड़ों का आयात अभी तक नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने आयरलैंड से अभी हाल के कुछ वर्षों में ६ अश्वों का आयात किया है। मैसूर सरकार को भी अभी हाल में अपने कूनीगल के स्टड फार्म के लिये एक लाख रुपये के अश्वों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

वाराणसी और गोरखपुर के बीच अधिक रेल गाड़ियां चलाना

†४५६. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी तथा गोरखपुर के बीच अधिक रेलगाड़ियां चलाने का है ताकि रेलगाड़ियों में चलने वाली भीड़-भाड़ में कमी हो जाये ; और

(ख) यदि हां, तो रेलों की संख्या कब से बढ़ाई जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) १–१०–६२ से गोरखपुर तथा वाराणसी के बीच एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाने का विचार है। यह अतिरिक्त रेलगाड़ी वर्तमान ७३ डाउन और ७४ अप के स्थान पर चलाई जायेगी जो कि आजकल गोरखपुर तथा भटनी के बीच चलती है।

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

†४५७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबाना :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ४ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६७ के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्लड़, पम्बा और कांजिरापुजा सिंचाई परियोजना सम्बन्धी केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या चित्रपुज्ञा, कुट्टियाडी, और वालापटनम सिंचाई परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) (१) **कल्लड परियोजना**—कल्लड परियोजना के बारे में आयोग ने जो टिप्पणी की थी उसका राज्य सरकार से उत्तर मिलना अभी शेष है।

(२) **पम्बा परियोजना**

इस परियोजना सम्बन्धी आयोग की टिप्पणी का उत्तर राज्य सरकार से मिल गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) कंजिरपुजा परियोजना

आयोग को टिप्पणी का उत्तर राज्य सरकार से मिल गया है लेकिन भाग २ का उत्तर आना अभी शेष है ।

(ख) (१) **कल्लड परियोजना**

यह प्रश्न नहीं उठता ।

२. पम्बा तथा कजिरापुजा परियोजनाएं

राज्य सरकारों से इस बारे में जो उत्तर मिले हैं उनकी जांच आयोग में हो रही है ।

(ग) कुट्टियाडी तथा वालापटनम् परियोजनाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ; किन्तु चितुरपुजा परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी आना शेष है ।

(घ) कुट्टियाडी परियोजना प्रतिवेदन १६-७-६२ को प्राप्त हुआ था और आयोग उसकी जांच कर रहा है । वालापटनम् परियोजना सम्बन्धी आयोग के प्रारम्भिक टिप्पणी राज्य सरकार को फरवरी १६६२ में भजी गई थी और उनका उत्तर आना अभी शेष है ।

काजू की खेती

†४५८. **श्री प्र० क० गोपालन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में काजू की खेती के विकास के लिये कितना कितना धन निर्धारित किया गया है ;

(ख) कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) महाराष्ट्र, उड़ीसा, मैसूर तथा केरल में तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम तथा द्वितीय वर्षों में कितनी अतिरिक्त एकड़ भमि में काजू की खेती की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :** (क) काजू की खेती के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को निर्धारित की गई राशि निम्न है :—

	लाख रुपयों में
१६६१-६२ . .	१६.५३
१६६२-६३	१७.१७

(ख) मैसूर, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा त्रिपुरा ने १६६१-६२ के दौरान में ७.५७ लाख रुपये व्यय किये हैं । मद्रास सरकार ने इस वर्ष कितना व्यय किया है इस बारे में अभी पता नहीं चला है ।

मैसूर, महाराष्ट्र, केरल ने १६६२-६३ में (३०-१-१६६२ तक) १.४२ लाख रुपये व्यय किये हैं । अन्य राज्यों से प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९६१–६२ के दौरान अतिरिक्त भूमि मे की गई काजू की खेती का ब्यौरा निम्न है :—

राज्य	एकड़ भमि
१. महाराष्ट्र	९५.८१५
२. उड़ीसा	अभी प्रतिवेदन नहीं मिला
३. मैसूर	१४,९००
४. केरल	१६५

वर्ष १९६२–६३ के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

बिल्लीमोरा स्टेशन पर रेल का ऊपरी पुल

†४५९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल्लीमोरा नगरपालिका तथा बहुत सी ग्राम पंचायतों एवं बिल्लीमोरा के नागरिकों से सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं कि बिल्लीमोरा स्टेशन पर एक रेलवे फाटक बनाया जाये, तथा बिल्लीमोरा के निकट अम्बिका, कावेरी तथा खरेडा नदियों के रेलवे पुलों पर फुटपाथ बनाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन अभ्यावेदनों के बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार ने इनको तृतीय पंच वर्षीय योजना मे सम्मिलित कर लिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). बिल्लीमोरा रेलवे स्टेशन के निकट तीन लेबल क्रासिंग अर्थात् संख्या १०७, १०८ और १०९ हैं । संख्या १०७ तथा १०९ पर अधिक यातायात नहीं रुकता । किन्तु १०८ पर यातायात प्रायः अधिक रुकता है । बिल्लीमोरा नगरपालिका को परामर्श दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में वह राज्य सरकार से सीधी बातचीत करे । ताकि वहां ऊपरी रेलवे पुल बनाया जा सके । लेकिन यह योजना वहां की राज्य सरकार की योजना में सम्मिलित नहीं की गई है ।

अम्बिका, उत्तर कावेरी, तथा दक्षिण कावेरी के रेलवे पुलों पर पैदल चलने का रास्ता अब भी मौजूद है किन्तु वह उन रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त होता है जो इन पुलों की देखभाल करते हैं । जनता के लिये भी फुटपाथ बनाये जा सकते हैं बशर्ते कि वहां की राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकारें उनका खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार हों ।

मलेरिया उन्मूलन मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति

†४६०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ३ मई १९६२ को पूछे गये अताराकित प्रश्न संख्या ५४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया उन्मूलन कार्य की निरन्तर स्वतंत्र जांच करने के लिये मलेरिया उन्मूलन मूल्यांकन परामर्शदात्री समिति की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा उस पर विचार किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा किस प्रकार है तथा क्या निश्चय किया गया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की विशेष कार्य समिति, जो स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता के अधीन स्थापित की गई है और जिस में स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा तथा रेलवे मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राष्ट्रीय अभिकरण तथा विश्व स्वास्थ्य संग न के प्रतिनिधि हैं, मलेरिया उन्मूलन मूल्यांकन परामर्श-दात्री समिति के रूप में काम करेगी । तथा आवश्यक होने पर इस क्षेत्र मे स्वतंत्र मल्यांकन का कार्य करने के लिये राज्य सरकारों के प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये संयुक्त राज्यीय अभिकरण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल कर तदर्थ समितियां बनाई जायेंगी । वह स्वतंत्र मूल्यांकन के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगी । इन समितियों के निश्चय पर विशेष कार्यकारी दलों द्वारा विचार किया जायेगा ।

भारत सरकार द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर किया गया है ।

गन्ने की पिराई

†४६१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में खड़ी हुई गन्ने की सारी फस्ल नहीं पेरी जा सकी;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा गन्ने की कितनी राशि नहीं पेरी जा सकी ;

(ग) पिछले गन्ना-पिराई मौसम में विभिन्न राज्यों के चीनी कारखानों द्वारा कितना गन्ना पेरा गया ; और

(घ) कुल कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : (क) और (ख). चीनी के सारे कारखाने, उन्हें जितनी भी गन्ना उपलब्ध हो सका उसे पेरने के पश्चात् बन्द हो गये है । कुछ गन्ना बिहार के धनाहा क्षेत्र में बिना पेरा रह गया है । राज्य सरकार उसकी सही मात्रा का पता लगाने का प्रयत्न कर रही हैं ।

(ग) और (घ). १ नवम्बर, १९६१ से २२ जुलाई, १९६२ तक विभिन्न राज्यों द्वारा पेरे गये गन्ने तथा तैयार की गई चीनी की मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १**, अनुबंध संख्या ५४]

कोसी परियोजना

†४६२. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २० जून, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना के अधिकारी नेपाल में भूमि प्राप्त कर चुके हैं और क्या पश्चिम कोसी नहर का कार्य आरम्भ हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण है ;

(ग) क्या कोसी परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं में क्या परिवर्तन किया गया हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) नैपाल के महाराजा ने पश्चिम कोसी नहर के मार्ग में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिये है । उन्हें यह बताया गया है कि परिवर्तन करने पर सिंचाई वाले क्षेत्र में कमी हो जायेगी । मामला विचाराधीन हैं ।

(ग) जी नहीं । परियोजना में परिवर्तन किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृत्रिम तरीके से सुखाने वाली मशीनें

४६३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में पटसन के बीज तथा उन के उगाने फार्मों में कृत्रिम तरीके से सुखाने वाली मशीनों और नमी परीक्षक मीटरों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस योजना में केन्द्र तथा राज्य किस प्रकार भागीदारिता कर रहीं है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितना वित्त उपलब्ध किया गया है ?

†**कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा की सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों में पटसन के बीज उगाने वाले फार्मों में नमी परीक्षक मीटरों के साथ साथ कृत्रिम तरीके से सुखाने वाले संयंत्रों की स्थापना करें । राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे पटसन विभाग के कर्मचारियों को नमी के मीटर उपलब्ध करें ।

(ख) और (ग). किसी भी राज्य से अभी तक किसी वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है ।

डाक-टिकटों में हिन्दी का प्रयोग

४६४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-टिकटों पर सर्वथा अंग्रेजी का ही प्रयोग चल रहा है और हिन्दी राज-भाषा को उपेक्षा सी चल रही है ;

(ख) क्या इंडिया के साथ यदि हिन्दी में भी भारत और टिकटों का मुल्य अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी दिये जाने के सम्बन्ध में कुछ विचार हो रहा है, और यदि हां, तो कब से यह व्यावहारिक रूप धारण कर लेगा ; और

(ग) सामान्य टिकटों के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर किन्ही की स्मृति में चलने वाले टिकटों पर भी क्या यह नियम लागू होगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

परिवहन तथा संचार उपमंत्री (श्री विजय चन्द्र भगवती) : (क) जी नहीं । "इंडिया पोस्टेज" यह संकेत-पद हमारे सभी डाक-टिकटों पर अंग्रेजी में छपा रहता है। नाम या शीर्षक और मूल्य सम्बन्धी दूसरे शब्द, कुछेक को छोड़ कर, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में ही छपे रहते है।

(ख) जी हां । यह मामला विचारार्थ एक उप-समिति को दिया जा रहा है और उस की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।

(ग) उक्त निर्णय सभी डाक-टिकटों पर लागू होगा--चाहे वे स्मारक डाक-टिकट हों अथवा दैनिक प्रयोग में आने वाले सामान्य टिकट ।

भूमि संरक्षण

†४६५. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेव नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रस्तावित भूमि संरक्षण संबंधी योजनाओं को राशियां वितरित करने का कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, क्या सभी राज्यों की आवश्यकताओं पर उचित ढंग से विचार किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). राज्य में केन्द्र द्वारा प्रस्तावित तीन योजनायें चल रही हैं । नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि संरक्षण, सूखी खेती प्रदर्शन परियोजना और खड्ड वाली भूमि का सर्वेक्षण ।

जहां तक नदी घाटी परियोजनाओं में भूमि संरक्षण का प्रश्न है, वित्त की राशि इस रूप से आवंटित की गई है कि प्रत्येक राज्य की मुख्य परियोजनाओं की आवश्यकता पूरी हो सके ।

जहां तक सूखी खेती प्रदर्शन परियोजनाओं के संबंध में राज्यों को सामान्यतः उतनी ही योजनायें दी गई है जितनी वहां के लिये आवश्यक समझी गई है ।

खड्ड वाली भूमि के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में राज्यों को उन के बीच के खड्ड वाले क्षेत्र के अनुमानित क्षेत्रों के आधार पर दिया गया है ।

नर्सों की कमी

४६६. **श्री कुन्हन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असैनिक अस्पतालों में नर्सों की कमी को देखते हुए सेना के प्रशिक्षित नर्सिंग अर्दलियों को नियुक्त करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो ऐसे कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). सेना के चिकित्सा विभाग के नर्सिंग अर्दलियों को असैनिक अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के रूप में नियुक्त करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । तथापि सफदरजंग और इर्विन अस्पताल में क्रमशः ९ और ७ भूतपूर्व नर्सिंग अर्दलियों को नर्सिंग अर्दलियों के रूप में नियुक्त किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोन नदी का पुल

४६७. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० अप्रैल, १९६२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि की सहायता से सोन नदी पर पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

†**नौवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** पुल के निर्माण के लिये टेंडर मांगे गये है तथा उन की परीक्षा की जा रही है ।

छोटी सिंचाई परियोजनायें

४६८. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय परियोजनाओं में कितनी छोटी सिंचाई परियोजनाओं पर काम आरम्भ किया गया है ;

(ख) उन में कितनी राशि व्यय की गई हैं ;

(ग) उस से सिंचाई क्षमता में कितनी वृद्धि हुई ह ; और

(घ) वर्ष १९६१-६२ में इन परियोजनाओं से कितनी भूमि की सिंचाई हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस) :** (क) छोटी सिंचाई की परियोजनायें नाम, रूप तथा प्रकार में इतनी भिन्न और अधिक है कि उन्हें गिनना संभव नहीं है ।

(ख) पहिली परियोजना में छोटी सिंचाई की योजनाओं में ६६ करोड़ रुपये व्यय किये गये । उक्त राशि में केवल केन्द्रीय ऋण और अनुदान शामिल हैं । द्वितीय योजना में उक्त योजनाओं में ९४.९ करोड़ पये व्यय किये गये ।

(ग) पहिली योजना में छोटे पैमाने की योजनाओं से ९५ लाख एकड़ भूमि को लाभ मिला । दूसरी योजना में ९० लाख एकड़ भूमि को लाभ हुआ ।

(घ) वर्ष १९६१–६२ में छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अधीन वास्तविक प्रगति सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि १९६२–६३ के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजनाओं पर चर्चा के समय किये गये मूल्यांकन के आधार पर यह आशा की गयी थी कि १९६१-६२ में छोटी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा १७ लाख एकड़ को लाभ हुआ ।

चावल का उत्पादन

†४६९. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में देश में चावल का अनुमानित उत्पादन क्या होगा;

(ख) उसी अवधि में सरकार द्वारा वसूली का कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस समय सरकार ने विदेशों से कितना चावल मंगाया है तथा देश में कितना वसूल हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : (क) १९६२-६३ में चावल के उत्पादन सम्बन्धी अनुमानित आंकड़े केवल अप्रैल १९६३ में प्राप्त हो सकेंगे ।

(ख) कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । तथा इस वर्ष कार्यक्रम और गहन होगा ।

(ग) जुलाई १९६२ के अन्त में केन्द्रीय रक्षित डिपो में ७.७ लाख टन चावल था । इसमें ४.५ लाख टन चावल आयात किया हुआ था तथा अवशेष देशी चावल था ।

केन्द्रीय खोपड़ा समिति

४७०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खोपड़ा समिति के सचिव ने १० से १८ अप्रैल, १९६२ के बीच मिनिकाय, सक्कादीव व अन्य द्वीपों की अध्ययन यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन यात्रा का क्या प्रयोजन था;

(ग) क्या दौरे के बाद उन्होंने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या निश्चय किया ?

†**कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) द्वीपों में खोपड़े की खती के सम्बन्ध में सलाह देने के लिय ।

(ग) जी हां ।

(घ) भारतीय केन्द्रीय खोपड़ा समिति के सचिव के प्रतिवेदन में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

(१) क्षेत्रीय खोपड़ा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ।

(२) केरूरगोड़ तथा कपानगुलम के खोपड़ा अनुसंधान केन्द्र के कृषि विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं तथा मिस्त्रियों का प्रशिक्षण ।

(३) काटे गये खोपड़ा उद्योग का विकास ।

उक्त सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

पी० एल ४८० समझौते का पुनरीक्षण

४७१. **श्री चलमंदा रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० समझौते का वार्षिक पुनरीक्षण हो गया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) कई बातें यथा अमेरिका का उत्पादन, उनके द्वारा दिये गये वचन, वाणिज्यिक विक्रय, हमारी आवश्यकता तथा वर्ष १९६२–६३ का अमेरिका का आयात कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया गया तथा आयात कार्यक्रम अल्पाधिक रूप से निश्चित कर दिया गया । १९६२–६३ में गेहूं और चावल का आयात पिछले वर्ष से कुछ अधिक होगा जिससे कि रक्षित राशि में वृद्धि हो सके ।

नेवेली लिगनाइट से आंध्र प्रदेश को विद्युत

४७२. **श्री मलमंदा रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा कर सकते हैं :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह मद्रास राज्य के नेवेली लिगनाइट से अस्थायी तौर पर आंध्र प्रदेश को विद्युत् का संभरण करने की व्यवस्था करे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निश्चय किया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कटवा में विद्युत परियोजना

†४७३. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के कटवा स्थान में एक और परियोजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा;

(ग) उसके समाप्त होने का निर्धारित समय क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान को भाखड़ा से बिजली

४७४. **श्री तनसिंह :**
श्री मुरारका :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा परियोजना से राजस्थान को बिजली मिलने के क्या लक्ष्य थे;

(ख) क्या इन लक्ष्यों में इस बीच संशोधन किया गया है; और

(ग) उपरोक्त लक्ष्यों की पूर्ति किन अंशों में हुई और न होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) राजस्थान, भाखड़ा नगल प्रणाली से उपलब्ध बिजली के उस भाग के १५.२२ प्रतिशत का अधिकारी है जो कि संयुक्त

†मूल अंग्रेजी में

कोश भोक्ताओं नामश: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बचता है। अप्रैल, १९६२ तक, राजस्थान का हिस्सा १४,५०० किलोवाट था और उसके बाद २१,००० किलोवाट।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राजस्थान ने केवल लगभग ८००० किलोवाट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी हाल ही तक रतनगढ़ और बीकानेर में ग्रिड-उपकेन्द्र पूर्ण नहीं हुए थे।

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

४७५. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण कर लिया है कि विभिन्न रेलवे खंडों में कौन सी नरो गज लाइनें जारी रहेंगी और कौन सी छोटी और बड़ी लाइनों में बदल दी जायेंगी; और

(ख) यदि हां तो उसके विस्तृत विवरण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सरकारी नैरो गेज लाइनों को बनाये रखने या उनको छोटी या बड़ी लाइनों में बदलने के लिये अथवा उनको समाप्त करने के लिये कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि अभी हाल इन लाइनों की मोटे तौर पर कीमत आंकी गयी है। यह मामला बोर्ड के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंजन डिब्बों और माल डिब्बों का निर्यात

†४७६. **श्री हेम राज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने इंजन, डिब्बे और मालडिब्बों को आयात करने की योजना बना रही है;

(ख) इस आयात में कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी;

(ग) हमारे देश में कितने इंजन डिब्बे बनाये जायेंगे; और

(घ) विदेशी मुद्रा की कमी से नैरो गेज लाइनों के इंजन डिब्बों के आयात के कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :**

(क) इंजिन—

भाप से चलने वाले इंजिन . .	कोई नहीं
डीजिल से चलने वाले इंजिन . .	५८५
बिजली के इंजिन . .	२१३
कुल इंजिन	७९८

†मूल अंग्रेजी में

डिब्बे	कोई नहीं
माल डिब्बे	कोई नहीं
(ख) लगभग	८१ करोड़ रुपये ।
(ग) इंजिन—	
भाप से चलने वाले इंजिन	१२१५
डीजिल से चलने वाले इंजिन	२९
बिजली के इंजिन	१६१
कुल इंजिन	१४०५
डिब्बे—(बोगियां)	
सामान्य डिब्बे	७४१५
इ० एन० यू० डिब्बे	१०२९
रेल कारें	१६४
कुल डिब्बे	८६०८
माल डिब्बे (चार पहिये वाले)	१४६०००

(घ) नैरो गेज लाइनों के इंजिन डिब्बों के आयात के कार्यक्रम में अभी तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, तथापि कार्यक्रम का पुनरीक्षण करना होगा क्योंकि सम्पूर्ण आवश्यकता को देखते हुए विदेशी मुद्रा बहुत कम है ।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति

†४७७. **श्री मोरारका :** क्या **रेलवे** मन्त्री २० जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन परिस्थितियों में दो सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को दुर्घटना जांच समिति में नियुक्त किया गया था ;

(ख) वे किन तिथियों को सेवानिवृत्त हुये थे ; और

(ग) उन्हें अब तक क्या पारिश्रमिक दिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) समिति को स्वतन्त्र प्रविधिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिये जो कि उनके रेलवे के अनुभव पर आधारित होता है ।

(ख) श्री जे० एन० नन्दा, १९४८ में भूतपूर्व निजाम स्टेट रेलवे के सामान्य प्रबन्धक के रूप में और श्री देवदत्त, १९४९ में रेलवे के मुख्य सरकारी निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुय थे ।

(ग) प्रत्येक को २३०० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फतहपुर-चूरू रेलवे लाइन पर रेलवे का किराया

†४७८. **श्री मोरारका** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फतहपुर-चूरू रेलवे लाइन किराये को साधारण बनाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६०-६१ में लाइन के चालू होने के वित्तीय परिणाम ये थे कि चार्ज किये जाने वाले फासले में १०० प्रतिशत वृद्धि से पूंजी व्यय पर आय केवल १·१ प्रतिशत थी । इसलिये यह निर्णय किया गया है कि वृद्धि जारी रहे । तथापि स्थिति पर समय समय पर विचार होता रहेगा ।

त्रिपुरा में भूमि संरक्षण

†४७९. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य और कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में भूमि-संरक्षण के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही किन क्षेत्रों में की जा रही है ;

(ग) १९६२-६३ में कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) जी हां । इनमें प्रदर्शन और अनुसन्धान, कर्मचारियों का प्रशिक्षण भूमि-सर्वेक्षण और भूमि के उपयोग का आयोजन, भूमि को कृषि योग्य बनाना, कन्टूर बन्द बनाना, खाली पहाड़ी क्षेत्रों में बन लगाना और भूमि पर नियन्त्रण करना ।

(ख) कैलाशहर, सदर, सब्रूम, उदयपुर, धर्म नगर, सोनामुरा और बलोनिया उपविभागों में ।

(ग) ३·८० लाख रुपये ।

शाहदरा के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

४८०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८०½ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहदरा में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभ देने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : यह विषय विचाराधीन है ।

टिड्डी दल द्वारा रेल गाड़ी का रोका जाना

†४८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ जून, १९६२ को ७ अप पटना गया यात्री गाड़ी टिड्डी दल द्वारा रोक ली गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**] (क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

जहाज निर्माण का लक्ष्य

†४८२. {**श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री र० स० पांडे :

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जहाज निर्माण के लक्ष्य को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में जहाज निर्माण का लक्ष्य यह था कि ३७५,००० जी० आर० टी० की वृद्धि की जाये, जिसमें १९४,००० जी० आर० टी० को बदलना भी शामिल है। ५५ करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से ५१ करोड़ रुपये केवल टन भार को बढ़ाने के लिये है। योजना के पहले वर्ष में ३७५,००० जी० आर० टी० के अर्जन (वचन दिये गयेथे।) यह केवल ३७ करोड़ रुपये के खर्च से किया गया है। आशा है कि १४ करोड़ रुपये के शेष से १७५,००० टन की वृद्धि की जा सकती है। इस प्रश्न पर विचार कर लिया गया है कि जहाज निर्माण का लक्ष्य ३७५,००० टन से ५५०,००० टन तक बढ़ा दिया जाये, इसमें से बदला जाने वाला २००,००० टन भार भी सम्मिलित है।

ग्राम्य पंचायत के लिए डाक मुख्यालय

†४८३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ग्राम पंचायत के प्रत्येक मुख्यालय में डाकघर बनाने का विचार है;

(ख) क्या सब उपविभागीय, ताल्लुक और पुलिस स्टेशन मुख्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन और तार की सुविधायें दी गई हैं ; और

(ग) ऐसे स्थानों की कुल संख्या क्या है और विभाग कितने वर्षों में लक्ष्य पूरा कर सकेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी नहीं।

(ख) केवल उपविभागीय मुख्यालयों में।

(ग) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५**]

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर पुल

†४८४. **श्री कुन्हन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४७ पर कारीपुजा नहर पर पुल बनाने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) क्या काम शुरू कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब समाप्त होगा ?

†**संचार तथा परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) २,२१,०००।

(ख) काम के लिये टेंडर हाल में स्वीकार किये गये हैं।

(ग) काम के दो वर्षों में समाप्त हो जाने की आशा है।

मछली उद्योग

†४८५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या खाद्य और कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव, मालदीव, कावरथ, मिनीकाय और अन्य द्वीपों में मछली उद्योग को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) मालदीव, स्वतन्त्र देश है। अन्य द्वीपों में मछली उद्योग बढ़ाने के प्रस्ताव हैं ;

(ख) प्रस्ताव में निम्न चीजें शामिल हैं :

(१) ताजी तथा सुखाई हुई मछली के उद्योग के लिये वर्तमान मीनक्षेत्रों को बढ़ाना;

(२) द्वीपों के लोगों को आधुनिक सामान और यन्त्रीकृत नावों क प्रयोग में प्रशिक्षण;

(३) साहाय्य प्राप्त दरों पर नावें और सामान देना ;

(४) द्वीपों के लोगों को कारखानों को देने की शक्ति के लिये मछली का तेल निकालने का प्रशिक्षण देना ;

(५) ट्यूना मछली के मिनीकाय तरीकें को लोकप्रिय बनाना ;

(६) मासमीन (सुखाई हुई ट्यूना) की तैयारी में प्रशिक्षण देना ;

(७) निर्यात के लिये ट्यूना को डिब्बों में बन्द करने के लिये अग्रिम योजना बनाना;

(८) गैर-यन्त्रीकृत नावें बनाने के लिये द्वीपों के लोगों को ऋण देना।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये विद्युत शक्ति का संयुक्त संग्रह

४८६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री २५ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिये विद्युत् शक्ति का एक संयुक्त संग्रह बनाने के बारे में इस बीच कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयुक्त उपक्रम की मुख्य-मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद डिवीजन में पुल का गिरना

४८७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रेलवे मन्त्री १२ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २७ मई, १९६२ को मुरादाबाद डिवीजन में दासनी और लंढौरा स्टेशनों के बीच सोलानी पुल पर हुई दुर्घटना की जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उसके अनुसार क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि सोलानी में जो नया पुल बन रहा है, उस पर दुर्घटना का कारण यह था कि रौलिंग में कुछ रुकावट आ जाने की वजह से अनुप्रस्थ बल (horizontal force) एकाएक असामान्य रूप से बढ़ गया ।

(ख) कमेटी की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

औषधीय पौधे

†४८८. **श्री म० क० कुमारन :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में औषधीय पौधों के व्यापक अध्ययन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे कीमती पौधों के अध्ययन में भाषाओं के अन्तर के कारण कठिनाई होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इनके नामों में एकरूपता लायेगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) से (ग). यह सरकार का एक उद्देश्य है कि इन के नामों में एकरूपता लाई जाये । देश के विभिन्न भागों में औषधीय पौधों के सर्वेक्षण की योजनाएं विचाराधीन हैं । हरिद्वार की एक योजना की मंजूरी दे दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोविन्द सागर बांध पर गहरे पानी में मछली पकड़ना

†४८९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोविन्द सागर बांध पर गहरे पानी में मछली पकड़ने के काम को विकसित करने के लिये विदेशी विशेषज्ञ नियोजित किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ?

†**खाद्य और कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

सुकिन्डा में खानों और पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन

४९०. **श्री महन्ती :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुकिण्डा खान से पारादीप के नये पत्तन तक नई रेलवे लाइन बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का सर्वेक्षण कब शुरू किया जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) सर्वेक्षण को १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में शुरू करने का विचार है ।

नीलगिरि रोड स्टेशन

†४९१. **श्री महन्ती :** क्या **रेलव** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नीलगिरी रोड स्टेशन के सुधार के लिये प्राधिकारियों को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि स्टेशन को जाने वाली सड़क पर समपार न होने के कारण पैदल चलने वालो और बैलगाड़ियों को कठिनाई होती है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के परामर्श से स्टेशन जाने वाली सड़क पर एक नया समपार बनाने की योजना विचाराधीन है । राज्य सरकार से कहा गया है कि वह नियमानुसार समपार का खर्च उठाये, किन्तु उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हीराकुड बांध परियोजना

†४९२. **श्री गो० महन्ती :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हीराकुड बांध परियोजना से प्रभारित उन व्यक्तियों की संख्या क्या है, जिन्हें अब तक प्रतिकर नहीं दिया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गैर अदायगी के कारण ; और

(ग) सरकार कब तक प्रतिकर पूरा दे देगी ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) २०,००० प्रभावित प्रतिकारों में से लगभग ४,००० को प्रतिकर देना बाकी है ।

(ख) शेष राशि की गैर-अदायगी के निम्न कारण हैं :

(१) जिन मामलों में अदायगी नहीं की गई, वे अधिकतर ऐसे हैं जिनमें लेने वाले के अधिकार के बारे में विवाचन हो रहा है ।

(२) १५.४५ लाख रूपये की राशि अभी नहीं दी गई, क्योंकि प्रतिकर की राशि के बारे में झगड़ा है और इन्हें विवाचन के लिये निर्दिष्ट किया गया है ।

(३) बहुत से मामले ऐसे हैं जिन में प्रतिकर बहुत कम होने के कारण पक्ष अदायगी लेने के लिये नहीं आते । ऐसे मामलों में राशियां राजस्व निक्षेपों के रूप में खजाने में जमा कराई जायेंगी ।

(ग) यदि न्यायालयों में प्रस्तुत मामलों और विवाचन के मामलों का एक साल तक निर्णय हो गया, तो सभा विचाराधीन मामले १९६४ के शुरू तक निपट जायेंगे ।

बहरापन

†**४९३. श्री प्र० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ब्रिटेन में पुराने बहरेपन के इलाज के लिये प्लास्टिक की नकली हड्डियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है ?

(ख) क्या इस देश में ऐसे प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : ब्रिटेन में प्लास्टिक की नकली हड्डियों को पुराने बहरेपन के कुछ मामलों में सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है ।

(ख) और (ग). मालूम हुआ है कि मद्रास मेडिकल कालेज हस्पताल में ऐसे आपरेशन किये जा रहे हैं । विस्तृत जानकारी मंगवाई गई है और यथा समय पटल पर रखी जायेगी ।

मनीपुर के ग्रामों में बिजली लगाना

†**४९४. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण नगरों और ग्रामों में बिजली लगाने के प्रबन्ध कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). तीसरी योजना की अवधि में १४८ नगरों और ग्रामों में बिजली लगाई जानी थी । इनमें से १५ में ३१-३ ६२ तक बिजली लगाई जा चुकी हैं । शेष काम जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इम्फाल जल सम्भरण योजना

†४६५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६६१ में इम्फाल जल सम्भरण योजना के वर्तमान परिमाण में वृद्धि करने के लिए अस्थाई प्रबन्ध किया गया था ;

(ख) कितनी वृद्धि की गई थी और कितनी लागत पर ;

(ग) पाइप लाइन को हाल के बाढ़ के पानी से कितना नुकसान पहुंचा था । और

(घ) जल सम्भरण पुनः जारी करने में कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) :** (क) जी हां ।

(ख) पानी में वृद्धि १.५ लाख गैलन हुई थी और लागत ६६,७५८.७५ रुपये आई थी ।

(ग) ३० फुट लम्बा पाइप बह गया था ।

(घ) पानी का स्थाई सम्भरण ३ दिन के अन्दर बहाल कर दिया गया था और अस्थाई सम्भरण का प्रश्न अभी विचाराधीन है । यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक बहाल हो जायेगा ।

गुन्टूर जिले में फलों को जल्दी उठाने के प्रबन्ध

†४६६. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुन्टूर जिले के लाइमफल उगाने और निर्यात करने वाली की सन्था ने उन्हें ७ जुलाई का एक ज्ञापन दिया था जिस में प्रार्थना की गई थी कि रेलवे द्वारा लाइम-फल हावड़ा को जल्दी भेजने के लिये प्रबन्ध किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां ।

(ख) विशेष प्रबन्धों के अनुसार लाईम से भरे ५५ पार्सल डिब्बे यात्री पार्सल गाड़ियों द्वारा तेनालि से हावड़ा भेजे गये थे । इस के अतिरिक्त जनता एक्सप्रैस और हावड़ा मेल के डिब्बे तेनालि से भर के भेजे गये थे, जिन में क्रमशः २०० थेले और ५० थैले लाइम के रखे गये थे । व्यापारियों की ओर से और मांग नहीं की गई और जुलाई १६६२ के पिछले कुछ दिनों में मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों पर सारे स्थान का प्रयोग नहीं किया गया ।

देश में बिजली

†४६७. **श्री वेंकया वेंकय्या :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित बिजली पैदा करने की योजनाएं—आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा कब केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय जल विद्युत आयोग और योजना आयोग द्वारा प्रविधिक मंजूरी के लिये प्रस्तुत की गई थीं ;

(ख) विभिन्न योजनाओं की प्रविधिक मंजूरी कब दी गई थी ;

(ग) क्या ऐसी किन्हीं योजनायें मंजूरी के लिये विचाराधीन हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस का ब्योरा ?

†सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६]

क्षुधा से मुक्ति

†४६६. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'क्षुधा-से-मुक्ति-आन्दोलन' की राष्ट्रीय आन्दोलन समिति ने इस सम्बन्ध में भारत के लिये कोई कार्यक्रम निश्चित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की क्या विशेषतायें हैं ;

(ग) यह आन्दोलन कब शुरू किया गया था ; और

(घ) उस को अभी तक क्या सफलतायें मिली हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संग्रह करना, शैक्षणिक और अनुसंधान सम्बन्धी कार्यवाहियां और भूख तथा कु-पोषण के कारण उत्पन्न होने वाले मानवीय कष्टों को कम करने के लिये जो आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है, कुछ परियोजनायें चालू करना।

(ग) १ जुलाई, १६६० ।

(घ) (१) क्षुधा से मुक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन निधि स्थापित की गई है। उस निधि में अंशदान के लिये अपील जारी की गई है। निधि को दिये जाने वाले अंशदानों को आयकर, दानकर और व्यय कर से विमुक्त कर दिया गया है।

(२) सूचना-संग्रह और शैक्षणिक कार्यवाहियों से संबंधित साहित्य के परिचालन द्वारा आन्दोलन के उद्देश्यों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। आन्दोलन के संबंध में एक गोष्ठी जनवरी १६६१ में की गई थी। अनुसंधान प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के पास कई अनुसंधान परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की सिफारिशें भेजी गई है।

(३) कार्य सम्बन्धी कुछ परियोजनायें तैयार की गई हैं, जिन में से दो—वैज्ञानिक रूप से तैयार किये जाने वाले कुक्कुट-भोजन को तैयार करने और फल तथा सब्जियों के उत्पादन में सुधार करने के संबंध में—शुरू की जा रही हैं। निधियों की कमी के कारण, जापानी औजारों के प्रचार और भारतीय किसानों को उन का प्रयोग सिखाने, अधिक प्रोटीन वाले खाद्यों के सम्भरण के लिये कुक्कुट-पालन तथा सुअर-पालन का विकास, भेड़ों की किस्म बेहतर बनाने, पौधों के संरक्षण के उपायों को तीव्र बनाने, पोषक भोजन का प्रचार, खाद्य और पशु-पालन के संरक्षण और कारगर उपयोग के काम में विज्ञान तथा तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करना—इन योजनाओं के लिये विदेशी सहायता की बात चलाई जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

लेह में कृषि अनुसंधान फार्म

†५००. **श्री प्र० के० देव :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार लद्दाख क्षेत्र में लेह में एक कृषि अनुसंधान फार्म स्थापित करने का प्रयास कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां किये गये परीक्षणों से यह निष्कर्ष निकला है कि वहां सब्जियां, चारा या खाद्यान्न पैदा किये जा सकते हैं ; और

(ग) यह मंत्रालय उस फार्म का नियंत्रण प्रतिरक्षा मंत्रालय को क्यों सौंप रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त सूचना से लगता है कि :—

(१) मक्का उगाने का प्रयास सफल रहा है ;

(२) कई प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं ;

(३) धान की खेती का प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से फार्म का नियंत्रण १-७-१९६२ से प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया है ।

चीनी तकनीक-विशेषज्ञों का सम्मेलन

†५०१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई के मध्य में दिल्ली में चीनी-तकनीक विशेषज्ञों का एक सम्मेलन मिलों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन ने क्या मूल्यांकन किया और चीनी उत्पादन की वृद्धि के लिये क्या उपाय सोचे गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली-लन्दन बस-सेवा

†५०२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन और संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और लन्दन के बीच एक सीधी बस सेवा चालू करने के प्रस्ताव पर विचार करने में क्या प्रगति हुई ; और

(ख) उस मामले में क्या निर्णय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री बहादुर)** : (क) और (ख). दिल्ली और लन्दन के बीच एक नियमित सीधी बस सेवा चालू करने के प्रश्न के सम्बन्ध में तभी निर्णय किया जा सकेगा, जब उन देशों की सरकारों के साथ पारस्परिक करार हो जायें जिन में हो कर बस जायेगी। मिले जुले राज्यों के साथ किये जाने वाले पारस्परिक करारों के आधार सम्बन्धी नियमों को, जिन के आधार पर नियमित वाणिज्यिक यातायात को सुविधाजनक बनाया जा सकता है, अन्तिम रूप दिया जा रहा है। नियमों का प्रारूप बनाया जा चुका है और जनता की राय लेने के लिये उन को प्रकाशित किया जा चुका है।

एयर इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा का उपार्जन

†**५०३. श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन और संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एयर इंडिया' ने १९५९, १९६० और १९६१ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की ;

(ख) ये आंकड़े किस आधार पर तैयार किये गये ; और

(ग) 'एयर इंडिया' ने १९५९, १९६० और १९६१ के बीच व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की मांग की और प्राप्त की .

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) निगम के अनुसार वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के दौरान उपार्जित/बचाई गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

वर्ष	विदेशी मुद्रा उपार्जित/बचाई गई सकल	विदेशी मुद्रा व्यय	विदेशी मुद्रा उपार्जित/बचाई गई शुद्ध
	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)	(लाख रुपये)
१९५८-५९ . .	११३१.१८	८६९.९९	२६१.१९
१९५९-६० . .	१२९६.५३	९७५.२३	३२१.३०
१९६०-६१ . .	१८८६.४२	१४२२.८६	४६३.५६

(ख) (१) सकल राजस्व को एक मोटे तौर पर दो भागों में—भारत में और विदेशों में की गई बिक्री के अनुपात में —उपार्जित और बचाई गई विदेशी मुद्रा बताने के लिये बांटा जाता है। भारत में की गई बिक्री हालांकि भारतीय रुपये की मुद्रा में अदा की जाती है, फिर भी निगम ने इसे बचाई गई विदेशी मुद्रा मान लिया है, इस आधार पर कि राष्ट्रीय वाहन न होता तो विदेशी विमान सेवायें वह यातायात करतीं और देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाती।

(२) विदेशी मुद्रा के व्यय को सकल राजस्व में से घटा दिया जाता है। विदेशों से खरीदी गई आस्तियों का अवक्षयण और पुराने पड़ने की गुंजाइश व्यय में रहती है।

(३) सकल राजस्व और व्यय के बीच का अन्तर विदेशी मुद्रा की शुद्ध आय/बचत के रूप में दिखाया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ के दौरान विमानों और शुद्धप्राती पुर्जों के अतिरिक्त अन्य पुर्जों और उपकरण की खरीद के लिये निगम द्वारा मांगी गई और उसको दी गई विदेशी मुद्रा की राशि इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

	विदेशी मुद्रा मांगी गई	विदेशी मुद्रा दी गई
१९५८–५९	२२२.९८	२१७.९३
१९५९–६०	२६०.२५	२०३.००
१९६०–६१	४४२.३०	३२०.००

छोटी सिंचाई

†*५०४. डा० क० ल० राव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये छोटी सिंचाई के लक्ष्य (एकड़ और व्यय) क्या है जो विभिन्न स्रोतों के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किये गये हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष की सफलतायें क्या है ; और

(ग) यदि कोई अभाव हो तो सरकार उसे किस प्रकार पूरा करने का इरादा रखती है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत छोटी सिंचाई पर १७६–७६ करोड़ रुपये के व्यय का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास और सहकार क्षेत्रों से भी धन उपलब्ध होगा।

जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है, तीसरी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन में बताया गया हैं कि तीसरी योजना अवधि में कुल १२८ लाख एकड़ भूमि का छोटी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसमें ९५ लाख एकड़ भूमि कृषि क्षेत्र और ३३ लाख एकड़ भूमि में सामुदायिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत होगी। इन लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुबन्ध १) में दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७]

यह जानकारी स्रोतवार उपलब्ध नहीं है।

(ख) १९६१–६२ के लिये छोटी सिंचाई कार्यक्रम की वास्तविक सफलताओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किन्तु, १९६२–६३ के लिये राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा के दौरान किये गये मूल्यांकन के आधार पर १९६१–६२ के दौरान छोटी सिंचाई की अनुमानित सफलता १७ लाख एकड़ है।

(ग) १९६१–६२ के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। किन्तु तीसरी योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये छोटी सिंचाई के कार्य में तीव्रता लाने के लिये अक्तूबर, १९६१ में छोटी सिंचाई के बारे में तीन प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किये गये थे। इन सम्मेलनों ने सर्वेक्षण,

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक पहलू के बारे में कार्यवाही करने के लिये एकीकृत अभिकरण, पंचायतों के जरिये सामुदायिक कार्यों की देखभाल, छोटी सिंचाई के तरीकों और पानी के प्रयोग के बारे में व्यावहारिक अनुसन्धान आदि की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशें की। सम्मेलन ने यह सिफारिश भी की कि कृषि उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाली सारी बचत इस कार्यक्रम में लगाई जाये और आवश्यक हो तो और धन भी उपलब्ध किया जाये।

नई दिल्ली में नजफ़गढ़ नाला

†५०५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नजफ़गढ़ नाले पर किया जा रहा निर्माणकार्य अब तक समाप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बारिश का मौसम आ जाने से दिल्ली में बाढ़ आने और पानी के दूषित होने का अन्देशा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति का, जो हर साल उत्पन्न होती है, सामना करने के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय किये गये है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) काम चल रहा है।

(ख) कुछ क्षेत्रों के जलमग्न होने की संभावना हैं। पानी के दूषित होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि नाले का पानी जहां गिरता है उससे काफी दूर और जहां से पानी लिया जाता है उसके पास ही एक बन्ध बना दिया गया है।

(ग) जहां तक बाढ़ का सम्बन्ध है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एक योजना कार्यान्वित कर रहा हैं जिस पर अनुमानतः ७२.२० लाख रुपया खर्च होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान नालियों के पुनर्निर्माण तथा नई नालियां बना कर जिन क्षेत्रों के जल मग्न होने की आशंका हैं वहां से पानी को तेजी से हटाने की व्ययवस्था की जायेगी।

जल संभरण के दूषित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कांक्रीट के स्लीपर

†५०६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कांक्रीट के स्लीपर सफल सिद्ध हुए है और क्या उन्हें कुछ लाइनों पर काम में लाया जा रहा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : भारत में कांक्रीट स्लीपरों की उपयोगिता, उनकी अवधि और प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिये किये जा रहे परीक्षण जारी हैं।

पंजाब के गांवों में बिजली लगाना

†५०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **पंजाब** राज्य को १९६२-६३ में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये कोई पृथक अनुदान दिया गया हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता।

होशियारपुर में परिवार-नियोजन केन्द्र

†५०८. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के होशियारपुर जिले में दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कितने परिवार-नियोजन केन्द्र खोले गये और वे कहां स्थित हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में होशियारपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों में परिवार-नियोजन केन्द्र खोले गये :—

(१) होशियारपुर

(२) गगरेट

(३) नंगल।

एलोपैथी और देशी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर

†५०९. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एलोपैथी और देशी चिकित्सा प्रणाली के कितने निवृत्त डाक्टरों को १९६१ और १९६२ में पुनः बुलाया गया या उनका कार्यकाल बढ़ाया गया और इसके क्या कारण थे ; और

(ख) कार्यकाल बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक

†५१०. श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज्य और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी विपणन संस्था की स्थापना के मामले में श्रीगणेश करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना बनाई गयी है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†५११. **डा० क० ल० राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के लिये इस समय कितने लोग अंशदान कर रहे है ;

(ख) योजना के अन्तर्गत कितने दवाखाने काम कर रहे हैं ; और

(ग) एक डाक्टर को प्रति दिन औसतन कितने रोगियों को देखना पड़ता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की सुविधा १,१४,१७० लोगों को उपलब्ध हैं ।

(ख) स्थिर ४३

चलते-फिरते २

(ग) प्रत्येक डाक्टर को प्रति दिन ११८ लोगों को देखना होता है ।

मद्रास में टेलीफोन बोर्ड

†५१२. **श्री उमानाथ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास परिमण्डल के विभिन्न केन्द्रों के टेलीफोन बोर्डों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मद्रास की वर्तमान क्षमता कितनी है और उसमें कितनी वृद्धि प्रस्तावित है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). विवरण अनुबन्ध १ और २ में दिया गया है । **[पुस्तकालय म रखा गया । देखिये एल० टी०–३१०–६२]**

उत्तर रेलवे के दावा कार्यालय

†५१३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के गठन के बाद जोधपुर,बीकानेर, दिल्ली और वाराणसी में दावा कार्यालय काम कर रहे हैं और उन चारों का एक यूनिट (एकक) है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एकीकरण की तारीख अर्थात् १४ अप्रैल, १९५२ में इन कार्यालयों के सभी कर्मचारियों की वरिष्ठता-क्रम की सूची तैयार की गई और प्रकाशित की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । किन्तु ३३५–४२५ (अधिकृत श्रेणी) से निम्न श्रेणी की पदोन्नति के लिये ये कार्यालय पृथक् एकक समझे जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति के अनुसार वरिष्ठता की सूचियां रखी जाती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर में मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†५१४. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या गुजाटी आयोग ने ऐसे कार्यों के बारे में पानी के विवादों का हल करने के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है ;

(ग) क्या तुंगभद्रा नदी और जलाशय के दोनों किनारों पर सिंचित सीमावर्तीगावों को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये तुंगभद्रा नदी के पात्र अथवा जलाशय से पानी लेने पर कोई प्रतिबन्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मैसूर की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से योजना आयोग ने एक को मंजूरी दे दी है ।

(ख) इस विषय पर ७-८-६२ को सभा पटल पर एक विवरण रखा जा चुका है ।

(ग) और (घ) तुंगभद्रा से पानी तटीय राज्यों के बीच हुए करार के उपबन्धों के अनुसार लिया जा सकता है । नदी से सीधे पानी लेने के प्रत्येक मामले पर गुणों के आधार पर निर्णय करना होता है ।

लोको शैड को नीमच से चित्तौड़ ले जाना

†५१५. **श्री बड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच का लोकोशैड हटा कर चितौड़ ले जाने का शासन का विचार है ;

(ख) क्या इस बाबत नीमच की जनता से कुछ पत्र तथा सुझाव आये हैं ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो, तो नीमच से लोकोशैड उठाने का क्या कारण है ; और

(घ) इसमें शासन को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) मध्य प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य से प्रतिवेदन मिले हैं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

---

†तूल अंग्रेजी में

टेलीफोन कनेक्शन

५१६. **श्री बड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्दसौर जिले में वर्ष १९५७ के सामान्य चुनाव के समय कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ;

(ख) कितने लोगों पर दिनांक २२ जुलाई, १९६२ तक रकम बकाया थी ; और

(ग) कुल कितनी रकम बकाया थी व उसकी वसूली अभी तक क्यों नहीं की गई।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगवती) : (क) ५।

(ख) १।

(ग) १६८.५० रुपये। उक्त रकम अब अदा कर दी गई है।

डाक तथा तार विभाग को देय राशि

५१७. **श्री बड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दौर में कांग्रेस अधिवेशन के समय विभाग द्वारा की गई सेवाओं के लिये कितनी रकम बकाया है ;

(ख) अभी तक वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब तक वसूली होने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) कुछ नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सूखे से प्रभावित फसल

†५१८. **श्री नाथ पाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षा का आगमन विलम्ब से होने के फलस्वरूप देश के बड़े भागों में फसल को बहुत क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति होने का अनुमान है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** (क) इस वर्ष देश के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भागों (पूर्व-उत्तर भाग को छोड़) में वर्षा का आगमन दो से ले कर चार सप्ताह तक विलम्ब से हुआ और पठार में (मद्रास, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा को छोड़) वर्षा का आगमन यथासमय हुआ किन्तु जून के अधिकांश दिनों वर्षा नहीं हुई। इसके फलस्वरूप इन भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी और खरीफ की तयारी के कामों और बोनी में विलम्ब हुआ तथा पहले जो बीज बोया गया था उसकी फ़सल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(ख) जन में वर्षा न होने से कृषि उत्पादन पर संभवतः क्या प्रभाव पड़ा होगा या खड़ी फसल को कितनी क्षति पहुंची इस बारे में अभी कोई ठीक-ठीक अनुमान लगाना

†मूल अंग्रेजी में

संभव नहीं है । जुलाई में हुई वर्षा संतोषजनक है और हो सकता है वर्षा के विलम्ब के आगमन का समग्र कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े ।

डी० टी० यू०

†५१९. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन उपक्रम को २० डबल डेकर बसों की खरीद के लिये आयात लाइसेंस देने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है और ये बसें संभवत: कब तक चलने लगेंगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को एक डबल डेकर (दुमंजिली) बस के चैसिस (ढांचे) के आयात के लिये लाइसेंस दिया जा रहा है । मेसर्स अशोक लीलैन्ड्स को भी इस उपक्रम के लिये एक डबल डेकर के चैसिस आयात करने की अनुमति दी गई है । एक डबल डेकर बस जनवरी, १९६३ में चलने लगेगी और आशा है कि दूसरी बस मार्च, १९६३ में चलने लगेगी । डबल डेकर बसों के चैसिस के आयात के लिये दिल्ली परिवहन उपक्रम का कोई आवेदन केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत नहीं है ।

पठानकोट में वैगनों का अभाव

†५२०. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के पठानकोट सेक्शन में अनाज के यातायात के लिये पर्याप्त वैगन न होने के बारे मे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). प्रश्न का निर्देश संभवत: उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगिन्दर नगर की छोटी लाइन के स्टेशनों पर अनाज के यातायात से है । पठानकोट होकर इस लाइन के स्टेशनों तक माल के यातायात में विलम्ब के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । छोटी लाइन की क्षमता सीमित होने के कारण इस लाइन के स्टेशनों का यातायात कोटे के आधार पर किया जाता है जिससे कभी-कभी यातायात में विलम्ब हो जाता है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस लाइन की क्षमता बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

पूना-बंगलौर एक्सप्रैस के पटरी से उतरने की जांच

†५२१. { **श्री मोहसिन :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस अधिकारी को पूना-बंगलौर एक्सप्रैस गाड़ी के पटरी से उतरने के कारणों की जांच का काम सौंपा गया था क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि पूना और बंगलौर के बीच रेलमार्ग का ठीक रख-रखाव नहीं होता और रेल की पांतों में खराबी के कारण दुर्घटना हुई है ;

(घ) क्या सरकार इस पूरे मार्ग की उचित प्रविधिक कर्मचारियों द्वारा जांच करायेगी ;

(ङ) क्या यह सच है कि इस दुर्घटना में जो ब्रेक्समैन मर गया उसने गाड़ी को बड़ी दुर्घटना से बचाने के लिये अपनी जान दे दी ;

(च) क्या यह सच है कि वह अपने पीछे विधवा पत्नी और छः बच्चे छोड़ गया है ;

(छ) क्या मुआवजा दे दिया गया है ; और

(ज) क्या सरकार मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सहानुभूति के तौर पर कोई और भत्ता देने को सोच रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने प्रारंभिक प्रतिवेदन दे दिया है । उनकी उपपत्तियों के अनुसार रेल की पांतों के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने छेड़छाड़ की जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना हुई ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) रेल-मार्ग की नियमित जांच रेलवे के सक्षम प्रविधिक कर्मचारियों द्वारा की जाती है तथा रेलमार्ग की और जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) वह अपने पीछे पांच छोटे बच्चे और गर्भवती विधवा पत्नी छोड़ गया है ।

(छ) ३५०० रुपये ।

(ज) ५०० रुपये अनुग्रहात् दे दिये गये हैं । विधवा पत्नी को उचित नौकरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

६०,००० रुपये में खरीदा गया गधा

†५२३. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री पु० र० पटेल :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसूर के राजस्व मंत्री, श्री एम० वी० कृष्णप्पा द्वारा २० जुलाई को मैसूर विधान सभा में दिये गये वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने

†मूल अंग्रेजी में

देश के विभाजन के तुरन्त बाद साठ हजार रुपये में एक गधा खरीदा था और वह अभी जीवित है, का पता है ;

(ख) उस गधे का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस का इतना अधिक मूल्य क्यों है और इस सौदे के लिये कौन जिम्मेदार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). पंजाब सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी प्रौद्योगविज्ञों का सम्मेलन

†५२४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नें जुलाई, १९६२ के दूसरे सप्ताह में दिल्ली में चीनी प्रौद्योगविज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन ने भारत में कच्ची चीनी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया ;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) उनको क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). भारतीय चीनी मिल संस्था ने, कच्ची चीनी के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर, विचार करने के लिये, १८ जुलाई, १९६२ को नई दिल्ली में चीनी प्रौद्योगविज्ञों की एक बैठक बुलाई उनकी राय यह थी कि निर्यात के लिये भारतीय कारखानों में कच्ची चीनी बनाना संभव है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोसी तट बन्ध

५२५. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी के दोनों तटबन्धों के अन्दर की जमीन की सतह ऊंची हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वजह से पानी बीच मे नहीं रह कर तटबन्धों के किनारे अधिक जमा रहता है तथा पूर्वी तटबन्ध को खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पूर्वी तटबन्ध को खतरा पैदा होने से पूर्वी नहर को भी खतरा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तटबन्धों के बीच की जमीन के स्तर के ऊपर उठाने का कोई प्रत्यक्ष रुख अभी स्थापित नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). नदी के साधारण निम्न बहाव केवल "चैनल" भाग में ही हैं। बाढ़ के दिनों में पानी का बहाव तट से तट तक ही रहता है और ऐसी परिस्थितियों में तटबन्धों पर बड़ा दबाव पड़ता है, जिससे उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त उपायों की आवश्यकता पड़ जाती है।

कुष्ठ रोग का उपचार

†५२६. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में कुष्ठ रोग के उपचार में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्योरा है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). एशिया के लिये जापानी कुष्ठ मिशन द्वारा अनौपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में तेलयाडा सहकारी फार्म कोटद्वार में कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिये एक अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव का ब्योरा अभी प्रतीक्षित है ।

डाकघरों में अतिरिक्त समय के भत्ते का भुगतान

†५२७. **श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय के भत्ते के भुगतान के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी , हां। एक विभागीय समिति नियुक्त की गई है ।

(ख) और (ग). अभी नहीं परन्तु रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की संभावना है ।

मध्य प्रदेश में नगरीय जल संभरण और जल-निस्सारण

†५२८. **श्री दाजी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जल-निस्सारण और नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिये मध्य प्रदेश सरकार की कितनी मांग है; और

(ख) कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ९२९.८५ लाख रुपये ।

(ख) ४८०·९० लाख रुपये ।

उत्तर रेलवे पर रेल-दुर्घटना

५२९. **श्री रणंजय सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५ मार्च, १९६२ को उत्तर रेलवे के जंघई तथा नीमापुर रेलवे स्टेशनों के बीच ५ अप गुड्स ट्रेन से ट्रक नम्बर यू पी० एक्स ६५० के लड़ जाने के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जौनपुर में जो जांच हुई थी उसमें उस दुर्घटना के लिये कौन दोषी ठहराया गया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय ने उपर्युक्त दुर्घटना में आहत व्यक्तियों के आश्रितों को उचित प्रतिकर देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जौनपुर के सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने इस दुर्घटना के लिये ५ अप डाक गाड़ी के ड्राइवर, श्री बाल मुकुन्द को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इस निष्कर्ष से रेल प्रशासन सहमत नहीं है। प्रशासन ने इससे पहले विभागीय जांच की थी जिसके अनुसार ट्रक-ड्राइवर दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उसने, आती हुई गाड़ी के बावजूद, रेलवे समपार को पार करने की कोशिश की थी, जिस पर चौकीदार नहीं रखा गया है। जिस समपार पर चौकीदार नहीं रहता, वहां सावधानी बरतने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सड़क पर चलने वाले की होती है।

(ख) इस सम्बन्ध में जो दावे मिले हैं उन्हें रेल प्रशासन ने नामंजूर कर दिया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

श्वेत कुष्ठ[1] के लिये दवाई

†५३०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या स्वास्थ्य मंत्री श्वेत कुष्ठ के लिये दवाई सम्बन्धी २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने जांच पूरी कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) पंजाब सरकार से रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) रिपोर्ट मिल जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

तार प्रोत्साहन धन योजना

†५३२. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार प्रोत्साहन धन योजना के बारे में डाक यूनियनों और सरकार के बीच वार्ता समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां।

(ख) निर्णयों को लागू करने के आदेश २-५ १९६२ को जारी किये गये।

बम्बई सिडनी जेट सेवा

†५३३. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और सिडनी के बीच जेट सेवा में क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Leuco-derma

(ख) इस सेवा से कितनी सफलता मिली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) एयर इण्डिया ७ मई, १९६२ से बम्बई---बैंगकाक---सिंगापुर---डारविन---सिडनी मार्ग पर साप्ताहिक बोइंग ७०७ जेट विमान सेवा चला रही है।

(ख) इस मार्ग पर निर्धारित रूप से विमान सेवा चल रही है परन्तु आय सन्तोषजनक नहीं है ।

भारतीय विमान नियमों में संशोधन

†५३४. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विमान नियमों में कुछ संशोधनों के बारे में अभिरुचित संगठनों से प्राप्त विचारों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों में, उनको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये, अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). सरकार ने तब से प्रारूप लाइसेंसिंग नियमों पर प्राप्त विचारों पर विचार कर लिया है। इस बारे में भारतीय विमान नियमों में संशोधन करने वाली अन्तिम अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जावेगी।

राजस्थान नहर

†५३५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर से प्राप्त लाभों को, जोधपुर जिले में बाय और फलोदी तक, सिंचाई और पीने के पानी के संभरण के लिये, देना संभव हो सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). बाय और फलोदी क्षेत्र इतने ऊंचे हैं कि राजस्थान नहर से बहाव द्वारा वहां पर पानी ले जाना संभव नहीं है। अभी बिजली से पानी के संभरण की संभावना की जांच की जा रही है। राजस्थान सरकार इस जांच के लिये चौथी योजना में निधि की व्यवस्था करेगी क्योंकि, यदि व्यवहार्य हुआ, तो बिजली द्वारा पानी राजस्थान नहर परियोजना की दूसरी प्रावस्था में ही दिया जा सकता है।

फेफड़ों का कैंसर

†५३६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि बहुत से डाक्टरों की राय है कि सिगरेटों का पीना फेफड़ों के कैंसर का कारण है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धूम्रपान को बन्द करने का है तथा इस कार्य के लिये आन्दोलन करने का है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार जानती है कि कई योरोपीय सरकारों ने तम्बाकू के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये वैधानिक कदम उठाये हैं तथा उठा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस देश में भी यही कार्यवाही करने का है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) अब तक एकत्रित जानकारी से मालूम होता है कि सिगरेटों के पीने से, गले, मुंह तथा फेफड़ों का कैंसर हो जाता है।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाहियां की हैं :—

१. भारत के एक राज्य, पश्चिम बंगाल में बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा तम्बाकू रखने तथा खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

२. सिनेमा गृहों तथा ट्रामों में धूम्रपान वर्जित है तथा रेलवे और सरकारी परिवहन बसों में मनाही है।

३. प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है। भारत सरकार ने कैंसर के खतरों तथा इस रोग का काफी पहले पता लगाने के बारे में कई पुस्तिकायें निकाली हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने देश में कैंसर विरोधी आन्दोलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित फिल्में बनाई हैं :—

१. फौम वन सैल

२. क्रूसेड

३. प्राबलम आफ अरली डायगनोसिस

४. सेव दीज़ लाइव्ज

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पौदा संरक्षण निदेशालय

†५३७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पौदा संरक्षण निदेशालय का विस्तार करने का है; और

(ख) देश में विभिन्न फसलों को कीटाणुओं, टिड्डियों, तथा रोगों से कुल कितने प्रतिशत वार्षिक मूल्य की हानि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) कीटाणुओं तथा पौदों में रोगों के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष १० से २० प्रतिशत फसल तथा पौदे नष्ट हो जाते हैं। कुल हानि लगभग एक हजार करोड़ रुपये की है। टिड्डियों से १९६० में ७.५ लाख रुपये की तथा १९६१ में ६.२५ लाख रुपये की हानि हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ

५३८. **श्री बड़े :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कहां-कहां नये राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण हो रहा है ;

(ख) इस कार्य में १९६१-६२ में कितना धन खर्च हो गया ;

(ग) क्या अम्बिकापुर से वाराणसी का राष्ट्रीय राजपथ अम्बिकापुर-कटघरा-बिलासपुर तक ले जाया जा रहा है ; और

(घ) क्या उक्त कटघरा से बिलासपुर तक जो रास्ता बना है उस पर अभी तक पुल नहीं बने ?

†**जहाजरानी के मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) निर्माण किये जा रहे तीन नये राष्ट्रीय राजमार्ग ये हैं :—

(१) रा० रा० सं० ११—उत्तर प्रदेश में आगरा से राजस्थान में भरतपुर-जयपुर-सीकर और रतनगढ़ होते हुये बीकानेर तक ।

(२) रा० रा० सं० १२—मध्य प्रदेश में जबलपुर से ब्रह्मपुत्र शाहपुरा-उदयपुरा-ओबेदुल्लागंज और भोपाल होते हुये बियावरा तक ।

(३) रा० रा० सं० १३— महाराष्ट्र में शोलापुर से कुश्तगी और होसफेट होते हुये मैसूर में चीतल दुर्ग तक ।

(ख) १९६१-६२ में इस निर्माण कार्य पर १,७७,७२१ रुपये खर्च किये गये ।

(ग) अम्बिकापुर-वाराणसी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बिलासपुर तक बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

(घ) कटघरा-बिलासपुर सड़क प्रदेश सड़क है । इसलिये इस के छूटे हुये पुलों के बारे में इस विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बिजली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : विद्युत् की कमी और उसके सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत् मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में श्री फ्रेंक एन्थनी के एक स्थगन प्रस्ताव और तीन ध्यान दिलाऊ प्रस्तावों की पूर्व सूचना आई है। श्री फ्रेंक एन्थनी अपने स्थगन प्रस्ताव के प्रवेश्य होने के बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : माननीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली के विद्युत् संकट की उन पर कोई वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है और उनके पास कोई प्राधिकार नहीं है, इसलिये वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई भी केन्द्रीय मंत्री ऐसी बात कैसे कह सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार का प्राधिकार उस पर है या नहीं। श्री फ्रैंक एन्थनी का कहना है कि केन्द्र का प्राधिकार है पर मंत्री उस से इन्कार कर रहे हैं। क्या इसे स्थगन-प्रस्ताव का विषय बनाया जा सकता है ? यदि माननीय मंत्री की बात मान ली जाये कि केन्द्र का प्राधिकार नहीं है, तो स्थगन प्रस्ताव का कोई आधार ही नहीं बनता।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : अनुच्छेद २३९ के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का भार राष्ट्रपति को सौंपा गया है। निगम अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत् उपक्रम के प्रबन्ध और नियंत्रण की स्पष्ट शक्ति केन्द्र को दी गई है। और माननीय मंत्री कहते हैं कि उनका कोई प्राधिकार ही नहीं है : माननीय मंत्री का कथन स्पष्टतया ग़लत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार उस उत्तरदायित्व से इन्कार करती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कल इस वाद-विवाद के समय मैं यहां मौजूद नहीं था पता नहीं माननीय मंत्री ने ठीक-ठीक क्या कहा था। जो भी हो, मैं यह नहीं कहता कि केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

केन्द्र उत्तरदायी है, और यह भी सही है कि उत्तरदायित्व कई विभागों में बंटा हुआ है। भारत सरकार का उत्तरदायित्व भी विभिन्न मंत्रालयों में बंटा हुआ है। विभिन्न विषय विभिन्न मंत्रालयों में बंटे हुए हैं और सभी मंत्रालय गृह-कार्य मंत्रालय की देखरेख में चलते हैं। इस मायने में सिंचाई और विद्युत् मंत्री का कथन सही नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं करता।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन माननीय मंत्री ने तो यह कहा था कि उनका उत्तरदायित्व है ही नहीं और इन प्रश्नों का उत्तर भी वह इसलिये दे रहे हैं कि पहले गृह-कार्य मंत्री, स्वर्गीय पंडित पन्त के साथ उन्होंने निजी तौर पर इन प्रश्नों के उत्तर देने का करार कर लिया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सही है। जब पंडित पन्त गृह-कार्य मंत्री थे तब उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों से अपने सम्बन्धित विषयों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिये कहा था। विभिन्न मंत्रालयों में उत्तरदायित्व बंटा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को असंतोष इसीलिये है कि माननीय मंत्री ने कह दिया था कि केन्द्रीय सरकार का कोई प्राधिकार ही नहीं।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि माननीय मंत्री ने कहा था कि केन्द्र को हस्तक्षेप करने का कोई प्राधिकार ही नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, यह कहा जा सकता है कि हस्तक्षेप करने की कार्यपालक शक्ति गृह-कार्य मंत्रालय के ही पास है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य) : तब फिर इस वाद-विवाद के समय गृह-कार्य मंत्री को उपस्थित रहना चाहिये था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आपको प्राधिकार की क्षमता और सीमा बतलाने की कोशिश कर रहा हूं । मेरा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार इसके लिये उत्तरदायी है, उसके विभिन्न मंत्रालयों में काम का बटवारा चाहे जैसे भी हो । और, मेरा ख्याल है कि इस सम्बन्ध में काम करने का आदेश या निदेश गृह-कार्य मंत्रालय को देना चाहिये । हां, उसे राय दी जा सकती है । पर, विद्युतीय शक्ति जैसी खास-खास चीजों को सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को ही संभालना चाहिये । यदि वह न कर सके, तो भी गृह-कार्य मंत्रालय को निदेश देना चाहिये ।

मैं भारत सरकार का दायित्व अवश्य स्वीकार करता हूं । यदि बंगाल या महाराष्ट्र या किसी भी राज्य में केन्द्रीय सरकारी उपक्रम द्वारा विद्युत-संभरण किया जाता हो, तो उसके फेल होने का दायित्व केन्द्र पर ही आयेगा । और यदि राज्य का उपक्रम होगा तो राज्य पर आयेगा । केन्द्र का उपक्रम होने पर भी राज्य का कुछ उत्तरदायित्व हो सकता है । चूंकि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में है, इसलिये यहां कुल मिला कर केन्द्र का दायित्व है । दिल्ली के लिये मोटे तौर पर गृह-कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है । दिल्ली निगम से भी इसका कुछ ताल्लुक हो सकता है । वह एक स्वायत्त निकाय है । मैं यह नहीं कहता कि निगम पर इसकी ज्यादा जिम्मेदारी है । लेकिन सिंचाई और विद्युत् और स्वास्थ्य जैसे विशेषीकृत विषय तो सम्बन्धित मंत्रालयों को ही संभालना चाहिय । उसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय के आदेश की जरूरत नहीं है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : सरकार ने दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया । उसमें केन्द्र के लिये स्पष्ट शक्ति की व्यवस्था मौजूद है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा एक सुझाव है । यदि सरकार अपना दायित्व स्वीकार करती है, तो यह असफलता सरकार की है । और तब माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार है । सरकार को इस के बारे में एक स्पष्ट निर्णय कर लना चाहिये । यदि विधि मंत्री अभी चाहें, तो अभी, या कल इसका स्पष्टीकरण कर दें । मैं इसे कल सुबह तक के लिय रोक सकता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : प्रधान मंत्री ने सरकार का दायित्व स्वीकार कर लिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल माननीय मंत्री ने पूरा दायित्व पंजाब सरकार और दिल्ली निगम का बताया था इसीलिये मैं पूछ रहा हुं कि क्या सरकार उसे अस्वीकार करती है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हमने अपने स्थगन प्रस्तावों में दायित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठाया है । बल्कि यह कि कल के वाद-विवाद के बाद से स्थिति और बिगड़ गई है । एक और संयंत्र बेकार हो चुका है ।

मंत्रिमंडल इस तरह जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है । इसके लिये उसकी निन्दा की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो उससे नहीं रोक रहा हूं। उसके लिये माननीय सदस्य एक निन्दा प्रस्ताव रख सकते हैं। हां, लेकिन उनके स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि माननीय मंत्री कल अपने वक्तव्य में एक और संयंत्र बिगड़ने का उल्लेख कर चुके हैं।

मैं तो श्री फ्रैंक एन्थनी के स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहा था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो मामले की संवैधाकि स्थिति बतलाने का प्रयास किया था। खेद है कि मुझे उसकी ब्यौरेवार जानकारी नहीं थी। मुझे अभी अभी माननीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री के वक्तव्य की एक प्रति मिली है। उन्होंने इस सिलसिले में पंजाब और दिल्ली का उल्लेख किया था। जाहिर है कि यदि पंजाब विद्युत् का संभरण करता है और यदि पंजाब में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी तो केन्द्र पर नहीं आती, वैसे कुछ जिम्मेदारी हो सकती है। मैंने कहा था कि जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, जिम्मेदारी भारत सरकार की है। सफाई के तौर पर कहा जा सकता है कि पंजाब मे जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी पंजाब पर है। लेकिन केन्द्र की अपनी जिम्मेदारी भी है, मैं इससे इन्कार नहीं करता...

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा था :

> "मैं अर्ज करूं कि जो वह फरमाते हैं वह कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लिखा न होने के बावजूद हम इंटरवीन करते हैं, वह एक अलग बात है। मैं तो इस वक्त यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक कांस्टीट्यूशनल और लीगल जिम्मेदारी का सवाल है, वह मेरी नहीं है। मुझको कोई अख्तियार नहीं है। मैं उसके अन्दर दखल नहीं दे सकता।"

†**श्री ब्रह्म प्रकाश** (बाह्य दिल्ली): वह ट्रान्सफार्मर तो पंजाब सरकार का था, जो खराब हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात तो माननीय मंत्री कह चुके हैं। मुझे अपनी बात तो खत्म करने दीजिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यही तो मुश्किल है। सिद्धान्त और कानून के रूप में जिम्मेदारी होना एक बात है और व्यवहार के रूप मे दूसरी बात। व्यवहार में जिम्मेदारी बंटी हुई हो सकती है। हो सकता है कि व्यवहार मे उसकी सीधी जिम्मेदारी इस मंत्रालय की न हो।

संवधानिक रूप में जिम्मेदारी भारत सरकार की है, मैं मानता हूं। लेकिन उसके साथ एक सफाई भी है कि वह पंजाब सरकार का काम है। पंजाब सरकार का, या दिल्ली निगम का जिसका भी हो, वह तो अलग बात है।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : एक औचित्य प्रश्न है। यहां प्रश्न तो यह है कि केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं ? प्रधान मंत्री इसमें दूसरे-दूसरे प्रश्नों को उठा रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हस्तक्षेप तो कई चीजों में हो सकता है। हम हमेशा ही सलाह दे कर या ऐसी ही किसी तरह से हस्तक्षेप करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सही स्थिति तो विधि मंत्री बतायेंगे, पर मुझे इसमें शक है कि हम पंजाब सरकार को इसके बारे में कोई निदेश दे सकते हैं। वैसे हम परामर्श देते हैं, और पंजाब सरकार उसे मानती भी है। लेकिन यदि उनकी भरसक कोशिशों के बावजूद कोई मशीन फेल हो जाती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम उसके बारे में संवैधानिक रूप में कोई निदेश कैसे जारी कर सकते हैं। अन्यथा हम हस्तक्षेप तो करते ही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय विधि मंत्री सही स्थिति बतायेंगे ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** जैसा कि प्रधान मंत्री ने अभी बतलाया है, इस मामले में कई प्राधिकारों के सम्मिलित क्षेत्राधिकार हैं। इसलिये पूरी चीज का अध्ययन किये बिना मैं यह नहीं बता सकता कि मुख्य उत्तरदायित्व किसका है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री समय चाहें, तो मैं इसे सोमवार तक रोक सकता हूं। इस पर एक बार स्थिति का पूरा-पूरा स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

हम इसको सोमवार को लेंगे। माननीय मंत्री इसके सभी पहलुओं पर पूरा पूरा प्रकाश डालें। हम इसे सोमवार के चार बजे लेंगे।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यदि केन्द्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी गम्भीर चीज होने पर, हमें उसकी जिम्मेदारी निश्चित करने में ही इतना समय लगता है, तो कहीं कोई बड़ी खामी होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** खामी तो कहीं न कहीं हो ही सकती है। मैं पूरी बात सुनकर और सलाह करके ही अपना निर्णय देना चाहता हूं।

†**श्री नाथ पाई** (राजपुर) : क्या मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कह सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं विधि मंत्री की बात सुनने के बाद ही, माननीय सदस्यों की राय लूंगा। मैं माननीय सदस्यों को इसका अवसर दूंगा।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी :** मैं चाहूंगा कि माननीय विधि मंत्री इन प्रश्नों को सामने रख कर उत्तर दें :—

पहला तो यह कि दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण, क्या यह केन्द्र का सीधा दायित्व नहीं है ?

दूसरा यह कि क्या सभी विद्युत् उपक्रम केन्द्र के सीधे प्रबन्ध और नियंत्रण में नहीं चलते ?

तीसरा यह कि चूंकि रोहतक में संभरण का फेल होना केवल संयोग की बात है और मुख्यतः जो दिल्ली का संयंत्र ही खराब हुआ था, इसलिये क्या सीधी जिम्मेदारी केन्द्र पर नहीं आ जाती ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम ध्यान दिलाने का प्रस्ताव लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रामकृष्णपुरम् में पीने के पानी की कमी

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में पीने के पानी का संकट ।

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: क्या मैं डा० सुशीला नायर की ओर से, एक लिखित वक्तव्य पढ़ सकता हूं ।

श्री बागड़ी : ऑन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर, सर ....

अध्यक्ष महोदय : अभी तो उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं और प्वाएंट ऑफ आर्डर पहले आ गया । आप कहना चाहते होंगे कि आपको जवाब हिन्दी में दिया जाय । मैं बाद में आपको हिन्दी में समझा दूंगा ।

श्री बागड़ी : अब किसी अंग्रेजी वाले का कौलिंग एटेंशन है नहीं और यह पहले से ही मंत्री महोदय को पता है कि मैंने हिन्दी में नोटिस दिया है और यह कि मैं हिन्दी मे ही उत्तर चाहता हूं तो फिर यह अंग्रेजी में उनका उत्तर देना कहां तक ठीक है ? .... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य बैठ जायं । अब अगर मिनिस्टर साहब हिन्दी में नहीं बोल सकते तो उनको अखत्यार है कि वे अंग्रेजी में बोलें ।

मैं मेम्बर साहब को समझा दूंगा । जरा उनको सब्र से काम लेना चाहिये ।

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से हिन्दी का स्टेटमेंट पढ़े देता हूं :—

रामकृष्णपुरम रिंग रोड की दक्षिण की तरफ हाल ही में बनी एक आवासिक बस्ती है, जिस केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ११०० एकड़ के एक भूमि-खण्ड पर विकसित किया है । उन्होंने एक एक हजार क्वार्टरों के चार पड़ौसी एककों का विकास किया जिनमें से पड़ोस नं० १ के केवल एक हजार क्वार्टर ही मई और जून १९६२ में दिये गये हैं । नगर निगम ने बतलाया है कि इस बस्ती में स्थायी जल प्रदाय की व्यवस्था जून, १९६३ तक होगी जिसके लिये नये नल बिछाये जा रहे हैं और एक बूस्टर पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना है । तब तक के लिये, एक अन्तरिम साधन के रूप में, दिल्ली नगर निगम ने इस बस्ती को छावनी जलाशय के मौजूदा २३ इंची नल से जल देने का निश्चय किया है । यह जल ३ घण्टे सुबह और २ घण्टे शाम को दिया जायेगा । इस बस्ती को जल प्रदाय आदि नागरिक सुविधायें देने की मद तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । ११०० एकड़ क्षेत्र को जल देने में वृद्धि करने के लिये दिल्ली नगर निगम ने ८१ लाख रुपये की लागत की एक योजना तैयार कर ली है । तृतीय पंचवर्षीय योजना में जल प्रदाय एवं सफाई योजनाओं के लिये ९·१७ करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है । और ११०० एकड़ के विकसित क्षेत्र को आवश्यक जल प्रदाय आदि का यह काम ९·१७ करोड़ रुपये की लागत की व्यापक योजनाओं का एक अंग है । निगम ने इस मंत्रालय से आर्थिक सहायता के लिये कहा है और

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुशीला नायर]

उनको सूचित कर दिया गया था कि उनकी और अधिक आर्थिक सहायता की प्रार्थना पर तब विचार किया जायेगा जब ९.१७ करोड़ रुपये की यह राशि बढ़ाई जायेगी ।

यह बस्ती दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में है; जल का नल नई दिल्ली नगरपालिका के नियंत्रण में है; और क्वार्टर तथा जल प्रदाय सेवायें अभी भी केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन हैं, जिनके पास नई दिल्ली नगरपालिका से एक कनेक्शन है। इस नल में दिल्ली नगर निगम द्वारा छावनी जलाशय से जल दिया जाता है । इस बस्ती में जल-प्रदाय का नियमन इस समय केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है । निगम ने बतलाया है कि अब जब कभी उन्हें रामाकृष्णपुरम् में जल-प्रदाय सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वे केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा नई दिल्ली नगरपालिका को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी जाती हैं । निगम ने यह भी कहा है कि उनके वाटर वर्क्स में बिजली की गड़बड़ का भी छावनी जलाशय के जल-प्रदाय पर प्रभाव पड़ता है और किसी-किसी दिन इस कारण भी शिकायतें हो सकती हैं ।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर क्वार्टरों के नजदीक जो कई हजार झुग्गियां भी हैं, जिन को इलैक्शन में वोटों के नाते से बसाया गया था, उनमें रहने वाली आबादी के लिये क्या वहां पर पानी देने का प्रबन्ध करने का कोई विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या पास में खड़ी हो जाने वाली झुग्गियों को भी पानी पहुंचाने की बात है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जहां तक झुग्गियों की बात है, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस में काफ़ी दिक्कतें पड़ी हैं और बहुत सी जगह पर झुग्गियां ग़ैर-कानूनी तरीके से बन गई हैं । हमने कोशिश की कि वे वहां से हटें । कुछ उनको हटाया भी है । काफ़ी विरोध भी होता है, तब भी काफ़ी सहूलियत के साथ उनको हटाया गया है । जो बचे हैं, जहां तक हो सकता है, खास तौर से न्यू देहली म्युनिसिपल कमेटी उनको पानी और कुछ रौशनी देने का इन्तज़ाम करने की कोशिश करती है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

श्री बागड़ी : मैंने यह पूछा है कि रामकृष्णपुरम की झुग्गियों में पानी देने का विचार है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि जो झुग्गियां हैं, कमेटी उनको देखेगी ।

†**श्री राम रतन गुप्त** (गोंडा) : मेरे ध्यान दिलाओ नोटिस का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को उसके बारे में इत्तिला मिल गई होगी कि उस का क्या हुआ है । माननीय सदस्य बैठ जायें । उनका कालिंग अटेन्शन नोटिस एजेन्डे में नहीं है ।

†**श्री राम रतन गुप्त** : मैं आपका ध्यान . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आनरेबल मेम्बर साहब बैठ जायें । वह मेरी यह बात सुनलें कि यह कायदा या नियम नहीं है कि कोई दूसरी कार्यवाही चल रही हो, तो कोई मेम्बर साहब खड़े हो जायें और उसी वक्त अपनी बात कहना शुरू कर दें । अगर उन को अपने कालिंग अटेन्शन नोटिस के

†मूल अंग्रेजी में

बारे में इत्तिला नहीं मिली, तो उन को चाहिये कि वह मेरे पास आ कर दर्यापत कर लें और उस के बाद कोई बात करना चाहें, तो करें ।

†**श्री राम रतन गुप्त** : मझे सूचित किया गया था कि मेरा प्रस्ताव आज लिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता लगाऊंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सच है कि रामाकृष्णापुरम् जाने वाले १,००० परिवारों को आश्वस्त किया गया था कि उन को पर्याप्त जल मिलेगा ? क्या यह भी सच है कि दूसरी मंजिल के लोगों को पानी बिलकुल मिल ही नहीं पाता ? यदि हां, तो क्या प्रबंध किया गया है ?

†**डा० द० स० राजू** : नगरपालिका निगम छावनी के जलाशय को सीमित मात्रा में पानी दे रहा है---तीन घंटे सुबह और दो घंटे शाम को ।

नगरपालिका निगम ने एक यह आश्वासन दिया था कि जून १६६३ तक पानी की सप्लाई चौबीस घंटे की हो जायेगी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं, श्री जगजीवन राम की ओर से भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६४४ में प्रकाशित भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, १६६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालयों में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-३०२/६२]**

आश्वासनों के बारे में सरकारी कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं विभिन्न सत्रों में, जोकि प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :---

(क) अनुपूरक विवरण संख्या १	प्रथम सत्र, १६६२ (तीसरी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या २	सोलहवां सत्र, १६६२ (दूसरी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ४	पन्द्रहवां सत्र, १६६१ (दूसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६ से ६१]

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, १६५४ की धारा ४७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ सितम्बर, १६६१ के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २०(६)/६१ लेब (१) की एक प्रति, जिसमें दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुए हैं, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–३०६/६२]**

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग (१९६०–१९६२) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–३०७/६२]**।

सदस्यों को सज़ा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मेरे पास भोपाल जिला जेल सुपरिंटेंडेंट का दिनांक ७ अगस्त, १९६२ का एक पत्र आया है। उसमें बताया गया है कि ६ अगस्त, १९६२ को लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री हुकुम चन्द कछवाय, रामचन्द्र विट्ठल बड़े और होमी दाजी को भोपाल के प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८८ के अधीन सात दिन की साधारण क़ैद की सजा दिये जाने पर जेल में दाखिल किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या इन सदस्यों को भोपाल जेल में रखा गया है? हमने पढ़ा है कि वहां हालत बड़ी खराब है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पत्र से तो यही मालूम पड़ता है।

पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मुझे सभा को यह बतलाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पश्चिमी बंगाल राज्य में कोयला निक्षेपों के उपयोग और उसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग के तरीके के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच एक करार हो चुका है। इस प्रकार बहुत दिनों से अनिर्णीत पड़ा एक मसला तय हो गया है और पश्चिमी बंगाल में कोयला उत्पादन को पश्चिमी बंगाल और देश के अन्य सभी भागों के लाभ के लिये विकसित करने का मार्ग खुल गया है। मैं उस करार की एक प्रति सभा के सामने रख रहा हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-३०८/६२]**

आपको याद होगा कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि वह अपने राज्य के निरन्तर विकसित होते उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपनी कोयला खानों का विकास करें। उन्होंने इसीलिये भारत सरकार से अनुरोध किया था कि सरकारी क्षेत्र में खानों को स्थापित करने की अनुमति दी जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रबन्ध करने के बारे में केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कुछ मतभेद था। केन्द्रीय सरकार इस मामले पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि तृतीय योजना के अन्तर्गत कोयला उत्पादन की वृद्धि की दृष्टि से राज्य सरकार को उसकी अपनी और अखिल भारतीय योजना में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र कीपरि योजनाओं की

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को कोयला-उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दी जाये ।

इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय कराने के लिये मैंने स्वर्गीय डा० विधान चन्द्र राय से कई बार मुलाकात की थी । हालांकि संबंधित विधियों और नियमों को लागू करने की व्याख्या के बारे में कई मतभेद थे, पर डा० राय ने कोयले के उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण के बारे में केन्द्रीय सरकार के अधिकार पर कभी भी संदेह प्रकट नहीं किया था । सारी बातचीत एक ही मसले के इर्द-गिर्द चल रही थी । उनकी इच्छा थी कि राज्य सरकार को अखिल भारतीय नीति के अधीन चलते हुए अपनी कोयला खानों को चालू और विकसित करने की अनुमति दी जाये । इसी रचनात्मक दृष्टिकोण की सहायता से भारत सरकार राज्य सरकार के साथ समझौता करने में समर्थ हुई है । करार के अनुसार राज्य सरकार अपेक्षित किस्म के कोयले का उत्पादन एक अनुमोदित नीति के अनुसार चालू कर सकेगी और उनका उत्पादन देश में कोयले की कुल सुलभता का अविभाज्य अंग माना जायेगा, हां, उस उत्पादन से राज्य सरकार की योजना द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी जायेगी । उससे बाकी बचे उत्पादन को ही अन्य उपभोक्ताओं के लिये प्रयुक्त किया जायेगा । राज्य सरकार की अपनी परियोजनाओं के लिये भी कोयला नियंत्रक वर्तमान संविहित आदेशों के अनुसार आवंटन करेगा ।

अन्त में, मैं यह भी कह दूं कि यह करार कराने का पूरा श्रेय डा० राय के इस दृष्टिकोण को है कि केन्द्रीय सरकार को कोयले के उत्पादन और वितरण के नियंत्रण का पूर्ण अधिकार है । और इस मामले में उनकी दूरदर्शिता ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था । मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह करार पश्चिमी बंगाल में कोयला-उत्पादन की गति तेज़ करने और तृतीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक बनेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : क्या भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच हुआ यह करार उसी प्रकार का है जैसा कि आम तौर पर राज्य सरकार के साथ होता है या उससे भिन्न प्रकार का है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह करार पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच उठे कुछ स्पष्ट मसलों के बारे में किया गया है, और यदि अन्य सरकारों को भी यह ठीक लगे तो वे ऐसे करार कर सकती हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कोयला-खनन पर पूरा अधिकार राज्य सरकार का रहेगा या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उसका एक भागीदार रहेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : करार में स्पष्ट दिया गया है कि पश्चिमी बंगाल में कोयले के उपयोग पर पश्चिमी बंगाल सरकार का पूर्ण दायित्व रहेगा । भारत सरकार और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम उसकी प्राविधिक और अन्य सहायता करेंगे ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं घोषणा करता हूं कि १३ अगस्त, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य का क्रम इस प्रकार रहेगा :—

१. भारत-चीन सीमा, विशेषकर लद्दाख प्रदेश की परिस्थिति के सम्बन्ध में, प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर चर्चा ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायन सिंह]

२. वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति के गठन के बारे में चर्चा ।

३. भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार और पारण ।

४. १९६२–६३ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवेज़)

और

१९६२-६३ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

५. गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर, संघ लोक सेवा आयोग के १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक के काल के ग्यारहवें प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी सरकारी ज्ञापन पर चर्चा ।

६. गुरुवार, १६ अगस्त को ३.०० बजे मध्याह्न पश्चात्, श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के १ अगस्त, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५९ तक के काल के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

७. श्री श्रीनारायण दास द्वारा एक प्रस्ताव पर, शनिवार, १८ अगस्त को ३.०० बजे मध्याह्न पश्चात्, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड क ३१ दिसम्बर, १९५८ तक के काल के प्रतिवेदन पर चर्चा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम): क्या इस सत्र को बढ़ाया जा रहा है ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह**: मैं अधिकृत रूप से घोषित करता हूं कि वर्तमान सत्र ७ सितम्बर तक चलेगा ।

†**श्री सोनावने** (पंठरपुर): क्या ७ सितम्बर तक के प्रश्नों की पूर्व-सूचना दी जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, यदि उसके लिये समय हो ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : यह घोषणा इसी प्रयोजन से की गई है ।

समितियों के लिये निर्वाचन

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)**: मैं, डा० सुशीला नायर की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४(छ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, डा० द० स० राजू के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है उक्त अधिनियम

---

†मूल अंग्रेजी में

के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४(छ) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दे, डा० द० स० राजू के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्राक्कलन समिति

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-संभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा प्रेक्षित रीति से, श्री शिव राम रंगो राने के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ३११ के उपनियम (१) के साथ पठित नियम २५४ के उपनियम (३) द्वारा प्रेक्षित रीति से, श्री शिव राम रंगो राने के स्थान पर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, ३० अप्रैल, १९६३ को समाप्त होने वाली शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सहकारिता प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (खण्ड १ और २) पर, जो १९ अप्रैल, १९६१ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्कूल, एक पंचायत और एक चिकित्सालय होना ही चाहिये । मैं चाहता हूं कि उसमें एक चौथी चीज़ और जोड़ दी

†मूल अंग्रेजी में

जाये कि एक सहकारी संस्था भी होनी चाहिये । तभी गांवों को आत्म-निर्भर बनाने का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा । हमें इन चीजों को एक जन-आन्दोलन के रूप में लेना पड़ेगा । आशा है तृतीय योजना के दौरान हम गांवों में इन चारों चीजों को सुलभ बना सकेंगे ।

गांवों में पंचायतें तो मौजूद हैं अब सहकारी आन्दोलन भी फैलना चाहिये । आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता अधिक और बेहतर उत्पादन की है । इस काम को सहकारी संस्थायें ही अधिक कार्यक्षमता के साथ कर सकेंगी ।

मैं चाहता हूं कि सहकारिता का यह आन्दोलन देश के कोने-कोने में फैल जाये ।

रक्षित बैंक का सहकारिता आन्दोलन सम्बन्धी प्रतिवेदन केवल १९५६ से १९५८ तक के काल का है । अच्छा होता यदि वह अद्यतन होता ।

हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन का रूप यह है कि गांवों में कृषीय ऋण संस्थायें मौजूद हैं। कुछ बहु-प्रयोजनीय संस्थायें भी हैं । देहाती बैंक भी हैं । ये सभी बड़ी उपयोगी संस्थायें हैं । इसलिये सहकारिता आन्दोलन की दशा इतनी निराशाजनक नहीं है, जितनी कि कुछ लोग बताते हैं ।

राज्यों में कृषीय और औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी सहकारी संस्थायें भी हैं । क्रय-विक्रय की सहकारी संस्थायें भी बनी हुई हैं ।

उनके अलावा, देश में सहकारी आधार पर उपभोक्ता स्टोर्स भी चलाये जा रहे हैं। साथ ही सहकारी आवास संस्थायें भी हैं । स्वीडन ने बड़ी सफलता प्राप्त की है ।

हमारे देश में फसल बीमा और पशु-बीमा योजनायें इतनी लोकप्रिय नहीं बन पाई हैं । उनको लोकप्रिय बनाना चाहिये । सहकारिता प्रशिक्षण दो स्तरों पर होता है । मैं उस दिन की राह देख रहा हूं जब दो स्तर नहीं रहेंगे । न पंजीयनकर्ताओं की आवश्यकता रहेगी और न इन्स्पैक्टरों की और जब सहकारिता आन्दोलन एक बिलकुल गैर-सरकारी आन्दोलन बन जायेगा ।

हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन अपेक्षित तेजी से इसलिये नहीं बढ़ पा रहा है कि कुछ अधिकारी उसकी गति मन्द कर रहे हैं ।

अधिकारीगण इतनी तरह की बाधायें डालते रहते हैं कि सहकारी आन्दोलन वास्तविक जन-आन्दोलन नहीं बन पाता । हमने सहकारी संस्थाओं के सचिवों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये काफी सुविधायें जुटाई हैं, फिर भी सही ढंग के कार्यकर्ताओं की कमी बनी हुई है । अभी तक जनता में उचित वातावरण नहीं बन पाया है । जनता अभी तक नयी प्रगति को अपनी चेतना में समो नहीं पाई है ।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्त्ति)** : माननीय सदस्य ने स्वीडन का उल्लेख किया है. इससे स्पष्ट है कि लोगों में नये ख्यालात आ गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह प्रतिवेदन बड़ा सराहनीय है । इस में प्रशिक्षण और प्रारम्भिक स्कूली स्तर से विश्वविद्यालय तक के स्तर तक शिक्षा के प्रसार का कार्यक्रम मौजूद है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस कार्यक्रम के द्वारा सहकारी आन्दोलन को उचित स्तर तक विकसित किया जा सकेगा ? क्या इसे एक बिलकुल गैर-सरकारी आन्दोलन के रूप में विकसित किया जा सकेगा ? यदि यह हो सका, तो यह आन्दोलन सचमुच एक जन-आन्दोलन का रूप धारण कर सकेगा ।

मैंने माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम देखे हैं । कुछ विश्व-विद्यालयों ने भी सहकारिता सम्बन्धी पाठ्यक्रम चालू किये हैं । लेकिन अपने देश में हमें एक ऐसा माध्यम चुनना चाहिये जो निरक्षर जनता की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके ।

और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने से काम नहीं चलेगा । आवश्यकता है सहकारी संस्थाओं के साधारण सदस्यों को भी प्रशिक्षित करने की । इसलिये शिक्षा और प्रचार के साधनों का अधिक व्यापक उपयोग होना चाहिये । सहकारिता आन्दोलन को प्रशासन के साथ नत्थी करके नहीं रखना चाहिये । अन्यथा यह कार्यक्रम उपयोगी नहीं बन सकेगा ।

तृतीय योजना में इस कार्यक्रम के लिये लगभग १२ करोड़ रुपये अलग रखे गये हैं ।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : १२ करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी, पर मंजूर केवल ८½ करोड़ रुपये हुए हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह राशि तो बहुत कम है । इतने बड़े देश के लिये ८ करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं । इसमें कुछ वृद्धि की जानी चाहिये ।

मैं इस प्रतिवेदन से काफी प्रभावित हुआ हूं । हमारा प्रयास यही होना चाहिये कि यह एक जन-आन्दोलन बन जाये । इस के लिये दो चीजें जरूरी हैं निधियां अधिक दी जायें, और सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों को एक नये स्तर पर लाया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि जिन सज्जनों ने इसको तैयार किया है उन्होंने बहुत मेहनत की है और वह मेहनत सराहनीय है । किन्तु या तो इसमें वह बात लिखी नहीं गई अथवा उन के ध्यान में नहीं रही । एक सब से बड़ी बात जो होनी चाहिये उसका इस में जिक्र नहीं मिलता और वह यह कि आखिर इस सब ट्रेनिंग का जो नतीजा होगा उस का मूल्यांकन हर वर्ष किस प्रकारसे करेंगे ? अगर उस का मूल्यांकन नहीं होता है तो यह सारा रुपया जो लग रहा है वह सही लग रहा है या नहीं या जो तरीका अखत्यार किया जा रहा है वह सही है या नहीं इस का निर्णय नहीं हो सकता है ।

मैं कुछ उदाहरण आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय के सामने और प्रस्तावक महोदय के सामने रखना चाहता हूं और वह यह कि आज भी यह दशा है कि जिले का असिस्टेंट रजिस्ट्रार एक, एक वर्ष तक किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है । अनेकों कारण उस में बतलाये जाते हैं । यदि हमारी ट्रेनिंग सफल हो तो इस प्रकार की रुकावट आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । उससे नीचे चल कर के जहां तक जूनियर आफिसर्स का सवाल है उनकी दशा तो और भी बुरी है । जूनियर आफिसर्स, इंस्पैक्टर्स और असिस्टैंट इंस्पैक्टर्स जो ट्रेनिंग हासिल कर के गांवों में जाते हैं तो उनसे आशा यह की जाती है कि वह लोगों को काम करने का सही रास्ता बतलायेंगे लेकिन अनुभव यह बतलाता है कि बहुत से तो उनमें काम करते ही नहीं हैं और अगर करते भी हैं तो गलत करते हैं और उसका नतीजा भोगना पड़ता है कोआपरेटिव के सदस्यों को । आप आश्चर्य करेंगे कि एक,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशी राम गुप्त]

एक कोआपरेटिव को अपने लिए कर्जा लेने में ८, ८ और ९, ९ महीने लग जाते हैं और उस ९ महीने में उनके अपने गांव से जिला हैडक्वार्टर के २०, २० और २५, २५ चक्कर हो जाते हैं । इसमें उनको काफी परेशानी होती है, काफी समय उन का बर्बाद जाता है और पैसा भी उनका काफी खर्च हो जाता है । उन को काफी इससे घाटा पहुंचता है ।

रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये हुए हैं उनसे प्रतीत होता है कि शायद लगभग ३२०० आदमी सन् १९६० में जूनियर आफिसर्स ट्रेंड हुए हैं । मैनेजिंग कमेटियों के सदस्यों आदि के भी आंकड़े दिये गये हैं । हजारों की संख्या दी गई है । लेकिन जाहिर है कि उन की ट्रेनिंग सही तरीके की नहीं होती है क्योंकि अगर ट्रेनिंग सफल हो तो क्या कारण है कि वर्षों से हालांकि ट्रेनिंग चल रही है लेकिन सोसाइटियों के पदाधिकारी सही तरीके से प्रीनोट आदि भी नहीं बना सकते हैं और बराबर उनका आना जाना लगा रहता है । मैं एक फील्ड वर्कर की हैसियत से बता सकता हूं कि यदि हर एक कोआपरेटिव बैंक की जांच की जाय तो पता लगेगा कि लोगों की लोन ऐप्लीकेशंस जो जाती हैं उनमें कितनी ही ऐप्लीकेशंस वह पास नहीं करते हैं । उन को असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास कितने नोट्स के साथ वापिस करते हैं और सोसइटी फिर उन को और नीचे वापिस करती है और यह तांता लगा रहता है । अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग सही हो, जूनियर अफसर की ट्रेनिंग सही हो और मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स की ट्रेनिंग सही हो तो फिर यह गड़बड़ी पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता ।

अभी अभी मैंने अपने एक क्षेत्र में देखा है कि अनेकों ही नहीं सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस इधर उधर मारी मारी फिरती थीं । उनकी जांच करवाने की मैंने कोशिश की । और वहां के अफ़सरों ने कहा, "साहब, हम क्या करें ? जो ट्रेन्ड स्टाफ़ हमारे पास आया है, वह बिल्कुल निकम्मा है ।" जब उनसे पूछा गया कि यह स्टाफ़ निकम्मा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि सिफ़ारिश की वजह से लोग ले लिये जाते हैं । इसके मानी ये हैं कि अगर इस रिपोर्ट में यह संकेत किया गया होता कि इस काम में उन आदमियों को लेना जरुरी है, जो कि रुरल वायस के हैं और जो इस काम में दिलचस्पी रखते हैं, इस प्रकार का यदि कोई सुझाव होता और उस पर अमल होता, तो वह तरीका ख़त्म कर दिया जाता, जिसमें सिफ़ारिश की बिना पर शहरी लड़के ले लिये जाते हैं, सिफ़ारिश के आधार पर ऐसे लड़के ले लिये जाते हैं, जिनकी इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो सिर्फ़ रोटी कमाने के लिये वहां बैठना चाहते हैं, और उससे ये भयंकर नतीजे सामने आते हैं ?

लेकिन हमारा तो एक रिवाज पड़ गया है कि हम अच्छी तरह से रिपोर्ट तैयार करें । रिपोर्ट तैयार करने में हम सारा दिमाग़ लड़ाते हैं । हमारे शब्द बहुत सुन्दर होते हैं, जिनमें कुछ काट-छांट करने की गुंजायश नहीं होती है । लेकिन जब हम अमल को देखते हैं, तो नक्शा बिल्कुल उलट होता है । यही कारण है कि हमारी को-आपरेटिव मूवमेंट कागज़ पर तो सफल होती नज़र आ रही है, लेकिन वह अमल में सफल नहीं है ।

अभी अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि "दिस मूवमेंट शुड बि ए कामन मैन्ज़ मूवमेंट एंड ए मास मूवमेंट" । मैं उन से निवेदन करूं कि यह कैसे सम्भव हो सकता है, जबकि राजनीतिक दल उस में बेजा तरीके से हस्तक्षेप करते हैं और उस को पीपल्ज़ मूवमेंट नहीं बनने देते । यहां तक हालत होती है कि जब सहकारी संस्थान बनते हैं, तो बराबर यह संघर्ष चलता रहता है कि उन पर किसी पार्टी का अधिकार और अड्डा रहे और किस पार्टी का न रहे । यदि एक पार्टी वाले आ गये, तो दूसरे इस ताक में लगे रहते हैं कि कैसे उनको वहां से हटाया जाये । इस से आम आदमी घबराये रहते हैं कि यह क्या धंधा है ।

मुझे अपने क्षेत्र का पता है कि एक बार ऐसा संघर्ष हुआ कि जो को-आपरेटिव के सदस्य थे, वे कहने लगे, "यह तो हमारा काम है, आप इस में राजनीति को क्यों घुसेड़ते हो ?" लेकिन उन की बात को कौन सुनता है ? सारी मूवमेंट ही इसी दृष्टि से चलाई जा रही है, सारा काम इसी दृष्टि से किया जा रहा है। हो सकता है कि केन्द्र में हमारे नेता और मंत्री महोदय समझते हों कि जो कुछ वे कर रहे हैं, वह जनता के लाभ के लिये कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, वे बाकायदा यही सोचते हैं कि अपनी पार्टी और अपने दल के नाम पर कैसे लाभ उठायें। उस का नतीजा यह है कि आज गांव गांव में पार्टीबाजी हो रही है, कोआपरेटिव्ज में पार्टीबाजी हो रही है।

कोआपरेटिव्ज की पार्टीबाजी का नतीजा यह होता है कि जो लोग आफिसर्ज कहलाते हैं, जो जिले में बैठे हुए हैं, वे जा कर उस में दखल देते हैं और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देते हैं। वे कभी एक के साथ हो जाते हैं और कहते हैं, "हम मैनेजिंग कमेटी को बदलवा देंगे, हम ऊपर लिख देंगे"। कभी वे उस के खिलाफ हो कर दूसरे के साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि अब की दफ़ा हम तुम्हारा साथ देंगे। किसी किसी जगह तो यहां तक होता है कि लोन को रुकवाने के लिये नेताओं के टेलीफ़ोन पहुंच जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को लोन नहीं देना चाहिये। यदि बैंक के मैनेजर से कहा जाता है कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वह कहता है, "हम लोग क्या करें, बड़े आदमियों का टेलीफ़ोन आया है"। इस प्रकार की को-आपरेटिव मूवमेंट का क्या फ़ायदा है और इस ट्रेनिंग का क्या नतीजा है ?

हमारी पहली ट्रेनिंग यह होनी चाहिये कि चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन को-आपरेटिव के मामले में हम सब एक हैं और हम को वहां जी-जान लड़ा कर काम करना है। इस में मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्ज की ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। चार पांच साल में एक दिन दो चार घंटे की ट्रेनिंग से कोई लाभ नहीं होता है। वे भूल-भाल जाते हैं। इस में यह लिखा हुआ है कि उस के लिये स्कूल टीचर्ज से सम्बन्ध रखना चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वह तो तब हो, जब उस में सम्बन्धित व्यक्ति का विश्वास हो।

अगर आप इस बात के भीतर जायें कि ये कर्ज किस तरह से लिये जाते हैं, तो एक भयानक बात हमारे सामने आती है। जो लोग कर्ज लेने के लिये आते हैं, अगर उन को कोई पिछला बकाया रुपया देना है, तो वे गांव के साहूकार से रुपया ले आते हैं, उस को अच्छी कटौती दे आते हैं और इस तरह से वह रुपया जमा कराते हैं। हफ्ते दो हफ्ते के बाद वे फिर रुपया ले जाते हैं। अगर सरकार कहीं यह शर्त रख दे कि एक दफ़ा रुपया वापस करने के बाद छः महीने या एक साल या दो साल बाद कर्जा लिया जाये, तो लोगों की क्या दशा होगी, यह नहीं कहा जा सकता है।

प्रश्न यह है कि कितने परसेंट आदमी को-आपरेटिव्ज के अन्तर्गत आ रहे हैं। मैं उन का जिक्र कर रहा हूं, जिन को हम सर्विस को-आपरेटिव और क्रेडिट को-आपरेटिव कह रहे हैं। बाकी को-आपरेटिव्ज की बात तो बहुत लम्बी-चौड़ी है।

जहां तक ट्रेनिंग का सम्बन्ध है, उस का मूल तत्व ग़ायब है। यह ट्रेनिंग तब सफल हो सकती है, जब यह व्यवस्था की जाये कि जो आदमी इस ट्रेनिंग में आये, उस की भावना शुद्ध हो और उस में काम करने की सही लगन हो। यह काम इस प्रकार का नहीं है कि यह देखा जाय कि सरकारी कर्मचारियों के ग्रेड कम हैं या ज्यादा और उन ग्रेडों के आधार पर काम चलाया जाये। यह काम तो जी-जान से करने का है। हम करते हैं कि इस काम में से सरकारियत हटनी चाहिये। लेकिन सरकारियत हटे कैसे, जब सारा काम सरकारियत के आधार पर चल रहा है, सारी ट्रेनिंग सरकारियत के आधार पर दी जा रही है ? उन को कुछ तो सोचने का मौका दिया जाये कि तुम्हें यह

[श्री काशी राम गुप्त]

सोसाइटी का काम चलाना है । जब हम गांवों में जा कर लोगों को सोसायटी बनाने के लिये कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हमें नहीं सोसायटी बनानी है, लेकिन जब हम उन को प्रलोभन देते हैं कि इस से यह लाभ होगा, वह लाभ होगा, तो वे सोचते हैं कि थोड़ी देर की आसाइश मिलती है, बना लो । लेकिन फिर वे कहते हैं कि अमुक आदमी को हम इस में नहीं लेंगे, अमुक गांव वाले से हमारा बैर और विरोध है, उस को मेम्बर नहीं बनायेंगे । इस प्रकार की पार्टीबाज़ी गांवों में चल रही है । जो राजनीति को-आपरेटिव्ज़ और पंचायतों में घर कर गई है, उस को निकालने का तरीका भी हम को सोचना होगा ।

इस लिए मेरा निवेदन और सुझाव है कि यदि इस ट्रेनिंग को सफल बनाना है तो हम को निश्चित रूप से प्रति-वर्ष इस के मूल्यांकन, का तरीका रखना होगा और वह भी तफ़सील के साथ रखना होगा । वह मूल्यांकन केवल सरकारी आदमियों के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बारे में भी होना चाहिए कि उन सब का नाता एक दूसरे से क्या जुड़ रहा है, किस प्रकार से वे काम कर रहे हैं ।

मैं मार्केटिंग सोसायटीज़ की हालत को जानता हूं । उन पर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है ? वे कौन लोग हैं ? अगर इस बारे में जांच की जाये, तो उन की स्थिति भी बड़ी दयनीय मालूम होती है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर जिस तरीके से अमल किया जा रहा है, उस को हम सफल नहीं कह सकते । १९६० के आंकड़े इस में हैं । १९६१ जा चुका है और १९६२ जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम प्रगति को आंकड़ों से आंकने लगेंगे, तो यह हमारी बहुत ही भयानक भूल होगी । उस के साथ ही हम को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि आन्तरिक रूप से उस की अवस्था क्या है, उस की जड़ें गहराई में जा रही हैं या नहीं । प्रत्येक जिले में जो रोजाना काम हो रहा है, वह किस प्रकार का है, इस की रिपोर्ट तैयार हो । देरी क्यों होती है—रुपए के लिए एक दरख्वास्त कब आई, उस व्यक्ति को कब रुपया मिला और उस के बीच में कितनी हेरा-फेरी हुई, अगर इन तमाम बातों का संकलन करने लगें, तो एक बहुत बड़ा पोथा तैयार हो जायगा और यह भी मालूम हो जायगा कि हम इस में जनता कितना रुपया खर्च करवा रहे हैं, जो कि हमारे आंखों से ओझल है और उस पर उनको कितना रुपया फ़ालतू देना पड़ रहा है, जो हमारे रिकार्ड पर नहीं है और हमारी आंखों से ओझल है ।

जब हम इस रिपोर्ट को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि केवल रिपोर्टें काम नहीं करती हैं, बल्कि उस के भीतर जो भावना निहित है, उस को अमल में लाने के लिए इस बात की व्यवस्था करना आवश्यक है कि जो काम जनता से सीधे सम्बन्धित हैं, वे कैसे फलें-फूलें, खास तौर से सहकारिता के मामले में । यह एक गहन विषय है और यह काम बिना प्रति-वर्ष तफ़सील से मूल्यांकन किये हुए नहीं चलेगा । इस प्रकार का क्वैस्चनेयर (प्रश्नावली) इस में दिया जाता है । इस प्रकार की प्रश्नावली बना कर प्रति-वर्ष प्रत्येक स्टेट और प्रत्येक जिले से रिपोर्ट लेनी चाहिए और वह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट तरीके से, स्वतंत्र रूप से लेनी चाहिए, बजाये इस के कि वह डिपार्टमेंट से ले ली जाये । तब हम को मालूम होगा कि हम कहां जा रहे हैं और हम को कितनी सफलता मिल रही है ।

इस सम्बन्ध में जो नुक्सानदेह बातें हैं, उन को दूर करना निहायत जरूरी है । सब से पहली नक्सानदेह बात है को-आपरेटिव्ज में राजनीति का प्रवेश । इस के बाद आफ़िसर्स को ग़लत तरीके से और सिफ़ारिश के आधार पर छांटना भी एक नुक्सानदेह बात है । सिफ़ारिशें और कहीं शायद

नुक्सान न करती होंगी, लेकिन को-आपरेटिव मूवमेंट में सिफारिश के आधार पर आफ़िसर्ज या दूसरे नौकरों को लेना बहुत ही नुक्सानदेह बात है। इस लिए बहुत ही हिम्मत के साथ इस का मुकाबला करना चाहिए। यह कैसे हो सकता है, इस पर हम को और सरकार को विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जितनी भी स्टेट्स हैं उनका मुकाबला, कुछ आधार हैं जिन पर किया जा सकता है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग समस्यायें भी होती हैं। लेकिन जो जो समस्यायें सब की समान हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उन समस्याओं के ऊपर तो उनकी रिपोर्ट मिलनी चाहिये। क्या कारण है कि राजस्थान में सात सौ आदमी ट्रेन हुए और किसी दूसरी स्टेट में कम या ज्यादा ट्रेन हुए। आप जब प्लान बनाते हैं तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष सुविधायें देते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं है कि वे सुविधायें उनको मिलेंगी या नहीं या किस प्रकार की सुविधायें उनको मिलेंगी। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर अमल किया जाना चाहिये और जो समय आपने दिया है, उस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब दस मिनट हर एक मैम्बर साहब को मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि इतने वक्त में मैम्बर साहब खत्म कर दें।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : सहकारी प्रशिक्षण के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन बहुत अच्छा है। इस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया का कुछ पता नहीं। अध्ययन दल के सुझाव क्रियान्वयन के लिए तृतीय योजना में नहीं शामिल किए गए हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी किसी सहकारी बैंक के प्रबन्ध समिति के व्यक्ति अन्य साधनों की आय पर रह रहे हैं जिस का मतलब यह है कि सहकारिता उन का दूसरा अथवा सहायक व्यापार है। सहकारी को मुख्यतः अपनी संस्था से सम्बन्ध होना चाहिए।

यदि हम यथार्थ में सारे देश में सहकारी समितियां स्थापित करना चाहते हैं, तो सहकारी समितियों का प्रशिक्षण न केवल अधिकारियों को दिया जाना चाहिए वरन् समस्त जनता को।

गुजरात में लोग संयुक्त कृषि समिति या सहकारी कृषि समिति के नाम से घबराते हैं।

जो शिक्षा देनी है वह अध्ययन दल के प्रतिवेदन तक सीमित नहीं रखी जा सकती। सुझाव भी तृतीय योजना में स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सहकारिता का लक्ष्य कब तक पूरा हो सकेगा।

सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायती राज तीनों एक ही मंत्रालय के अधीन हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा केवल जनता को ही नहीं देनी है, बल्कि अधिकारियों को भी देनी है। यह शिक्षा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों से आरम्भ होनी चाहिए।

उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में अध्यापकों और विद्यार्थियों को सहकारिता सम्बन्धी शिक्षा दी जानी चाहिए। अतः शिक्षा मंत्रालय और सहकार मंत्रालय मिल कर काम करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री दीवान चन्द्र शर्मा का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस विषय पर इस सदन में बोलने का मौका हम लोगों को दिया। साथ ही साथ जो अध्ययन दल मंत्रालय ने बनाया, और जिसकी रिपोर्ट पर हम आज वाद विवाद कर रहे हैं, उस के जो नेता थे या जो उसके माननीय सदस्य थे, उनके प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इतना सुन्दर प्रतिवेदन गवर्नमेंट के सामने रखा, जिसके आधार पर सरकार कार्रवाई करने के लिये तैयार है या कर रही है।

यह बात हम सभी जानते हैं कि हमने अपने देश में जो प्रजातांत्रिक जीवन बनाने का निश्चय किया है वह तब तक हर तरह से पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक जीवन में सहकारिता नहीं आती। अब तक हमारे देश में बहुत अंशों में जो उद्योग धंधे चलते रहे और जो खेती होती रही, वह ज्यादातर इस खयाल से होती रही कि हम उन उद्योगों के जरिये से या खेती के जरिये से अधिक से अधिक लाभ स्वयं उठायें। लेकिन प्रजातांत्रिक जीवन का आधार यह होगा कि हिन्दुस्तान के रहने वाले सभी लोग सुखी हों, सभी सम्पन्न हों और सभी अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकें। इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सहकारिता को आधार बनायें। इसी खयाल से आज लगभग ६०, ७० वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिये प्रयत्न होता रहा है। जब हम आजाद नहीं थे, उस समय भी जो यहां पर अंग्रेजी सरकार थी, उसने इस बात को महसूस किया कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिये, या हिन्दुस्तान के लोगों में जागृति ला कर उनको सुखी सम्पन्न बनाने का अगर कोई तरीका हो सकता है तो वह सहकारिता का ही तरीका हो सकता है। इसलिये उसने सहकारी आन्दोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से प्रयत्न किये।

लेकिन बावजूद इस बात के कि यहां ६०, ७० वर्षों से सहकारिता आन्दोलन चल रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में सहकार समितियां कायम हुई हैं, जो प्रगति यहां पर हुई है अगर उसका अन्दाजा पूरे तौर से लगाया जाये तो यह कहा जा सकता है कि हमारे आर्थिक जीवन में उसका स्थान नगण्य ही है। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस पर विचार किया जाये कि जिस आन्दोलन में ऐसे अच्छे सिद्धान्त, ऐसा अच्छा दर्शन है उस आन्दोलन में प्रगति क्यों नहीं हो रही है। इस बात पर समय समय पर विचार किया गया कि इस आन्दोलन के पीछे बहुत अच्छे सिद्धान्त हैं, बहुत अच्छा दर्शन है, जिस सहकारिता के आधार पर हम देश का जीवन चलाना चाहते हैं, वह आदर्श जीवन होगा फिर भी यह आन्दोलन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। उस में यह देखा गया कि इस आन्दोलन को चलाने वाले सरकारी क्षेत्र के आदमियों को और गैर-सरकारी क्षेत्र के आदमियों को भी, जिस तरह का आदर्श सहकारिता का आन्दोलन हमारे देश में चल सकता है, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। इसी बात को आधार मान कर समय समय पर इसके शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन स्वराज्य के पहले जो शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था थी वह बहुत नाकाफी थी। इसीलिये जब देश आजाद हुआ तो रिजर्व बैंक ने इसके सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये। यहां पर एक सेंट्रल कमेटी कायम की गई, जिससे कहा गया कि वह ऊपर के स्तर का शिक्षण और प्रशिक्षण दे। उस कमेटी के द्वारा काम करने की कोशिश की गई। फिर भी जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण का वक्त आया तो सरकार ने इस बात को महसूस किया कि जो सहकारिता के शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रश्न है उस पर पूरे तौर से विचार किया जाय, और विभिन्न स्तरों पर, जिला स्तर पर, राज्य के स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और शिक्षण के लिये जो प्रयत्न हों, उनकी सही जानकारी सरकार को हो इसके लिये इस अध्ययन दल की स्थापना हुई। इस अध्ययन दल ने परिश्रम करके हमारे देश की जो वर्तमान स्थिति है उसके सम्बन्ध में बहुत सी जानकारी और सुझाव दिये हैं।

इसके लिये हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। यहां अध्ययन दल बहुत बनते हैं, और आगे भी बनेंगे। इस मंत्रालय ने और भी बहुत से अध्ययन दल बनाये हैं, उन से हम लोगों ने फायदा भी उठाया है, लेकिन सहकारिता का आन्दोलन दिल्ली से चलने वाला आन्दोलन नहीं है। इस बात को मैं समझता हूं कि सरकार भी महसूस करती है। इससे पहले भी आन्दोलन को दिल्ली से, सरकारी दफ्तरों और सरकारी अफसरों के द्वारा चलाने की चेष्टा की गई है। इसीलिये यह आन्दोलन अभी तक जन आन्दोलन नहीं बन सका है। जैसा रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित कमेटी ने बतलाया था सहकारिता का जो आन्दोलन अब तक चला है उसको असफल ही कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो कमेटी बैठी थी उस ने यह भी कहा था कि अगर हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र को बचाना है, उसको मजबूत करना है, तो इस सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाना होगा। इसी लिये इन दोनों दृष्टियों को सामने रख कर सरकार ने जो अध्ययन दल बनाया, मैं समझता हूं कि उसने अच्छा ही काम किया है।

अब जो इस अध्ययन दल की सिफारिशें हैं उन पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं इस पर अपने कुछ विचार प्रकट करूं, मैं कहना चाहूंगा कि इस अध्ययन दल की जो रिपोर्ट है, उसे देखने से पता चलता है कि केन्द्रीय तौर से इस अध्ययन दल ने अध्ययन करके जो अपनी रिपोर्ट की है उसमें जितनी सिफारिशें हैं उन में से थोड़ी सी सिफारिशों को छोड़ कर बाकी सिफारिशें ऐसी हैं जिनको बिल्कुल केन्द्रीय तौर से नहीं किया जा सकता है और न स्टेट की तौर से ही कहा जा सकता है। इस रिपोर्ट में दो अंश हैं, एक शिक्षण का और एक प्रशिक्षण का। जहां तक शिक्षण का ताल्लुक है इस दल ने अध्ययन करके रिपोर्ट दी है कि प्रारम्भिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक अध्ययन के सिलसिले में इसके पूरे कोर्स को स्थान मिलना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, जब राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं तो उनमें यह विषय रखा जाता है और उस पर विचार होता है और राज्य के मंत्रीगण इसको स्वीकार करते हैं कि इसको कार्यान्वित करना चाहिये। लेकिन जहां तक मेरा खयाल है जब इसको कार्यान्वित करने का प्रश्न आता है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि समय आने पर यह मंत्रालय हमारे सामने इस विषय को रखेगा कि किन किन राज्यों में इस शिक्षण के सम्बन्ध में क्या हुआ है।

जहां तक प्रशिक्षण का सवाल है, मैं उस पर अभी आऊंगा, लेकिन जहां तक शिक्षण का सवाल है, प्रारम्भिक पाठशालाओं और यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की गई हैं उन्हें इन संस्थाओं ने किसी हद तक मान लिया है और किसी हद तक उनको अपने पाठ्यक्रम में जगह भी दी है। लेकिन केवल रिपोर्ट पेश कर देने से और उसको मंत्रियों के स्तर पर सम्मेलन करके स्वीकार कर लेने से हमें सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिये मैं इस मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि भले ही वह प्रयत्न करता है लेकिन केवल यहां से आदेश जारी कर देने से या रिपोर्ट को तैयार करके राज्य सरकारों के पास भेज देने से, काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो सहकारिता आन्दोलन में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे राज्य भी हैं जो सहकारिता आन्दोलन में पीछे हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिये केन्द्रीय समिति जितना हो सकता है उतना कर रही है। लेकिन फिर भी जहां तक मेरा खयाल है हम सहकारिता आन्दोलन को सफल नहीं देख रहे हैं। हमें इसको केवल एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, खेतों के क्षेत्र में, मजबूत बनाना होगा।

मैं एक विषय पर खास तौर से कहना चाहता हूं। दो सिफारिशें इस अध्ययन दल ने की हैं। एक तो कहा गया है कि केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना होनी चाहिये, जिसके जिम्मे प्रशिक्षण का काम रहे, चाहे वे सरकार द्वारा काम करने वाले लोग हों, चाहे जो कोआपरेटिव यूनियन

[श्री श्रीनारायण दास]

हैं स्टेट के स्तर पर, उन के कर्मचारी हों, उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय। जहां तक मेरा खयाल है इस पर कन्सलटेटिव कमेटी में विचार हुआ था। बहुत तरह के विचार आये थे, लेकिन, जैसा कि रिपोर्ट से मालूम पड़ता है, सरकार ने इस बात को मान लिया है कि आल इंडिया कोआपरेटिव यूनियन के मातहत जिस परिषद् की स्थापना हुई है, वह इस काम को करे। उस परिषद् ने यदि कोई स्कीम बनाई कि किस तरह से आगे का कार्यक्रम बनना है। वह हमारे सामने नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस चीज को सदन के सामने रक्खें और बतलायें कि उसके सम्बन्ध में क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय खत्म हो गया।

श्री श्रीनारायण दास : मुझे कहना तो बहुत कुछ था लेकिन चूंकि मेरा समय खत्म हो गया है इसलिये समाप्त करता हूं।

†**श्री जसवंत मेहता** (भावनगर) : सरकार को सहकारी क्षेत्र के उत्तरदायित्व इत्यादि पर विचार करना चाहिए। सहकारी क्षेत्र ने कहां तक विकास करना है इस बात पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

सहकारी आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाने के लिए हमें पदालियों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए। सहकारी आन्दोलन के क्रियात्मक पहलू पर मंत्रालय को विचार करना चाहिए।

सहकारी आन्दोलन आर्थिक और सामाजिक आन्दोलन है। जब लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण और सहकारी आन्दोलन को इकट्ठा करना आरम्भ कर देते हैं तो राजनीति हस्तक्षेप करना आरम्भ करती है। यदि वास्तव में हम सहकारी आन्दोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं तो हमें इसे विकेन्द्रीकरण योजना से नहीं मिला देना चाहिए। सहकारी आन्दोलन को आर्थिक और सामाजिक आन्दोलन के रूप में विकसित करना चाहिए। इसे स्वावलम्बी होना चाहिए। अधिकारियों का प्रभाव कम होना चाहिए। परन्तु हम विकेन्द्रीकरण योजना के नीचे सहकारी समितियों को भी लाते हैं।

यदि सहकार आन्दोलन को सफल बनाना है तो इसे राजनैतिक दलों के प्रभाव से दूर रखना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है।

सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना द्वारा एक साझी सहकारी पदाली तैयार की जाए। यदि इस पद्धति का विकेन्द्रीकरण ही करना है तो राज्य ऐसी पदालियां कर सकते हैं।

इस देश के सहकारी कानून में कुछ परिवर्तन किये जाएं। केवल उन्हें ऋण दिए जाने चाहियें जो ऋण वापस कर देते हैं ताकि सहकारी आन्दोलन का अन्तिम ध्येय पूर्ण हो सके और वास्तविक सहकारी संस्थाओं आदि को कठिनाइयों का समना न हो।

श्री ब्रह्मप्रकाश (बाह्य दिल्ली) : जनाब डिप्टी स्पीकर, श्री दीवान चंद शर्मा ने यह प्रस्ताव लाकर बहुत अच्छा मौका दिया कि कोआपरेटिव एजुकेशन के सिलसिले में यहां हाउस में कुछ चर्चा हो। जब भी दुनिया में कोआपरेटिव का जन्म हुआ तो उसका बुनियादी उसूल विद्या का अध्ययन

---

†मूल अंग्रेजी में

माना गया । अध्ययन उसकी बुनियाद है । जब तक पूरी कोआपरेटिव की ट्रेनिंग न हो, कैडर की ट्रेनिंग न हो कोआपरेटिव आगे बढ़ नहीं सकती और तरक्की नहीं कर सकती । वालियंटेरी कोआपरेटिव भी तभी रह सकती है अपने ऊपर कोआपरेटिव निर्भर भी तभी रह सकती है और ताकतवर भी तभी बन सकती है जबकि कोआपरेटर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को ठीक प्रकार से समझे ।

कोई कोआपरेटर तभी ताकतवर बन सकता है जब वह अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों को अच्छी तरह से समझे । इस सनातन उसूल को दुनिया के कोआपरेटर ने शुरू से ही माना है और इसको लेकर चला है । हिन्दुस्तान में भी जब यह जिक्र शुरू हुआ कि यहां पर कोआपरेटिव जरूरी है तो उस कोआपरेटिव से ताल्लुक रखने वाले जो हिन्दुस्तान के लोग थे या जो बाहर से आये हुए लोग थे उन्होंने इस बुनियाद को माना और यह तय किया कि कोआपरेटिव एजूकेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाय और बहुत सी तजवीजें इस सिलसिले में मुख्तलिफ वक्त में आईं लेकिन कुछ ज्यादा तरक्की इस सम्बन्ध में नहीं हुई । हम यह कह सकते हैं कि सही मायनों में ईमानदारी के साथ पहली कोशिश कोआपरेटिव ट्रेनिंग के बारे में जैसी कि होनी चाहिए थी जब से यह कोआपरेटिव का काम कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सामने आया या उस के पास आया तब से इस पर सही मानों में खोज शुरू हुई और उस पर कार्यवाही हुई ।

कोआपरेटिव के जो और दूसरे ऐसपैक्ट्स हैं उन पर मैं इस मौके पर नहीं जाऊंगा । और मैं सिर्फ कोआपरेटिव एजुकेशन पर चंद बातें कह कर अपनी बात खत्म करूंगा । यह बात साफ ही है कि गवर्नमेंट ने इस पालिसी को माना है । फाइव इयर प्लान में भी उसने इस पालिसी को माना है बल्कि उसने तो कोआपरेटिव की पालिसी को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है । कोआपरेटिव के उसूल पर यहां की एकोनामी को यहां की तमाम आर्थिक व्यवस्था को ढालना चाहते हैं । बहुत बड़ा उसूल है । उसको पढ़ कर तो ऐसा मालूम होता है कि कोआपरेटिव के अलावा हिन्दुस्तान में और कोई दूसरा तरीका करना ही नहीं चाहते । लेकिन बावजूद इस बात के कि फाइव इयर प्लान में कोआपरेटिव को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, बावजूद इस बात के कि गवर्नमेंट की पालिसी यह है और पार्टी इन पावर अर्थात् कांग्रेस की बुनियादी तौर पर पालिसी यह है कि कोआपरेटिव को ज्यादा स्थान दिया जाय लेकिन कोआपरेटिव के बारे में जितनी तरक्की होनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं हुई है । पिछले दो, तीन साल में उस ने बहुत तरक्की की है लेकिन वह बड़ी तरक्की बहुत मामूली रह जाती है अगर हम उस सारे एकोनामिक सैक्टर को देखें । कोआपरेटिव के सैक्टर को बढ़ना है । आखिर में उसे प्रोडक्शन की फील्ड में आना है चाहे एग्रीकलचरल फील्ड हो अथवा इन्डस्ट्रियल फील्ड हो, वह उसके इम्तिहान हैं कि वह किस हद तक एग्रीकलचरल और इंडस्ट्रियल फील्ड में अपनी जगह हासिल करता है ? उससे ही इस बात का अंदाजा लग सकेगा कि कोआपरेटिव सैक्टर कितना आगे बढ़ा है ? इस वास्ते उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है ।

यह जान कर हैरानी होगी कि कोआपरेटिव डेवलपमेंट स्टडी ग्रुप ने जो अपनी तजवीजें बनाई जब वह तजवीजे स्टेट्स में गयीं तो वह जाकर कट गयीं । अब होना तो यह चाहिए था कि कोआपरेटिव की स्टेट्स से तजवीज आतीं और फिर मिनिस्ट्री उनको कुछ काटती और प्लानिंग कमिशन उनको कुछ काटता लेकिन बिलकुल इसका उलटा हुआ । इसका मतलब साफ है कि बावजूद इस बात के कि कोआपरेटिव को एक बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है लेकिन कोआपरेटिव कांशसनैस अभी मुल्क में उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि होनी चाहिए । इस वास्ते जो कोआपरेटिव में दिलचस्पी रखते हैं, उसकी आइडियोलिजी में दिलचस्पी रखते हैं और उसके उसूल में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वह कोआपरेटिव एजुकेशन के काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाय ।

गवर्नमेंट की ८ करोड़ रुपये की स्कीम कोआपरेटिव एजुकेशन के बारे में है । मेरे दोस्त श्री दीवान चंद शर्मा ने कहा कि इस काम के लिए ८ करोड़ बहुत कम हैं लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं यह ८ करोड़ भी लैप्स न हो जाये । अब तो डे साहब भी इस जिम्मेदारी से अलग हट सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब मेरी जिम्मेदारी नहीं है । उन्होंने कोआपरेटिव एजुकेशन की तमाम जिम्मेदारी एक तरीके से कोआपरेटिव के सिपुर्द कर दी है । गवर्नमेंट के पास इस सिलसिले में अब उन्होंने कुछ नहीं रखा है ।

कुछ सज्जनों ने यहां पर यह कहा कि स्टडी टीम ने जो तजवीजें रखी हैं उन के ऊपर कुछ अमल नहीं हुआ । मैं कहता हूं कि कोआपरेटिव स्टडी टीम ने जितनी भी तजवीज रखीं वह तमाम मंजूर हुईं बल्कि एक कदम आगे जाया गया । उन्होंने पहले यह तजवीजें की थी कि कोई भी सट्रल कमेटी बने तो वह किस तरह से फंक्शन करेगी और सैंटर में कैसे फंक्शन होगा । वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और एक डेवलपमेंट बोर्ड के सिपुर्द यह मामला होना था लेकिन कोआपरेटिव मिनिस्टर्स की कान्फ्रैंस में यह तजवीज हुई थी कि नहीं यह कोआपरेटिव एजुकेशन का मामला बिलकुल सीधे नेशनल कोआपरेटिव यूनियन औफ इंडिया के हवाले कर दिया जाय । अब यह देश की कोआपरेटिव की चुनी हुई एक ऐपैक्स आर्गेनाइजेशन है । मैं कह सकता हूं कि इसका पालिटिक्स में बिलकुल कोई दखल नहीं है । डे साहब से उसका सीधा सम्बन्ध है । अब यह जिम्मेदारी नेशनल कोआपरेटिव यूनियन औफ इंडिया की है । मिनिस्टर साहब भी बतलायेंगे कि पहले से इसके पास मेम्बर एजुकेशन का एक प्रोग्राम है । आर्डिनरी मेम्बरशिप, आफिस बिएरर्स और मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स की एजुकेशन पहले से सिपुर्द है । इस वक्त १२०० टीमें होनी चाहिए थीं । थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर ५०५ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं । जनियर आफिसर्स और जूनियर परसनल की ट्रेनिंग के लिए सारे देश मे ६६ ट्रेनिंग सेंटर्स हैं । वह ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के मातहत चलते हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया भी उस में मदद करती है । अभी १३ सीनियर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जिन्हें कि इंटर-मीजिएट (?) ट्रेनिंग सेंटर्स कहते हैं और जो पूना का ट्रेनिंग क्लास है वह सबसे बड़ी तालीम की जगह है । यह बात तय पायी गयी है कि उसको रिसर्च इंस्टीच्यूट में डेवलप किया जाय । यह तमाम काम नेशनल कोआपरेटिव यूनियन औफ इंडिया के सिपुर्द किया है । इस तरह से आप देखेंगे कि कोआपरेटिव एजुकेशन की सारी जिम्मेदारी ही नहीं ली है बल्कि चैलेंज हिन्दुस्तान की कोआपरेटिव को दिया है और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत स्कोप है और इस में बहुत गुंजाइश है कि उसको अपने इनीशिएटिव पर अपने जीनियस पर और अपने ढंग से उसको डेवलप करे । मिनिस्टर साहब ने यह विश्वास दिलाया है कि वह इस मामले में जितना हो सकता है पूरी मदद करेंगे । लेकिन जैसे पहले मैं ने कहा खाली पालिटिक्स से मेरा सम्बन्ध नहीं है । कांग्रेस पालिटिक्स और कोआपरेटिव दोनों में मैं एक ही दिन दाखिल हुआ हूं । अब दोनों में अदला बदली तो चलती ही रहती है लेकिन अगर मेरे सामने यह समस्या आ जाय कि मुझे इनमें से कोई चीज छोड़नी पड़ जाय तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं पालिटिक्स छोड़ना तो पसन्द करूंगा लेकिन कोआपरेटिव छोड़ना पसन्द नहीं करूंगा । यह खुशी की बात है कि चाहे वह दिल्ली की लेविल पर पालिटिक्स हो या नेशनल लेविल पर हो मैं ने पालिटिक्स में इस बिना पर नहीं देखा कि यह फलां पार्टी से ताल्लुक रखता है या नहीं हालांकि पार्टी पालिटिक्स चलती रहती है ।

श्री काशीराम गुप्त : पालिटिक्स नीचे से ऊपर आ रहा है ।

श्री ब्रह्मप्रकाश : मुझे उम्मीद है कि इसमें वह बात पैदा नहीं होगी । हमने श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को नैशनल को-आपरेटिव यनियन आफ़ इंडिया का चेयरमैन चुना है । आप उन की

शख़सियत से वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि उन के रहते हुए उस तरह की पालिटिक्स इस में दाखिल नहीं होगी। उस की पहली मीटिंग में उन्होंने जो शब्द कहे थे, वे बड़े जानदार और अहम हैं। उस मौके पर उन्होंने कहा था : "को-आपरेशन इज़ दि सोल आफ़ कम्यूनिटी डेवेलपमेंट"। इस से जाहिर होता है कि उन्होंने को आपरेशन को कितना बड़ा स्थान दिया है। मुझे आशा है कि इस प्रोग्राम की बदौलत को-आपरेशन जरूर ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा।

†**श्री स० कु० डे :** सरकार अपने और संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और आम लोगों की शिक्षा और प्रशिक्षण को अत्याधिक महत्व देती रही है। विशेष कर सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा का और भी अधिक महत्व होगा।

हम जानते हैं कि यह सदन सहकारिता को हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहता है। हम जानते हैं कि अब तक जितनी भी सफलता हम कहते हैं कि हमें मिली है उस के बावजद सहकारिता हमारे देश में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। हम तृतीय योजना में संसाधनों का भाग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे ताकि सहकारिता भारत की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार विकसित हो कि सारे देश में एक भाग से दूसरे भाग तक सहकारिता का बोलबाला हो। पहले योजना आयोग ने हमारे मंत्रालय को अस्थायी रूप में ८० करोड़ रुपया निर्धारित किया। हम अधिक चाहते थे। योजना आयोग ने कहा कि वे १०० करोड़ रुपये तक राशि दे सकेंगे। सहकारी आन्दोलन के कुछ आवश्यक भागों के सम्बन्ध में वे योजना मे निर्धारित राशि के बाहर भी धन मालूम करने के लिए तैयार थे। हमें बहुत प्रोत्साहन मिला।

हम ने तृतीय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से चर्चा आरम्भ की, तो पता चला कि भारत को सहकारिता के लिए ७१ करोड़ रुपये चाहिएं। अब यदि हम तृतीय योजना के अन्त तक ६९ करोड़ रुपये व्यय कर सकें तो हम भाग्यशाली होंगे।

ऐसा इसलिये हुआ कि देश के विशाल भागों में सरकारी क्षेत्र थोड़े से व्यक्तियों तक सीमित रहा हैं जिन्होंने सहकारी आन्दोलन से अपने और अपने सम्बंधियों के लिये लाभ उठाने की चेष्टा की हैं। लोगों के दिलों में सहकारी कामों के लिये उतना उत्साह नहीं था जितना हम चाहते थे। अतः कई राज्यों में सहकारिता को प्राथमिकता नहीं मिली। तीन चार राज्यों में इस प्रोत्साहन मिला। अतः हम जो दो० चं० शर्मा ने कहा उससे सहमत हैं। इस बात से भी सहमत हैं कि यदि सहकारिता ने इस देश में विकास करना हे तो शिक्षा और प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है।

हम बिल्कुल सहमत हैं कि सहकारिता सार्वजनिक आन्दोलन के रूप में प्रगति करे। अतः पिछले तीन चार वर्षों में हमने कोशिश की हैं कि इस आन्दोलन पर अधिकारियों का प्रभाव न रहे। यह कहने में मुझे प्रसन्नता होती है कि आन्दोलन पर अधिकारियों का प्रभाव नहीं है। जो कुछ प्रभाव हो भी वह जल्दी खत्म कर दिया जाएगा।

हम इस विचार से सहमत हैं कि सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा सार्वजनिक आन्दोलन के भाग के रूप में नहीं दी जा सकती जब तक प्रशिक्षण का काम एक गैर-सरकारी संस्था को न सौंपा जाए। अतः हमने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय सहकारिता संघ की अनुमति से प्रशिक्षण और शिक्षा की जिम्मेदारी एक विशिष्ट बोर्ड को सौंपी गई ह। यह बोर्ड राष्ट्रीय सहकारितासंघ के अधीन होगा।

उसी राष्ट्रीय सहकारी संघ का पुनर्निर्माण किया गया हैं और इस पर यह उत्तरदायित्व डाला गया ह कि वह लोगों को सहकारिता की शिक्षा दे। सरकार इस संघ को और इसके अधीन बोर्ड को और राज्य सहकारिता संगठनों को हर प्रकार की सहायता देगी, न केवल स्कुलों और कालेजों में बल्कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सू० कु० डे]

आम जनता को भी इस प्रयोजन के लिये संघ एक प्रादेशिक सम्मेलन का और अन्त में राष्ट्रीय सम्मेलन की योजना बना रहा है ।

इसी तरह ग्राम स्तर पर प्रारम्भिक सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है । ये दो प्रकार के हैं । एक वह हैं जिसके अन्तर्गत संघ घूमने के लिये दल भेजता है । इन दलों की संख्या ५०० हैं, जो बढ़ा कर १२०० कर दिये जायेंगे ।

दूसरा कार्यक्रम यह हैं कि सामुदायिक विकास खण्ड ग्राम सहायकों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करता है । प्रत्येक खण्ड में ५ से १० कैम्प होंगे । अधिकारी ३ या ४ दिन के कैम्प में रह कर सहकारिता विस्तार अधिकारी से जिसको सवाये खण्ड का दो जायेगी, बहुत कुछ सीख सकते है ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : वर्तमान अधिनियम के होते हुए, ये सब चीजें कैसे हो सकती है ।

†**श्री सु० कु० डे** : ग्राम सहकारी संस्थाएं भारत में इस स्थान पर बन सकती हे और हर समुदाय के सदस्य उनके सदस्य बन सकत हैं ।

जहां तक विशेष सहकारी संस्थायें बनाने का सम्बन्ध है, इनके लिए विशेष उपबन्ध करना पड़ेगा । कार्य सम्बन्धी सहकारी संस्था में पेशे को ध्यान में रखना पड़ेगा । दूसरी बहुप्रयोजनीय सेवा सहकारी संस्था, जो ग्राम के प्रत्येक काश्तकार परिवार के लिये खुला हैं । अतः इस मामले में कोई कठिनाई नहीं हैं ।

हमने पहले ही मध्यम कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र गठित किये है । इनमें सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी मिलता है । अब हम सहकारिता अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी एक केन्द्रीय संस्था को भी संगठित करने का प्रयत्न कर रहे है जो देश भर में प्रशिक्षण संस्थाओं का मुख्य स्थान होगा ।

यह एक प्रकार से सहकारिता प्रशिक्षण का सबसे ऊंचा विश्वविद्यालय होगा ।

इसके अतिरिक्त हम विश्वविद्यालयों से भी कह रहे है कि वे सहकारिता समस्याओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर और विशेष प्राध्यापक नियक्त करें ।

प्रशिक्षण के परिणामों का मुल्यांकन भी एक विशेष संस्था करेगी । सहकारी संघ के अधीन विशेष बोर्ड को यह उत्तरदायित्व दिया जायेगा । यह मुल्यांकन साथ साथ होता रहेगा । बोर्ड के २१ सदस्यों में से १४ सहकारिता आन्दोलन या शिक्षा संस्थाओं के गैर-सरकारी प्रतिनिधि हैं कहा गया हैं कि राजनीतिज्ञ सहकारी संस्थाओं पर छाये हुए है । इसका कोई आसाद इबाज नहीं है । हर एक आदमी इनका सदस्य बन सकता है।इसका एक तरीका यह हो सकता है कि क्षे को सारी जनसंख्या को सहकारिता आन्दोलन से सम्बद्ध किया जाये और उन को सदस्यता के बारे में शिक्षा दी जाये ।

सहकारिता आर्थिक जनतन्त्र का एक भाग समझा जाता है सहकारिता का समाज के ढांचे से बहुत गहरा सम्बन्ध होगा, इसी तरह राजनैतिक जनतन्त्र को भी जिसे हम स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे है गहरा सम्बन्ध होगा । इसलिये सहकारिता से राजनीति को कैसे अलग किया जा सकता है । राजनीति तो रहेगी, किन्तु यह अच्छी राजनीति होनी चाहिये । हमें ऐसी परिस्थि-

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थितियां पैदा करनी चाहिये कि अवांछनीय राजनीतिज्ञों को उन पर कब्जा नहीं करने देना चाहिये। यह शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा किया जा सकता है।

दृश्य श्रव्य सहायता को सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में विस्तृत करना चाहिये, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हैं।

कहा गया है कि प्रशिक्षण और शिक्षा के लिये बहुत कम राशि दी गई है। यह कम होने का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या इसका पूरा उपयोग किया जा सकेगा। ८–१० करोड़ की राशि के अलावा, एक करोड़ कुछ लाख रुपये सहकारी क्षेत्रों के प्रशिक्षण के लिये रखे गये है सामुदायिक विकास खण्डों में सामाजिक शिक्षा के लिये भी धन रखा गया हैं।

श्री पटेल ने कहा हैं कि सहकारिता का उद्देश्य प्राप्त करने के लिये एक समय सीमा होनी चाहिये। मैं नहीं समझ सका कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह एक निरन्तर जारी रहने वाला मामला हैं और जीवन का एक ढंग है। हम चाहते है कि सहकारिता आन्दोलन सरकारी सहायता पर निर्भर न रहे। इससे इसका महत्व कम हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मंत्री महोदय और मैं बहुत से विषयों पर सहमत है और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे विचारों का समर्थन किया हैं।

यदि ८ करोड़ की रकम पूरी खर्च नहीं की जा सकती, तो देश में सहकारी आन्दोलन का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकेगा।

एक और बात यह है कि अधिनियम को संशोधित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। धारा ६ भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है। क्योंकि इसमें जातीयता का उल्लेख है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारी संस्थाओं का वातावरण अधिक से अधिक साफ रखा जाये और इन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त रखा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह हैं :

"कि यह सभा सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (खण्ड १ और २) पर, जो १९ अप्रैल, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री हेमराज** (कांगड़ा) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो ८ अगस्त, १९६२ को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो ८ अगस्त, १९६२ को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन में १५ जून, १९६२ को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा प्रस्तावित निम्न संकल्प पर आगे चर्चा जारी करेगी :

"इस सभा की यह राय है कि मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप की जांच करने के लिये प्रतिद्वंदी मजदूर संघों को विधान द्वारा विवश किया जाये कि वे समय समय पर गुप्त मतदान द्वारा सम्बन्धित मजदूरों में अपने प्रभाव का पता लगायें ।"

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम): इस संकल्प में संघों को मान्यता देने के प्रश्न का उल्लेख नहीं है और मैं इस विषय को संकल्प के दायरे में नहीं लाना चाहता । हम मान्यता के प्रश्न पर इसलिये विचार नहीं कर रहे क्योंकि वह स्थिति तब तक नहीं आ सकती, जब तक नियोजकों पर कोई परिनियत दायित्व न डाला जाये । अन्यथा वे वैसे ही चलते रहेंगे और संघों की सदस्यता पर्याप्त होने पर ही मान्यता प्राप्त की जा सकेगी । किन्तु यह प्रश्न कार्मिक संघ जनतंत्र का है, किसी विशेष कार्मिक संघ का नहीं है । मैं केवल इतना चाहता हूं कि कार्मिक संघों के कार्यकरण में प्रजातंत्रीय प्रणाली को लाया जाये, क्योंकि इस सारे प्रश्न का सम्बन्ध औद्योगिक सम्बन्धों और औद्योगिक शान्ति से है, जोकि हर एक का ध्येय है ।

पुरूलिया जिले में पदबेलिया कोयला खान में हड़ताल शोचनीय है । वहां धारा १४४ भी लगा दी गई है । खान इसलिये बन्द है कि दो संघों में जो कि दोनों इनटक से सम्बद्ध हैं झगड़ा है । मेरा निवेदन है कि सदस्यता के दावों की पड़ताल करने का वर्तमान तरीका जोकि प्रस्तावकों और रजिस्टरों की जांच पर आधारित है बिल्कुल संतोषजनक नहीं है और इस का बहुत दुरुपयोग किया गया है ।

इस का अर्थ यह नहीं है कि इस में किसी विशेष दल का दोष है । किन्तु इस प्रणाली से नियोजक और सरकारी अभिकरण दबाब डाल सकते हैं । दूसरी बात यह है कि झूठे सदस्य नामावलियों को भी रखा जा रहा है । हम चाहते हैं कि उचित मान्यता के लिये कदम उठाये जायें । पुस्तकें और रजिस्टर तो रखे ही जायेंगे किन्तु मेरा प्रस्ताव यह है कि और उपबन्ध यह किया जाये जिस से सदस्य-संख्या का समय समय पर गुप्त मतदान द्वारा देखा जाये । इस बात का कोई महत्व नहीं है कि संघ कौन सा है या किस का है । कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे मतदान में गड़बड़ी हो सकती है किन्तु हर एक मतदान में गड़बड़ी की गुंजाइश होती है । किसी संघ के सदस्यता के दावे की जांच के लिये प्रजा-तंत्रीय तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता । यदि श्रमिकों को गुप्त मतदान द्वारा अपनी राय प्रकट करने दिया जाये, तो उन पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकेगा । मतदान एक आम स्वीकृत ढंग है और उस पर आपत्ति का कोई कारण नहीं । यदि सरकार यह सुझाव मान ले, तो इस का परिणाम अच्छा ही होगा । सब सम्बन्धित लोग इकट्ठे बैठ कर यह तय कर सकते हैं कि इसको कैसे क्रियान्वित किया जाये । यदि सरकार ने इसे स्वीकार न किया, तो स्थिति में कोई अन्तर नहीं आयेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार, मंत्रालय में श्रममंत्री (श्री हाथी)** : मैंने प्रस्तावक तथा अन्य सदस्यों के भाषणों को ध्यान से सुना है किन्तु मैं कोई ऐसे पर्याप्त कारण या फायदे नहीं देख सका । जिसके कारण गुप्त मतदान की प्रणाली शुरू की जाये । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अपने ढंग से भाषण दिया है । उन के बोलने से पहले ऐसा मालूम होता था कि यह किसी संघ की ताकत जानने का प्रश्न नहीं बल्कि यह जानने का तरीका है कि कौन से संघ दूसरे संघों से अच्छे हैं ।

मैंने श्री स० मो० बनर्जी के भाषण का अध्ययन किया है । उन का यह विचार है कि प्रक्रिया की वर्तमान प्रणाली से सदस्यता बढ़ाई जा सकती है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किसी संघ विशेष का नाम नहीं लिया अपितु केवल प्रक्रिया सम्बन्धी बातें की हैं । उन्होंने यह भी बताया कि गुप्त मतदान की प्रक्रिया अच्छी सिद्ध होगी । उन का विचार है कि इस प्रकार सदस्यता को झूठमूठ बढ़ा सकने के अवसर बहुत कम हैं ।

यदि दो संघ हों तो निश्चय ही उस संघ को मान्यता दी जानी चाहिये जिसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । हमें यह जानना चाहिये कि सत्यापन की वर्तमान प्रणाली किस प्रकार निश्चित हुई । यह प्रणाली सरकार द्वारा लादी नहीं गयी । एक सम्मेलन होता है जिसमें चारों केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं और वे प्रक्रिया सम्बन्धी निश्चय करते हैं । सम्मेलन में सभी के प्रतिनिधि इस के पक्ष अथवा विपक्ष में अपना मत देते हैं तथा सर्व-सम्मति से वे एक निश्चित प्रक्रिया का निश्चय करते हैं ।

यदि हम गुप्त मतदान की पद्धति अपनायेंगे तो मत देने का अधिकार केवल सदस्यों को ही दिया जायेगा या असदस्यों को भी । यदि वह केवल सदस्यों को ही दिया जाये तो हमें यह अनुमान कर लेना होगा कि प्रत्येक संघ की एक निश्चित सदस्य संख्या हैं । अतः इस बात के अधिक अवसर रहेंगे कि मतदान के पहले उत्तेजना, आवेश या अन्य कारणों से व्यक्ति इच्छित संघ के स्थान में दूसरे संघ को मतदान दे देवे । निःसन्देह कुछ ऐसी ही बातें लोक-सभा के सामान्य चुनावों में भी चलती हैं । तथापि हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम इस से अच्छा तरीका ईजाद कर सकें जिससे कि सदस्य अपने संघ के प्रति ईमानदार बने रह सकें । हमें स्मरण रखना चाहिये कि मानव में दुर्बलतायें होती ह, अतः धमकी या लोभ दिये जाने पर वे एक पक्ष से दूसरे पक्ष को चले जायेंगे । इसका फल यह होगा कि संघ का स्थायित्व नहीं बना रहेगा क्योंकि किसी अन्य मौके पर वे दूसरे संघ में शामिल हो जायेंगे ।

वर्तमान प्रक्रिया यह है कि प्रत्येक संघ का अपना रजिस्टर होता है । जो सदस्य छः महीनों तक चन्दा देते रहते हैं उन्हें संघ का सदस्य माना जाता है । संघ के सभी प्रतिनिधियों का अवसर दिया जाता है । एक बार सदस्यता की गणना होने पर अन्य संघों को इस की जानकारी दे दी जाती है । इस सम्बन्ध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कर सकता है । नमूनों की जांच के बाद जो भी परिणाम निकलता है उसे स्वीकार कर लिया जाता है । जिस संघ को बहुमत मिलता है उसे ही प्रतिनिधि संस्था समझा जाता है । हमने यह निश्चय किया हुआ है कि सामूहिक बातों को केवल बहुमत वाली संस्था ही तय करेंगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य ने यह कहा है कि संयोजन का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है । इस प्रक्रिया द्वारा इस का अपहरण किया जा रहा है । हमारा उद्देश्य है कि हम स्वस्थ कार्मिक संघों का निर्माण करें । हम चाहते हैं कि सामूहिक बातचीत का अधिकार केवल उसी संघ को दिया जाये जो कि कुछ कार्य कर सके ।

जहां तक वर्तमान प्रक्रिया का प्रश्न है इस का निश्चय सभी संघों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया और इस ने अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

यह शिकायत गलत है कि आइटक संघों को मान्यता नहीं दी जाती है स्वयं दिल्ली में अशोका होटल कर्मचारी संघ को मान्यता दी गई है। इसे बहुमत के आधार पर ही मान्यता मिली है। आंध्र प्रदेश में सिंगारेनी कोयला खान कर्मचारी संघ को भी मान्यता दी गई है अतः मैं यह भ्रान्ति दूर कर देना चाहता हूं कि आइटक संघों को बहुमत में होने पर भी मान्यता नहीं दी जाती है।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि यदि वर्तमान प्रक्रिया के आधार पर कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि बहुमत होने के उपरांत भी उसकी संघ को मान्यता नहीं दी गई है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं। उसे अवश्य मान्यता दी जायेगी। हम नहीं चाहते कि यहां का वातावरण विषाक्त हो।

जहां तक गोपनीय मतदान का सम्बध है मैंने उस की हानियां बता दी हैं। भावावेश में मेरे लिये क या ख को मत देना संभव है। तथापि जो अपने मत के सच्चे हैं वे एक ही पक्ष को मत देंगे। यह बात संघ के रजिस्टर से ज्ञात हो जायेगी। उन्हें सत्यापन के दिन के तीन महीने पूर्व का चन्दा दिया होना चाहिय। अतः किसी एक या दो स्थानों में गलतियां हो सकती हैं वह भी इस कारण कि वहां पर प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया तथापि केवल इस कारण हमें यह प्रणाली नहीं छोड़ देनी चाहिये।

हमने इस सम्बन्ध में अन्य देशों की प्रणालियों का अध्ययन किया हैं। अमेरिका के संघ के पदाधिकारियों को यह इकरारनामा भरना होता है कि वे साम्यवादी दल से कोई सम्बन्ध नहीं रखते हैं। अन्य देशों में यह मापदंड रखा गया है कि सदस्यता के आधार पर किसी दल विशेष की प्रतिनिधित्व क्षमता का पता लगता है। दक्षिण अफ्रीका के देशों में संघ के आकार को भी विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है।

अब केवल एक प्रश्न यह जाता है वह यह है कि इस प्रकार की सदस्यता से यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि वे अपना शुल्क दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि यदि वे अपना शुल्क नहीं देंगे तो संघों के लिये वित्त एकत्र करना बहुत कठिन हो जायेगा। हम चाहते हैं कि संघ इतने सुदृढ़ बनें कि वह कई कल्याण-कारी कार्य कर सकें। यदि हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार हो जिस ने शुल्क नहीं दिया तो संघ अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते हैं। अतः यह बात संघों के हित में ही है कि वर्तमान प्रक्रिया अपनाई जाये।

मुझे प्रस्तावित प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है। हानि लाभों की तुलना करने पर सत्यापन की वर्तमान प्रणाली जोकि ठीक प्रकार से कार्य कर रही है और जिसे काफी सोच समझ कर रखा गया है स्वीकृत की जाये। अतः मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को अस्वीकार किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं मंत्री महोदय की बात से असहमत हूं। हमें इस प्रक्रिया का काफी अनुभव हो चुका है अब हम इस परिणाम पर पहुंचे है कि यद्यपि कई स्थानों में आइटक अधिक मजबूत और प्रतिनिधि संस्था है तथापि फिर भी उसे मान्यता नहीं दी गई है भोपाल में श्रम संकट का यही कारण था। वर्गापुर और रूरकेला में आइटक को बहुमत की संस्था होते हुए मान्यता

†मूल अंग्रेजी में

नहीं दी गई है। भोपाल में अन्त में इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि बिजली के भारी सामान का कारखाना मजदूर संघ ही एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है तब कहीं स्थिति संभल सकी।

खादी ग्रामोद्योग भवन दिल्ली में अभी हाल एक संघ की स्थापना की गयी है। तथापि तत्काल ही वहां के कर्मचारियों को वहां के संचालकों से एक धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा था कि यदि वे किसी ऐसी संघ के सदस्य बनेंगे जो कि मान्यता प्राप्त न हो तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कपड़ा मिलों के नियोजक संघों को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं। अभी हाल हारनैस एण्ड सैडलरी कारखाने में चुनाव हुए थे उनसे यह स्पष्ट पता लगा कि वे संघ जो इन्टक से सम्बद्ध नहीं है अधिक मजबूत हैं।

अन्त में मैं लेखा परीक्षा संघ का मामला लेना चाहता हूं। गृह मन्त्री के यह पत्र जारी कर दिये जाने पर भी कि जिन संघों से मान्यता हटा ली गयी थी उन्हें पुनः मान्यता दे दी जाये महालेखा परीक्षा ने अभी भी केरल बम्बई और पंजाब के संघों को मान्यता प्रदान नहीं की। इससे इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में कार्मिक संघों तथा लोकतन्त्रात्मक अधिकारों का कितना हनन किया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि उन संघों को पुनः मान्यता दे दी जाये।

मेरे विचार विचार से किसी भी संघ के प्रतिनिधि स्वरूप का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैंने सुझाया है अतः यदि है अतः यदि सभा मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करती है तो मुझे इस देश में लोकतन्त्र के भविष्य पर अत्यन्त सन्देह है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप की जांच करने के लिये प्रतिद्वंदी मजदूर संघों को विधान द्वारा विवश किया जाये कि वे समय-समय पर गुप्त मतदान द्वारा अपने संबंधित मजदूरों में अपने प्रभाव का पता लगायें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री दी० चं० शर्मा के अनिवार्य जीवन बीमा निगम के बारे में संकल्प पर चर्चा करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि भारत के प्रत्येक कमाने वाले नागरिक के लिये अनिवार्य जीवन बीमा लागू करने के प्रश्न की जांच करने और इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित करने के मार्गोपाय सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।"

मेरे विचार से यह संकल्प समय और युग की आवश्यकता को देखते हुए उचित हैं। आज हम औद्योगिक युग में रह रहे हैं और संयुक्त परिवार की प्रथा जो कि हमारे देश में तब विद्यमान थी जब हमारा देश कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर था, धीरे धीरे समाप्त हो गयी है। अभी तक देश के उन समु-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

दायों में जो कृषि अर्थ व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली देखने को मिल सकती है। संयुक्त परिवार की अर्थ व्यवस्था में वृद्ध, नियोग तथा रोगी व्यक्तियों की गुजर हो जाता था लेकिन अब समय बदल गया है।

औद्योगिक प्रसार के इस युग में मानव को कई रोगों और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आये दिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कभी विमान दुर्घटना होती है तो कभी रेल दुर्घटना। मशीनों से कई लोग अपंगु हो जाते हैं। आज लोग पुरानी बीमारियों के अलावा कई रहस्यमय बीमारियों से मरने लगे हैं। ये बीमारियां कभी देश के एक भाग में होती हैं तो कभी दूसरे भाग में। जीवन इतना अनिश्चित हो गया है कि उसका कोई भरोसा नहीं रहता कि कब क्या बात हो जाये। मैं बीमा करने पर इतना जोर नहीं देता यदि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता। यह प्रसन्नता की बात है कि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो चुका है इसमें मैंने भी लघु सहयोग दिया था। मझे विश्वास है कि निकट भविष्य में सामान्य बीमे का भी राष्ट्रीयकरण हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे युग का यह अभिशाप है कि अपना सम्मान बनाये रखने के लिये हमें अपनी आय से अधिक व्यय करना होता है और इसका यह नतीजा होता है कि हम बचाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। यह भी आधनिक युग का एक अभिशाप है।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस समस्या पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त करें जो इस प्रश्न पर विचार करे कि भारत के प्रत्येक कमाने योग्य व्यक्ति का अनिवार्य बीमा किया जाये जिससे कि वह ऐसे समय जबकि कमाने योग्य न रहे इसका लाभ उठा सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिन लोगों की आय ५००० रुपये वार्षिक से अधिक है वे कुछ जमा कर सकते हैं। उनको हम अभी हाल छोड़ सकते हैं। हमारा ध्यान निम्न आय वाले वर्ग की ओर जाना चाहिये जिनकी आय ४०० रुपये मासिक से कम है। यही ऐसा वर्ग है जिसे अपनी आय से अधिक खर्च करना पड़ता है। इन लोगों के पास संकट के काल के लिये कुछ जमा हो नहीं पाता। यह कुछ भी बचा नहीं सकते कि उसका सहारा ले सकें। ऐसे वर्ग को बचत करने के लिये बाध्य किया ही जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से ही मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं आशा है श्री दी० चं० शर्मा को यह स्वीकार होगा।

श्री य० प्र० मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सचमुच में यह प्रश्न एक बहुत मूल वस्तु से सम्बन्धित है। कम्पलसरी लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम जो कि शर्मा जी ने अपने प्रस्ताव में सुझाई है समयोचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं। अब आजकल जैसी की स्थिति है जीवन के आखिरी वक्त में जबकि मनुष्य काम करने और पैसा कमाने के लायक नहीं रहता और अवकाश ग्रहण करता है यह बहुत जरूरी है कि अपनी वृद्धावस्था सुख से व्यतीत करने के लिये वह कुछ पैसा बचा कर रखे अन्यथा उसको भारी मसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब जैसा कि शर्मा जी ने बतलाया कि आज मनुष्य का खर्चा इतना बढ़ गया है कि जब तक कुछ इस तरह से अनिवार्य बचत करने की योजना उसके लिय लागू न की जाय वह वृद्धावस्था के लिये कुछ नहीं बचा पाता। भले ही उसकी कितनी आमदनी

†मूल अंग्रेजी में

क्यों न हो उसके लिये अपने आप पैसा बचाना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से कर्मचारियों के वास्ते यह प्राविडेंट फण्ड आदि की अनिवार्य बचत करने की योजनाएं सरकार ने चालू की हैं यह कम्पलसरी लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम भी उसी प्रकार उनके लिये अनिवार्य कर दी जाय और मैं श्री शर्मा के इस सुझाव का समर्थन करता हूं। हम लोगों ने देखा कि देश में राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद काफी उन्नति हुई है।

राष्ट्रीयकरण के बाद हिन्दुस्तान के हर एक नागरिक को यह विश्वास हो गया है कि जीवन-बीमा एक बहुत बड़ा और राष्ट्रीय काम है, जिसके पैसे से बहुत से उद्योग चलाए जा सकते हैं। फिर उन उद्योगों को तरह-तरह के स्रोतों से पैसा देना और इसके साथ ही राष्ट्र के लोगों को यह अनभव कराना तथा उनमें यह आदत डालना भी बहुत जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक को देश के लिये और अपने लिए कुछ न कुछ बचाना चाहिए। यह काम कम्पलसरी लाइफ इंश्योरस के जरिये ही हो सकता है। इसलिये यह योजना बहुत अच्छी और लाभदायक है। खासकर हमारे डिपुटी फाइनांस मिनिस्टर बहुत अनुभवी हैं और वह इन सब बातों को जानते हैं। सरकार को कम से कम इस अहम मसले जांच कराने के लिये वक्त और मौका देना चाहिए। इससे यह भी फ़ायदा होगा कि लोग समझ सकेंगे कि यह नैशनलाइज इण्डस्ट्री और एक राष्ट्रीय उद्योग है और उसको गांवों तक ले जाने के लिये, छोटे कमाने वालों तक ले जाने के लिये यह एक बहुत उपयुक्त काम होगा और उस तरफ यह पहला कदम होगा।

जैसा कि प्रोफ़ेसर साहब ने कहा है, जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाये और इस योजना के दायरे से बाहर निकाल दिया जाये, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों की आमदनी सौ रुपये मासिक और १२०० रुपये सालाना से कम है, उनको इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये और उन के साथ कम्पलशन होनी चाहिये, वर्ना उनकी हालत इसी प्रकार बहुत दर्दनाक बनी रहेगी।

जब राष्ट्र में राष्ट्रीयकरण का एक बहुत बड़ा कदम उठा है और देश में लाइफ़ इन्शोरेंस (जीवन बीमा) के महान् कार्य के महत्व को समझा गया है तथा यह अनुभव किया गया है कि प्रत्येक अच्छे समझदार आदमी के लिये जीवन के अन्तिम हिस्से के लिये कुछ न कुछ बचाना ही चाहिये, तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा मौका आया है, जबकि एक ऐसी समिति का निर्माण किया जाये, जो कम से कम १२०० रुपए सालाना की आमदनी वालों की स्थिति की अवश्य जांच करे और यह देखे कि कहां तक हम उन लोगों को अनिवार्य रूप से कुछ न कुछ बचाने के लिये कह सकते हैं।

वैसे सरकार ऐसे बुढ़े लोगों की सहायता के लिये शायद कुछ विचार कर रही है, जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं है और जिनका कोई सहायक नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है। उदाहरण के लिये प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की हालत दयनीय है। उनको चालीस पैंतालीस रुपये वेतन मिलता है और ५५ वर्ष के बाद उन को कह दिया जाता है, "अब समाज को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है।" इसके अलावा ऐसे मजदूर भी हैं, जो कोयले वगैराह की खानों में काम करते हैं और उन को दो ढाई रुपए रोज़ मिलते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी हालत क्या है।

इस स्कीम को लागू करने से पहले यह ज़रूरी है कि यह वातावरण तैयार किया जाये कि यह इन्शोरेंस राष्ट्र के लिये बहुत महत्व की और बहुत जरूरी चीज़ है। इसके लिये आवश्यक है कि एक अच्छी और महत्वपूर्ण समिति को नियुक्त किया जाये, जिसका दायरा निश्चित कर दिया जाये कि वह मजदूर और शिक्षक आदि उन लोगों के बारे में जांच करे, जिनकी आमदनी १२०० रुपए सालाना तक है। प्राविडेंट फण्ड के लिये कुछ न कुछ इन्तज़ाम किया गया है। अगर यह योजना भी लागू कर दी

[श्री य० प्र० मण्डल]

जाये, तो इससे देश का बहुत ज्यादा भला होगा। आगे चल कर जब इससे पैसा आयगा, तो राष्ट्र का बहुत सा काम हो सकेगा। इस "अनिवार्य" शब्द से ह में घबराना नहीं चाहिये। ऐसी स्थिति में सरकार को इस प्रकार की एक रेस्पांसीबल कमेटी निश्चित रूप से नियुक्त करनी चाहिये, जो देश के सब हिस्सों का पूरा अध्ययन करे और कम आमदनी वाले लोगों के आर्थिक मसलों की जांच करे। उसके बाद सरकार समझ सकेगी कि लाइफ इन्शोरेंस का दायरा कितना बड़ा है और उसका भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है और वह कितने बड़े-बड़े काम कर सकता है।

यह कहते हुए मैं श्री शर्मा के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि प्रत्येक कमाने वाले नागरिक के लिये अनिवार्य रूप से बीमा लागू करने की जांच करने के लिये यह लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकार एक समिति नियुक्त करे, जो इस महान् सदन को कुछ उपाय सुझाए कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये।

†**श्री ब० कु० दास** : मैं विधेयक के उद्देश्यों से पूरी तरह सहमत हूं। वैसे भी मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता। केवल इतना ही कहा जाता है कि अभी इस प्रकार की बात करने का समय नहीं आया। मेरा निवेदन है कि फिलहाल इसे कुछ वर्गों तक सीमित रखा जाय, जैसे अध्यापक इत्यादि। मेरे विचार में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो यह निर्णय करे कि इस दिशा में क्या सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

अभी तक बीमा थोड़े से व्यक्तियों तक सीमित है। जब तक यह अनिवार्य नहीं हो जाता तब तक अधिकतर लोग इससे लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि उसे राष्ट्रीय पैमाने पर लिया जाय।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य एक दो मिनिट में अपना भाषण समाप्त कर सकेंगे ?

†**श्री ब० कु० दास** : मैं तो अभी ही बोलने खड़ा हुआ था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो वह बाद में अपना भाषण जारी रख सकेंगे।

स्थगन प्रस्ताव—जारी

दिल्ली में बिजली संभरण खराब हो जाने के बारे सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : श्री अ० कु० सेन

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं औचित्य प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। जब हम विद्युत संकट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मेरे मित्र श्री फ्रैंक ऐंथनी ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री ने इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। इसके बाद विधि मंत्री के लिए कुछ कहने का प्रश्न ही नहीं रहता। क्या उन्होंने विधि मंत्री से परामर्श नहीं किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाय अथवा नहीं, इसमें मैं विधि मंत्री का परामर्श लेता हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बात तो तब ही समाप्त हो गयी थी जब कि प्रधान मंत्री ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी, परन्तु आप पुनः विधि मंत्री से परामर्श लेने की बात कर रहे हैं।

मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो इसे समाप्त कर देता परन्तु माननीय सदस्य ने इसे पुनः प्रस्तुत कर दिया है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैंने यह नहीं कहा कि इस बिजली संकट की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : विद्युत सम्भरण, इसमें कोई सन्देह नहीं विधान के प्रयोजन की दृष्टि से समवर्ती सूची का विषय है । संसद को इसके बारे में कानून बनाने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं । विद्युत संम्भरण अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत बिजली और इसके सम्भरण तथा निर्माण के कार्य की व्यवस्था है । राज्य बिजली बोर्डों के अधिकार और कर्तव्य अध्याय ४, धारा १८ के आगे स्पष्ट किये हुए हैं । केन्द्रीय सरकार को राज्य बिजली बोर्डों को कोई निदेश जारी करने का अधिकार नहीं है । केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को कोई निदेश नहीं दे सकती थी । पिछले दिन सायंकाल सिंचाई और विद्युत मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था वह इसी बात को ध्यान में रख कर दिया गया था । उन्होंने कहा था :

"यह महसूस किया गया कि जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है वह उसे पूरा नहीं कर रहे । परन्तु यह बात गलत है । अतः मुझे कहना पड़ा कि यह पंजाब का मामला है, दिल्ली का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।"

तो यह बात उनके मन में थी । अब जब कि समिति जांच करने जा रही है कि अक्टूबर, १९६१ के असफल होने के क्या कारण हैं । पंजाब सरकार ने जुलाई, १९६२ में यह दावा किया था कि केवल वह ही इस तरह की जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार रखती है । समिति अब भी जांच कर रही है ।

धारा १८(क) के अन्तर्गत राज्यों के दिये गये अधिकार का निदेश है । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, बिजली सम्भरण १९५७ के दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत आता है । राज्य बिजली बोर्ड के कृत्य दिल्ली बिजली सम्भरण समिति में विनिहित है जो कि निगम का संविहित निकाय है । दिल्ली का कोई बिजली बोर्ड नहीं है । बिजली सम्भरण समिति का विधान धारा ५० के अन्तर्गत स्पष्ट है । इसमें सात सदस्य होते हैं, जिनमें से चार चुने जाते हैं और शेष तीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । इसका धारा ५० की उपधारा (२) में उल्लेख है । भारतीय बिजली अधिनियम १९१० के अन्तर्गत धारा २७७ में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली निगम को एक लाइसैन्सी के पूरे अधिकार हैं । धारा २७८ के अन्तर्गत दिल्ली बिजली सम्भरण समिति को नये उपक्रमों को बनाने, अर्जित करने और बिजली का सम्भरण और निर्माण करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

दिल्ली बिजली सम्भरण निकाय की धारा २ की उपधारा (१२) में परिभाषा है और धारा २७९(१) के अन्तर्गत जनरल मैनेजर को कार्य करने के अधिकार दिये हुए हैं । इस निकाय को वही अधिकार प्राप्त है जो कि इस उद्देश्य के लिए आयुक्त को प्राप्त है । २८२ धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि निगम की अनुमति के बिना इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता । दिल्ली बिजली बोर्ड जिसे बिजली सम्भरण अधिनियम १९४८ के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, समाप्त हो गया, वह ७ अप्रैल, १९५८ को निगम की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया । अब कोई दिल्ली बिजली बोर्ड का अस्तित्व नहीं । अतः अब १९४८ का अधिनियम दिल्ली पर लागू नहीं । निगम के सम्बन्ध में निगम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

अधिनियम के अध्याय १४ में धारा ४८६ और ४८७ में केन्द्रीय सरकार को बिजली के बारे में निरीक्षण करने और इस सम्बन्ध में आदेश देने के अधिकार प्राप्त हैं। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था भी केन्द्रीय सरकार की इच्छाओं के अनुसार करनी होती है। यदि केन्द्रीय सरकार देखती है कि कहीं कमी है और व्यवस्था ठीक नहीं है तो वह मुनासिब आदेश निगम को जारी कर सकती है। और इस आदेश को निगम अधिकारियों को मानना ही होता है। यदि कोई आदेश ऐसा हो जिसका पालन करना तुरन्त आवश्यक न हो, केन्द्रीय सरकार को निगम को 'कारण बताओ' नोटिस देना पड़ता है।

धारा ४८७(२) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह तीन निगम प्राधिकारों अर्थात् बिजली सम्भरण निकाय, परिवहन प्राधिकार तथा जल मल प्राधिकार को ठीक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी आदेश दे सकती है, और निगम अधिकारियों को उन आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। इस प्रकार बिजली के मामले में केन्द्रीय सरकार पर जो भी जिम्मेदारी आती है वह वही है जिसको दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अध्याय १४ के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है।

यद्यपि सभी नीति विषयक मामलों में प्रारम्भिक तौर पर गृह-कार्य मंत्रालय की सलाह लेनी होती है, परन्तु प्रारम्भिक जिम्मेदारी सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय पर ही है। यह तो है कानूनी और संवैधानिक स्थिति। यह भी ठीक है कि संविधान के २३९ की व्यवस्था के अनुसार संघ क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है, परन्तु संसद ने विधि व्यवस्था करके यह जिम्मेदारी दिल्ली बिजली सम्भरण संस्थान को यह सौंप दी है। खास आपातकालीन स्थिति में ही सरकार द्वारा कार्यवाही किया जाना उचित है। विशेषकर उस समय जब कि ये लोग सन्तोषजनक ढंग से अपनी संविहित जिम्मेदारियों को न निभा रहे हों।

अब, बात यह है कि जब संकट हुआ, एक समिति की स्थापना की गयी जैसा कि माननीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने कहा है। पंजाब सरकार ने एक समिति की स्थापना कर दी जो कि मामले की छानबीन कर रही है। उनके प्रतिवेदन के आ जाने पर ही यह कहा जा सकता है कि इस बिजली संकट की वास्तविक जिम्मेदारी किस की है। इसके बाद जो भी मुनासिब आदेश देना जरूरी होगा वह दिया जायेगा। जांच समिति के प्रतिवेदन से पूर्व कोई आदेश देना सम्भव नहीं। वैसे बिजली सम्भरण संस्थान वह कुछ करेगा ही जो कुछ हम कहेंगे तो औपचारिक आदेश वैसे भी अनावश्यक सा हो जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति यह है कि जहां तक पंजाब बिजली बोर्ड का सम्बन्ध है केन्द्र कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। परन्तु दिल्ली बिजली सम्भरण संस्थान का सम्बन्ध है, इसके किसी के अयोग्य अथवा असंतोषजनक कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार आदेश जारी कर सकती है। राहतक का ट्रांसफिटर पंजाब सरकार का है। दूसरा दिल्ली बिजली संस्थान का है। इसके बारे में आदेश दिया जा सकता है। श्री फ्रैंक ऐंथनी का स्थगन प्रस्ताव दिल्ली के लिये है न कि पंजाब के लिये।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री ने केन्द्र के उत्तरदायित्व को स्पष्ट किया है। मैंने भी जो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा ४८७ और ४८८ पर ही उन से चर्चा की

†मूल अंग्रेजी में

थी। परन्तु जब बिजली फेल हो गयी और संकट सामने आ गया तो उस समय तो केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो क्या दिल्ली प्रशासन का जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है इस बात पर चर्चा होगी ?

†**श्री फ्रैंक ऐन्थनी** : बात यह है हम चाहते थे कि इस जिम्मेदारी के प्रश्न पर कुछ प्रकाश पड़ जाय। और यह भी पता चला जाय कि जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु नियम ५६ के अनुसार जो स्थगन प्रस्ताव उसी संसद् सत्र में प्रस्तुत नहीं हो सकता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : सरकार की ओर से बड़ा कठिनाई से, काफी गर्मागर्मी के बाद अपनी जिम्मेदारी का स्वीकार किया गया है। परन्तु इस संदर्भ में जो कुछ हुआ है कम से कम उसकी निन्दा तो होना ही चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम के अनुसार जिस बात पर चर्चा हो चुकी हो उसी पर उसी सत्र पर चर्चा नहीं हो सकती। कोई नयी बात नहीं हुई। बिजली के वितरण के सम्बन्ध में सरकार की असफलता के विषय पर पिछले दिन सभा में चर्चा हुई थी। उस समय विस्तार से चर्चा हो गयी थी अब कोई नया स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

मंत्री महोदय का एक भाग था कि केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, परन्तु सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का एक सीमा तक स्वीकार कर लिया है। अब इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य से पहले कुछ शब्द कह सकता हूं ? मैं इस विषय पर तथ्य दे रहा हूं, संविधान या कानून के बारे में नहीं कह रहा हूं। अफसोस है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्री यहां नहीं आ सके हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह चर्चा हो रही है, वे कल रात या आज प्रातः चंडीगढ़ गये और अचानक यहां नहीं लाये जा सके। नहीं तो वे यहां होते। बिजली के फेल होने के तुरन्त बाद उन्होंने मुझे लिखा कि वे इसकी जांच के लिए समिति बनाना चाहते थे। मैं ने उत्तर में कहा कि उन्हें निश्चय ऐसा करना चाहिये और इस मामले में अविलम्बनीय कार्यवाही करनी चाहिये। उन्होंने कुछ नामों का भी जिक्र किया था। अगले दिन उन्होंने मुझे लिखा कि जब वे समिति नियुक्त करने वाले थे तो पंजाब सरकार ने रुकावट डाली और कहा उन्हें समिति नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं परन्तु उनको समिति नियुक्त करने पर इतराज था क्योंकि उस से पंजाब सरकार के अधिकार में वह हस्तक्षेप करेंगे। और उन्होंने कहा "मैं ने उनके द्वारा समिति नियुक्त किये जाने का मान लिया हैं। उस में एक दो परिवर्तन किये गये है। शेष नाम वही हैं"

इसलिये उन का विचार था कि इस बात का समर्थन हो गया था, अतः वे कार्यवाही नहीं कर सकते थे। पंजाब सरकार ने रास्ते में रुकावट डाला। यह कोई विधि सम्बन्धी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। जब से श्री गो० ब० पन्त गृह कार्य मंत्री थे उन्होंने ठीक कहा हुआ था कि यह उन पर निर्भर था कि वे प्रश्नों का उत्तर दें दिल्ली के बारे में शेष मामले गृह-कार्य मंत्री निपटायेंगे। अतः ऐसा विचार उन के मन में था। यह वैधिक और संवैधानिक चीज नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

इस के अतिरिक्त कोई अधिकार दिखाने का प्रश्न तभी पैदा होता है जब मन्त्रणा को न माना जाये तब आदेश जारी किये जा सकते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें बिजली के फेल होने के बारे में बहुत चिन्ता थी और वे विभिन्न प्राधिकारों से परामर्श कर रहे थे और जैसा अभी गृह-कार्य मंत्री बतायेंगे मेरे विचार में विभिन्न कदम उठाये गये थे।

मैं यह बताना चाहता था कि यह विचार उन के मन में कैसे हुआ। एक तो भुतपूर्व गृह-कार्य मंत्री के लिखित आदेशों के कारण और दूसरे जब हाल ही में उन्होंने कार्यवाही करनी चाही तो पंजाब सरकार बीच में आई और उन्होंने कहा कि वह कार्यवाही करेगी और मंत्री जी को उन से सम्बन्धित मामले में कोई अधिकार नहीं था।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): प्रधान मंत्री जी ने जो कहा हैं उससे यह प्रतीत होता हैं कि पंजाब सरकार के आगे केन्द्रीय सरकार झुक गई। अतः केन्द्रीय सरकार अपना कर्तव्य-पालन नहीं कर सकी।

गृह-कार्य मंत्री (श्रीलाल बहादुर शास्त्री) : खेद हैं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर कुछ अस्पष्टता रही हैं। इस मामले में संयुक्त उत्तरदायित्व हैं और हम में से कोई भी उस से बचना नहीं चाहता। जैसे ही वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई थी सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के इंजीनियरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की थी। यथार्थ में वे यह चाहते थे कि स्थिति ठीक हो और शीघ्र कार्यवाही की जाये।

इंजीनियरों ने उन्हें बतलाया कि हानि ऐसी हुई हैं कि उसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता और 'ट्रांसफारमरों' को ठीक करने में कुछ समय लगेगा। इन परिस्थितियों में उन्होंने सोचा कि चूंकि स्थिति खराब थी, लोग कष्ट उठा रहे थे और औद्योगिक उत्पादन को भी हानि हो रही थी, इस मामले की जांच की जाये। उन्होंने जांच के लिए समिति की प्रस्थापना की। इस समय यह कहना कठिन है कि इस बड़ी गल्ती के लिए किसका उत्तरदायित्व है। यह तो टैक्नीकल समिति मालुम करेगी। जब इस गल्ती के लिए उत्तरदायित्व नियत हो जाये तो सम्बन्धित अधिकारी चाहे वह बड़ा हो या छोटा उस के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री यहां नहीं हैं और मैं ने सोचा कि सदन इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही को जाने के लिए उत्सुक होना, अतः मैं ने सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधिकारियों से अभी चर्चा की। सामान्य स्थिति लाने और लोगों को उनको कठिनाई में मदद करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा। हम सभा को सुधारों एवं उठाये गये कदमों की सूचना देते रहेंगे। सदन की बैठक सोमवार को होगी और मुझे यकीन है कि तब एक वक्तव्य दिया जायेगा।

देहली में बिजली संभरण की स्थिति के पुनरीक्षण के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सचिव ८ अगस्त, १९६२ को प्रातः पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के सब स्टेशन को देखने रोहतक रोड गये। उन्होंने देहली में बिजली संभरण स्थिति को सामान्य करने के लिए विभिन्न कदमों की प्रगति को देखा। श्री सचदेव ने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और देहली बिजली संभरण उपक्रम द्वारा आपात-कालीन स्थिति को दूर करने के लिए सब सम्भव कदम उठाने के लिए बल दिया।

इस को पूरा करने के लिए उन्होंने बोर्ड को सब ऐसी प्रविधिक और अन्य सहायता देने के लिए पेशकश की। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के सभापति ने कहा कि १०० एम० वी० ए० ट्रांस-

†मूल अंग्रेजी में

ट्रांसफार्मर लगाने, बिगड़े हुए ३८ एम० वी० ए० ट्रांसफ़ार्मर की मरम्मत करने, नंगल से लाये गये १० एम० वी० ए० ट्रांसफ़ार्मर को लगाने के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध की व्यवस्था करने का काम इंजीनियरों की निगरानी में दिन रात चल रहा है। इस काम की स्थिति इस प्रकार की थी।

दिल्ली को अतिरिक्त संभरण देने के लिए नंगल–दिल्ली 'ट्रांसमिशन लाइन' की वोल्टेज को १३२ के० वी० से २२० के० वी० में बदलना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में १०० एम० वी० ए० के दो ट्रांसफार्मर लगाने का काम जारी था। २६ जुलाई, १९६२ को ३८ एम० वी० ए० ट्रांसफार्मर फेल होने के बाद पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ट्रांसफ़ार्मर लगाने के काम को तेज करने के लिये पूरी कोशिश कर रहा था। बोर्ड को आशा थी कि एक ट्रांसफार्मर ३१ अगस्त, १९६२ तक चालू हो जायेगा। श्री सचदेव के कहने पर बोर्ड के सभापति इस बात से सहमत हो गये कि काम २० तारीख तक समाप्त हो जायेगा परन्तु उन्होंने कहा कि २५ अगस्त अन्तिम तिथि निश्चित की जाये। बोर्ड ३८ एम० वी० ए० ट्रांसफार्मर की मरम्मत का प्रबन्ध कर रहा था। उस के खराब हुए भाग की मरम्मत की जा चुकी थी और उसके हिस्सों को जोड़ दिया था।

१० एम० वी० ए० ट्रांसफ़ार्मर ७ अगस्त की शाम को सबस्टेशन पर पहुंचा। इस द्वारा जोड़ा जा रहा था। इसे लगाने से पहले इस का तेल सुखाना पड़ेगा। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के सभापति ट्रांसफ़ार्मर को १५ तारीख तक चालू करने के लिए पूरी कोशिश करने के लिए सहमत हो गये।

फिर श्री सचदेव ने संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए देहली बिजली संभरण उपक्रम द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में चर्चा की। निगम अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ३,००० किलोवाट जनरेटर को, जो मरम्मत करने के लिए निकाला गया था ३ अगस्त को मरम्मत के बाद पुनः चालू कर दिया गया था। चन्द्रावल स्टेशन पर १५०० किलोवाट के पुराने संयंत्र की मरम्मत की गई थी और २ तारीख को चालू कर दिया गया था, परन्तु वह संतोषजनक काम नहीं कर रहा था। एक १,००० किलोवाट का डीज़ल प्लांट जो मरम्मत के लिए गया था चालू कर दिया गया। एक ५,००० किलोवाट संयंत्र की मरम्मत करके ९ अगस्त तक चालू करने की आशा थी।

९ अगस्त मध्याह्न को सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के सचिव को देहली बिजली संभरण उपक्रम के जनरल मैनेजर ने बताया कि यमुना नदी के जल का स्तर अचानक गिर गया था जिससे कि ११,००० किलोवाट बिजली के संभरण में कमी हो गई। श्री सचदेव ने शीघ्र ही उत्तर प्रदेश सरकार को ओखला पर पानी का स्तर ६५९.५ तक ऊंचा करने के लिए कहा। उनके कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्तर बढ़ा कर ६५९.७ कर दिया और तब से वही स्तर कायम है।

श्री सचदेव ने आज प्रातः 'पावर हाउस' पर उन कदमों के सम्बन्ध में चर्चा की जो सामान्य परिस्थितियां लाने के लिए उठाये जा रहे थे। उनकी अनुमति से निम्नलिखित कार्यवाही की गई।

तापीय विद्युत् केन्द्र में जल संभरण सम्बन्धी स्थिति के सुधार के लिए ताजेवाला से २०,०० ० क्यूजेक पानी छोड़ा गया है। १५० क्यूजेक पानी मवाना पर मुनक रास्ते द्वारा छोड़ा गया था । बिजली घर को मुख्य नदी से और पानी व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही करने के लि ए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के सदस्य औ र म्युनिसिपल इंजीनियर को एक समिति बनाई गई थी। उन्हें यह बताया गया कि वे सब आवश्य क व्यय कर सकते थे जिसकी मंजूरी बाद में मिल जायेगी।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

एक ५,००० किलोवाट का 'यूनिट' के एक घण्टे में चलने की आशा थी। यह चालू हो गया है। ५,००० किलोवाट संयंत्र भी चालू कर दिया है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रविधिक विशेषज्ञों की एक समिति दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम की उनके डीजल युनिटों की उनसे संभरण बढ़ाने की दृष्टि से, बिजली पैदा करने की क्षमता की जाँच करने में सहायता करेगी। सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने डीजल सेटों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक पुर्जों के आयात के मामले में समस्त सहायता देने का वचन दिया है।

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : गृह-कार्य मंत्रालय या मंत्री ने किस समय पंजाब सरकार या दिल्ली बिजली संभरण निगम से सम्पर्क स्थापित किया और क्या ट्रांसफार्मर लेने के लिये कोई चेष्टा की गई थी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : कई स्थानों से इसे प्राप्त करने की चेष्टा की गई थी। मुझे जब पता चला कि एक दो ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है मैं ने पंजाब के मूख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। फिर मैं ने राज्यपाल से बात की और उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया कि ट्रांसफार्मर कल दे दिया जायगा, परन्तु देहली पहुंचने में दो तीन दिन लग जायेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह अपने स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिये सभा की अनुमति लेने का प्रस्ताव रखें।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मेरी अर्ज़ यह है कि कल जो दूसरा जैनरेटर फेल हुआ है. . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो एडजर्नमैंट मोशन दिया है, उस के लिये आप लीव आफ दी हाउस माँग सकते हैं। दूसरा जैनरेटर जो फेल हुआ है, उस की निसबत।

श्री यशपाल सिंह : कल जो दूसरा जैनरेटर फेल हुआ है, उसके मूताल्लिक मैं ने इजाज़त चाही . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस से कहें कि आप को इजाज़त दी जाय।

श्री यशपाल सिंह : कल सवेरे छः बजे यमुना का पानी कम होना शुरू हो . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप तशरीफ रखिये। आपका मतलब मैं समझ गया हूं। आप हाउस की लीव अपनी मोशन को मुव करने के लिये चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी माननीय सदस्य को इस पर आब्जेक्शन है ?

एक माननीय सदस्य : जी हाँ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** : प्रस्ताव क्या है ?

†**श्री नाथ पाई** : इसे पढ़ दिया जाय।

"Another plant of Delhi power goes out of order and negligence of the Government to check the same"

†**अध्यक्ष महोदय** : "दिल्ली में एक और संयंत्र बिगड़ गया है और उसे रोकने के लिये सरकार की असावधानी" तीन और वैसे ही प्रस्ताव हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : आगे भी जो कुछ इस के नीचे लिखा है, उस को पढ़ दीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** "दिल्ली में पानी और बिजली की तथाकथित संकटकालीन अवस्था का और खराब हो जाना और केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्तव्य की अवहेलना"

"दिल्ली में एक और बिजली संयंत्र बिगड़ने से बिजली और जल संभरण पर प्रभाव के बारे में अचानक समाचार पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता ।"

जो मेम्बर साहिबान लीव दिये जाने के हक में हैं, वे अपनी सीटों में खड़े हो जायें ।

(४९ माननीय सदस्य खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि रिक्विजिट नम्बर आफ मेम्बर्ज़ खड़े नहीं हुए हैं, इसलिये इजाज़त नहीं दी जाती है ।

†**श्री स मो० बनर्जी :** हम ५० सदस्यों से अधिक थे जोकि इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, परन्तु माननीय सदस्यों को पता नहीं था कि इस समय मतदान होगा । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि घंटी बजाई जाय ताकि माननीय सदस्यों को पता चल जाय कि मतदान लिया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस आधार पर इस का स्थगन किया जाना चाहिये ? वे इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये बल डाल रहे थे । अब वे कहते हैं कि वे माननीय सदस्यों को इकट्ठा नहीं कर सके ।

†**श्री नाथ पाई :** कुछ सदस्य आप का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके क्योंकि वे इतने लम्बे नहीं थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने ठीक गिनती की है । इस पर विश्वास रखना चाहिये ।

अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय :** सदन अब अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प पर आगे चर्चा आरंभ करेगा । श्री ब० कु० दास अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री ब० कु० दास :** जीवन बीमा हमारे देश में अधिक लोकप्रिय नहीं है । जीवन बीमा निगम के क्षेत्र कार्यकर्ता या अभिकर्ता बड़ी बड़ी पालिसी लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस से उन्हें लाभ होता है । छोटी-छोटी पालिसियाँ लेने की कोशिश के लिये थोड़ी आय वाले लोगों के पास नहीं जाते हैं क्योंकि परिवहन में काफी व्यय होता है, उतना लाभ नहीं होता । जब तक बीमा को अनिवार्य नहीं कर दिया जाता तब तक सब लोगों को लाभ नहीं होगा ।

जब कोई कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है तो उस के परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है अतः बीमे को अनिवार्य बनाना चाहिये ।

यह सब कमाने वाले व्यक्तियों पर अनिवार्य रूपसे नहीं लागू की जा सकती । कुछ वर्गों पर अनिवार्य रूप में लागू की जा सकती है । अतः मैं ने यह संशोधन दिया है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ अनिवार्य योजनाएं आरंभ की जायें और उन पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : अनिवार्य जीवन बीमा की योजना लागु करना बहुत कठिन है क्योंकि कई लोगों की आय २० या ३० या ४० रुपये प्रति मास है। उस से उसे अपने परिवार का निर्वाह करना कठिन है तो उसे बीमा करवाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हम अनिवार्य जीवन बीमा की बात कैसे सोच सकते हैं। ऐसे लोगों के सामर्थ्य से बाहर है। अतःयह संकल्प व्यावहारिक मालुम नहीं होता।

यदि कमाने वाले नागरिकों का बीमा कर भी दिया गया तो ९० प्रतिशत मामलोंमें "पालिसी" या तो व्यपगत हो जायगी या उन को बहुत अधिक ब्याज की दर पर ऋण लेने को मजबुर होना पड़ेगा और उन की कोई बचत नहीं रहेगी।

यह क्रियात्मक प्रस्तावना नहीं है। अतः इस पर आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अगले सप्ताह की घोषणा करने के बाद कुछ माननीय सदस्यों ने मेरे से कहा कि, सरकारी उपक्रमों के बारे में समिति बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर विचार २४ अगस्त के बाद तक स्थगित कर दिया जाय और इस के स्थान पर रेलवे दुर्घटनाओं पर चर्चा रख दी जाय। मैं ने इसे स्वीकार कर लिया है। अतः मैं सूचना देता हूं कि १६ अगस्त, १९६२ को रेलवे मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सदन रेलवे दुर्घटनाओं पर चर्चा करेगा। सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में समिति के बनाने के प्रस्ताव पर २७ अगस्त, १९६२ पर चर्चा होगी। नया क्रम इस प्रकार होगा—

(१) प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्ताव पर भारत-चीन सीमा विशेष कर लद्दाख क्षेत्र में, परिस्थिति पर चर्चा।

(२) संघ लोक सेवा आयोग की पहली अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक की अवधि के ११वें प्रतिवेदन पर चर्चा।

(३) रेलवे दुर्घटनाओं पर चर्चा।

(४) १९६२-६३ के लिये अनुदानों की अनुपूरक माँगों (रेलवे) १९६२-६३ के लिये अनुदानों की अनुपूरक माँगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(५) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर चर्चा और पारित किया जाना।

(६) पहली अगस्त, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५९ तक की अवधि के लिये भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा।

(७) ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिवेदन पर चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प—जारी

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इस संकल्प के प्रस्तावक, श्री दी० चं० शर्मा, की भावनाओं का सम्मान करता हूं। उन का ख्याल है कि देश की गरीबी और जनता की बचत करने की असमर्थता की ओर इस से ध्यान आकर्षित किया जा सकेगा। लेकिन इसे अनिवार्य बनाना शायद जनता पसंद नहीं करेगी। साथ ही, यह व्यावहारिक भी नहीं होगा।

हमने माँग की थी कि औद्योगिक नगरों में मजदूरों को अपनी भविष्य निधि में से बीमे की किस्तें अदा करने की अनुमति दी जाये। पर इसकी अनुमति नहीं दी गई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस पर फिर से विचार करें। उससे कई लोगों को बीमा कराने की सुविधा हो जायेगी।

†**वित्त मंत्रालय** में **उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि डाक जीवन बीमा निगम चालु की जाये ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हाँ, यदि लोगों को भविष्य निधि में से बीमे की किस्तें अदा करने दी जायें।

नहीं तो होता यह है कि भविष्य निधि अंशदान करने के बाद बीमे की किस्त के लिये गुंजाइश नहीं रहती।

†**श्री ब० रा० भगत** : अनिवार्य बीमे की इस योजना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो नयी योजना है।

†**श्री स०मो० बनर्जी** : कोई सम्बन्ध तो नहीं है। मैं वास्तव में संकल्प की भावना के बारे में कह रहा हूं। बीमा योजना को तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि यह निःशुल्क नहीं बनाई जाती, अर्थात् इसके लिये किस्तें अदा करने की शर्त नहीं हटाई जाती। बिना उस के यह व्यावहारिक नहीं है।

†**श्री ब० रा० भगत** : सबसे बाद में बोलने वाले वक्ता ने भविष्य निधि में से बीमे की किस्त अदा करने की अनुमति चाही है। लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि कर्मचारी बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि श्रम मंत्रालय के अधीन है। इसलिये यह प्रश्न श्रम मंत्री के सामने किसी दूसरे अवसर पर उठाया जाना चाहिये। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि माननीय सदस्य का सुझाव मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योंकि सिद्धान्ततः दोनों समान हैं। पर, इसके मामले में श्रम मंत्री ही निर्णय कर सकते हैं।

व्यक्तिगत रूप से मुझे इस सुझाव से सहानुभूति है। माननीय प्रस्तावक की भावनायें बड़ी उच्च हैं, सभा को उनसे पूर्ण सहानुभूति है, पर देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम इस योजना को अभी स्वीकार नहीं कर सकते।

मैं पहले तो इस योजना की वाँछनीयता और प्राथमिकता का प्रश्न लेता हूं। इस अनिवार्य बीमा योजना के संकल्प में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्रश्न उठाये गये हैं कि इसे जीविका कमाने वाले सभी नागरिकों पर लागू किया जाये, या केवल उन नागरिकों पर जिन की आय ५०० रुपये से कम बैठती है। जो भी हो, नतीजा तो यही होगा कि एक बड़े पैमाने पर अनिवार्य बीमा योजना लागू करनी पड़ेगी, जबकि आम जनता की आय बहुत ही कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

यह नयी योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना की तरह है। विचारधारा सम्बन्धी नारों को छोड़ दीजिये। उनके अतिरिक्त भी इस आधुनिक संसार में हमें जीवन की बुनियादी सुरक्षा, बेरोजगारी बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटनाओं इत्यादि से सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। संयुक्त परिवार अब टूटता जा रहा है इसलिये वृद्धावस्था में सुरक्षा की व्यवस्था करना भी नितान्त आवश्यक है। अनिवार्य बीमा की अपेक्षा, इन बुनियादी सुरक्षाओं की व्यवस्था करना कहीं अधिक आवश्यक है। समाज की आर्थिक व्यवस्था जो भी हो, जनता इन चीजों की सुरक्षा चाहती है। यूरोप के समाजवादी देशों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। बेरोजगारी और बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करना कहीं अधिक उपयोगी है।

एक माननीय सदस्य, श्री चक्रवर्ती ने जनता की मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं का उल्लेख किया था। उन का कथन है कि मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं का क्षितिज और व्यापक होना चाहिये।

लेकिन अनिवार्य बीमा योजना तो उसे प्राप्त करने का मार्ग नहीं है। उससे जनता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। इसलिये सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में इसे सबसे बाद में लिया जाना चाहिये। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बेरोजगारी और बीमारी पहले आती है।

यदि बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था के लिये व्यवस्था कर दी जाये, तो अनिवार्य जीवन बीमा की जरूरत ही नहीं रह जायगी। स्वीडन जैसे उन्नत देशोंमें यही होता है। वहां सरकार बच्चे के पैदा होने से वृद्धावस्था में उस की मृत्यु तक उस की परवाह करती है। फिर कोई चिन्ता नहीं रह जाती। इसलिये अनिवार्य बीमा की योजना को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।

यह योजना इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक को कमाऊ होना चाहिये। लेकिन हमारे यहां गांवों में अनेकानेक लोगों को पूरे समय का काम भी नहीं मिल पाता। परिवार में कमाऊ और गैर-कमाऊ के भेद करना मुश्किल हो जाता है। वे किस्तें कैसे अदा करेंगे। अनिवार्य योजना लागू करने पर उन को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। उसकी लागत का भार सरकार नहीं उठा सकेगी। क्या ऐसी हालत में भी उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

परिभाषाओं के बारे में भी कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं। 'कमाने वाले व्यक्ति' की परिभाषा क्या रखी जाये? यदि ५,००० रुपये से कम वाले व्यक्तियों को ही उस में लिया जाये तो, कई व्यावहारिक कठिनाइयां आयेंगी। इस संबंध में कोई एक निश्चित नीति बनाना मुश्किल हो जायेगा। फिर बेरोजगार और अंशकालिक काम करने वालों का क्या होगा? वे तो किस्तें अदा नहीं कर पायेंगे?

यदि प्रत्येक नागरिक का बीमा करना हो, तो फिर उन लोगों का भी बीमा करना पड़ेगा जो सामान्य स्तर से निचले आर्थिक-स्तर पर हैं। उस से आर्थिक भार बहुत बढ़ जायेगा।

बीमे की जो एक जनता योजना है, उस में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। इसलिये उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पायी है। हम उसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

मान लीजिये कि कोई व्यक्ति बीमे की किस्तें अदा नहीं करता। उस के लिये कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। तब उस की वसूली में कोई व्यावहारिक कठिनाइयां पड़ेंगी। इसलिये इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

तृतीय योजना आरम्भ करते समय, बचत, बीमा, इत्यादि के प्रश्नों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विचार किया था। एक समिति भी नियुक्त की गई थी और उसने सिफारिश की थी कि बीमा के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत किया जाये। जीवन बीमा निगम इस के लिये प्रयत्नशील है।

मैं आप के सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। उदाहरण के लिये जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करने के बाद से अब तक की प्रगति देखिये। जीवन बीमा ने १९५७ में २८३ करोड़ रुपये का काम किया था, और १९६१ में उसने ६०८ करोड़ रुपये का काम कर दिखाया है। तृतीय योजना काल की समाप्ति तक यह संख्या एक हजार करोड़ तक पहुंच जायेगी। लगभग ५० लाख व्यक्ति जीवन बीमा करा चुके हैं। पाकिस्तान में तो जीवन बीमा कराने वालों की संख्या डेढ़ लाख से ऊपर नहीं है। इसलिये हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिये। जीवन बीमा निगम अब ऐसे क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रहा है, जहां लोग बीमा कराने के अभ्यस्त नहीं हैं। गांव-पंचायतों के सहयोग से हम अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं अपना अनुभव सभा को बताता हूं। अल्प बचत के क्षेत्र में हम अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। यदि हम उसे अनिवार्य बनायेंगे तो आसाम की भांति यहां भी परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। मद्रास में भी हमने इसकी कोशिश की थी, और उस का भी परिणाम अच्छा नहीं निकला। परिणाम उल्टा ही निकलता है।

इसलिये इस संकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय उपमंत्री ने जितनी भी आपत्तियां बतलाई हैं, उनमें कोई सार नहीं है। चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था तो रहनी ही चाहिये। उन्होंने जितनी भी बाधायें गिनाई हैं, वे बाधायें नहीं हैं। यदि सरकार दृढ़ संकल्प करले।

वह पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किस्त अदा नहीं करेगा, तो क्या होगा? वही जो कर्ज अदा अदा न करने पर होता है।

†**श्री ब० रा० भगत** : लेकिन उसमें अदायगी की सामर्थ्य ही नहीं है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह कोई बाधा नहीं है। असल बात यह है कि उनको भय है और भय का मेरे पास कोई इलाज नहीं।

अन्य देशों में बेरोजगारी और बीमारी के लिये सुरक्षा की व्यवस्था है।

†**श्री ब० रा० भगत** : लेकिन अनिवार्य बीमा की नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हमारा राज्य तो कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जीवन बीमा निगम इस योजना को हाथ में क्यों नहीं ले सकता? हमारे देश में ४३ करोड़ लोग बसते हैं, जिनमें से केवल ५० लाख ने बीमा कराया है। फिर इतनी बड़ाई की क्या बात हुई?

४३ करोड़ में से कम से कम १० करोड़ तो पंजीयित होने चाहियें थे।

फिर भी, मैं जानता हूं कि मुझे यह संकल्प वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ५, १० या १५ वर्ष बाद लोग यही कहेंगे कि मेरी बात ठीक थी। इतिहास मुझे सही ठहरायगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री प्र० रं० चक्रवर्ती का संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० कु० दास :** मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या २ सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या सभा श्री दी० चं० शर्मा को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

शहरों तथा गावों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि शहरी और ग्रामीण आवास और गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं की प्रगति की जांच करने और उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने के उपाय सुझाने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष मयोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे भोपाल के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट से दिनांक ९ अगस्त, १९६२ का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि लोक सभा के सदस्य श्री हरि विष्णु कामत को भोपाल में मध्य प्रदेश विधान सभा के विनियमित क्षेत्र के अन्दर प्रतिबन्ध को तोड़ने के लिये ९ अगस्त, १९६२ को भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** एक औचित्य प्रश्न है । मुकदमा चले बिना एक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट यह कैसे कह सकता है कि अमुक सदस्य ने प्रतिबन्ध तोड़ा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसके लिये कानूनी व्यवस्था है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२

---

१९ श्रावण, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५२३—४५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१७२	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम . . .	५२३–२४
१७४	कर्णफुली बांध	५२४—२७
१७५	दिल्ली में बिजली गुल होना . .	५२७
२१०	दिल्ली में बिजली का संकट . .	५२८—३१
१७६	किसानों को प्रोत्साहन .	५३१—३३
१७७	रेंड परियोजना	५३४
२०६	दामोदर घाटी निगम के लिए रेंड की बिजली . .	५३४—३६
१७८	रेलवे संगठन में डिवीजन . .	५३६—३८
१७९	हुगली के पाइलट	५३८—४०
१८०	विमान दुर्घटनायें	५४०–४१
१८१	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए फ्रांस के "कैरावेल" विमान	५४२—४४
१८२	सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी राष्ट्रीय अध्ययन और अनुसन्धान परिषद् .	५४४–४५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५४५—६१०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१७३	नर्मदा घाटी प्राधिकार . .	५४५
१८३	गाड़ियों का देर से चलना . .	५४५–४६

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८४	मलाया को चीनी का निर्यात	५४६
१८५	इडुकी जल-विद्युत् परियोजना	५४७
१८६	पाकिस्तान को गेहूं का संभरण	५४७
१८७	राजस्थान नहर	५४८
१८८	भारत का नौवहन निगम	५४८
१८९	बी० सी०—१० हवाई जहाज	५४८—४९
१९०	तटीय पोतों का अर्जन और कोयला की ढुलाई	५४९
१९१	गहरे पानी में उगाया जाने वाला धान	५४९—५०
१९२	औद्योगिक विवाद अधिनियम का रेलवे पर लागू होना	५५०
१९३	हीराकुद बांध के दोष	५५०
१९४	कृषि आयोग	५५०—५१
१९५	कलकत्ता में हैज़ा	५५१
१९६	कोयले का धीमी गति से वैगनों से उतारा जाना	५५१—५२
१९७	राजस्थान के मार्ग से विमान सेवा के लिए राज सहायता	५५२
१९८	देश में ऐक्स-रे फिल्मों की कमी	५५२
१९९	स्थायी सिन्धु आयोग	५५३
२००	भूख निरोध सप्ताह	५५३
३०१	कृष्णा गोदावरी आयोग की रिपोर्ट	५५४
२०२	नदी बोर्ड	५५४—५५
२०३	कोयला उद्योग के लिये बिजली की आवश्यकता	५५५
२०४	इटली की विमान कम्पनी के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	५५५—५६
२०५	प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	५५६—५७
२०७	मेटल कार्ड रेलवे पास	५५७
२०८	दामोदर घाटी निगम के द्वारा बिजली की सप्लाई	५५७—५८
२०९	कटक में इंजन की भट्टी में कूद कर आत्म हत्या	५५८
२११	माल का सड़क द्वारा ढोया जाना	५५८
२१२	दूसरा टेलीफोन कारखाना	५५९
२१३	गंडक परियोजना	५५९
२१४	बाग नदी परियोजना	५५९—६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४२३	प्रादेशिक फल और सब्जी गवेषणा केन्द्र . .	५६०
४२४	पंजाब में बागबानी का विकास .	५६०
४२५	गाजियाबाद के निकट हवाई अड्डा .	५६१
४२६	पंजाब में परिवार नियोजन केन्द्र . .	५६१
४२७	विलिंगडन और सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली .	५६१–६२
४२८	अगरतला में मोटर मरम्मत प्रशिक्षण केन्द्र .	५६२
४२९	अनन्नास की खपत	५६२
४३०	त्रिपुरा में कुष्ठ रोगी . .	५६२–६३
४३१	वी० एम० हास्पिटल अगरतल्ला, त्रिपुरा . .	५६३
४३२	रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल .	५६३–६४
४३३	मंगलौर-हसन रेलवे लाइन .	५६४
४३४	कृत्रिम अंग केन्द्र . . .	५६४
४३५	त्रिपुरा को चावल की सप्लाई . .	५६५
४३६	परादीप पत्तन	५६५
४३७	कालीकट में रेलवे स्टेशन . .	५६६
४३८	त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ को ऋण . .	५६६
४३९	कृषि ऋण . . .	५६७
४४०	खेती के औजार	५६७
४४१	लाहौल जिले में सड़क	५६७–६८
४४२	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए प्रतिकर भता .	५६८
४४३	दिल्ली-चंडीगढ़ टेलीफोन लाइन .	५६८–६९
४४४	देश में खार वाली भूमि का रकबा	५६९
४४५	मध्य रेलवे पर दमोह रेलवे स्टेशन पर टिकटों का गुम हो जाना .	५६९–७०
४४६	मुस्करा में तार सुविधायें	५७०
४४७	वन सम्बन्धी नीति	५७०–७१
४४८	इतवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में कोयले का आवागमन . .	५७१–७२
४४९	रेलवे कर्मचारियों को प्रेरणा .	५७२
४५०	उर्वरकों का संभरण .	५७२–७३
४५१	राज्यों में बिजली की कटौती	५७३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४५२	सहायक सर्जन	५७४
४५३	रेलवे कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये प्राथमिक चिकित्सा परीक्षा	५७४
४५४	दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुओं की मृत्यु .	५७४—७५
४५५	भारतीय घोड़ों का अभिजनन .	५७५—७६
४५६	वाराणसी और गोरखपुर के बीच अधिक रेलगाड़ियां चलाना	५७६
४५७	केरल सिंचाई परियोजनाएं	५७६—७७
४५८	काजू की खेती . .	५७७—७८
४५९	बिल्लीमोरा स्टेशन पर रेल का ऊपरी पुल	५७८
४६०	मलेरिया उन्मूलन परामर्शदात्री समिति	५७८—७९
४६१	गन्ने की पिराई .	५७९
४६२	कोसी परियोजना . .	५७९—८०
४६३	कृत्रिम तरीके से सुखाने वाली मशीनें .	५८०
४६४	डाक टिकटों में हिन्दी का प्रयोग .	५८०—८१
४६५	भूमि संरक्षण . .	५८१
४६६	नर्सों की कमी .	५८१
४६७	सोन नदी का पुल . . .	५८२
४६८	छोटी सिंचाई परियोजनायें .	५८
४६९	चावल का उत्पादन .	५८२—८
४७०	केन्द्रीय खोपड़ा समिति . . .	५८
४७१	पी० एल० ४८० समझौते का पुनरीक्षण .	५८३—८
४७२	निवेली लिग्नाइट से आंध्र प्रदेश को विद्युत् . .	५८४
४७३	कटवा में विद्युत् परियोजना . . .	५८
४७४	राजस्थान में भाखड़ा से बिजली . .	५८४—८
४७५	रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण . . .	५८
४७६	इंजन डिब्बों और माल डिब्बों का निर्यात . .	५८५—८६
४७७	रेलवे 'दुर्घटना जांच' समिति . .	५८६
४७८	फतहपुर-चुरू रेलवे लाइन पर रेलवे का किराया .	५८७
४७९	त्रिपुरा में भूमि संरक्षण	५८७
४८०	शाहदरा के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . .	५८७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर—(क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
४८१ टिड्डी दल द्वारा रेलगाड़ी का रोका जाना	५८७—८८
४८२ जहाज निर्माण का लक्ष्य	५८८
४८३ ग्राम पंचायत के लिये डाक मुख्यालय	५८८
४८४ राष्ट्रीय राजपथ ४७ पर पुल	५८९
४८५ मछली उद्योग	५८९
४८६ पंजाब, दिल्ली और उतर प्रदेश के लिये विद्युत् शक्ति का संयुक्त संग्रह	५९०
४८७ मुरादाबाद डिवीजन में पुल का गिरना	५९०
४८८ औषधीय पौधे	५९०
४८९ गोविन्द सागर बांध पर गहरे पानी में मछली पकड़ना	५९१
४९० सुकिन्डा खानों और पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन	५९१
४९१ नीलगिरि रोड स्टेशन	५९१
४९२ हीराकुड बांध परियोजना	५९१—९२
४९३ बहरापन	५९२
४९४ मनीपुर में ग्रामों में बिजली लगाना	५९२
४९५ इम्पहाल जल संभरण योजना	५९३
४९६ गुन्टूर जिले में फलों को जल्दी उठाने का प्रबन्ध	५९३
४९७ देश में बिजली	५९३—९४
४९९ क्षुधा से मुक्ति	५९४
५०० लेह में कृषि अनुसंधान फार्म	५९५
५०१ चीनी तकनीक विशेषज्ञों का सम्मेलन	५९५
५०२ दिल्ली-लन्दन बस सेवा	५९५—९६
५०३ एयर इण्डिया द्वारा विदेशी मुद्रा का उपार्जन	५९६—९७
५०४ छोटी सिंचाई	५९७—९८
५०५ नई दिल्ली में नजफगढ़ नाला	५९८
५०६ कांक्रीट के स्लीपर	५९८
५०७ पंजाब के गांवों में बिजली लगाना	५९८—९९
५०८ होशियारपुर में परिवार नियोजन केन्द्र	५९९
५०९ एलोपथी और देशी चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर	५९९
५१० अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक	५९९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
५११	दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	६००
५१२	मद्रास में टेलीफोन बोर्ड	६००
५१३	उत्तर रेलवे के दावा कार्यालय	६००–०१
५१४	मैसूर में मध्यम सिंचाई परियोजनायें	६०१
५१५	लोकोशेड को नीमच से चित्तौड़ को ले जाना	६०१
५१६	टेलीफोन कनेक्शन	६०२
५१७	डाक तथा तार विभाग को देय राशि	६०२
५१८	सूखे से प्रभावित फसल	६०२–०३
५१९	डी० टी० यू	६०३
५२०	पठानकोट में वैगनों का अभाव	६०३
५२१	पूना-बंगलौर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की जांच	६०३–०४
५२३	६०,००० रुपये में खरीदा गया गधा	६०४–०५
५२४	चीनी प्रौद्योगविज्ञों का सम्मेलन	६०५
५२५	कोसी तट बन्ध	६०५–०६
५२६	कुष्ठ रोग का उपचार	६०६
५२७	डाकघरों में अतिरिक्त समय के भत्ते का भुगतान	६०६
५२८	मध्य प्रदेश में नगरीय जल संभरण और जल निस्सारण	६०६
५२९	उत्तर रेलवे पर रेलवे दुर्घटना	६०६–०७
५३०	श्वेत कुष्ठ के लिये दवाई	६०७
५३२	तार प्रोत्साह-धन परियोजना	६०७
५३३	बम्बई-सिडनी जेट सेवा	६०७–०८
५३४	भारतीय विमान नियमों में संशोधन	६०८
५३५	राजस्थान नहर	६०८
५३६	फेफड़ों का कैंसर	६०८–०९
५३७	पौदा संरक्षण निदेशालय	६०९
५३८	राष्ट्रीय राजपथ	६१०—१४
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१४—१७
	श्री मनीराम बागड़ी ने रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में पीने के पानी की अत्यधिक कमी की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया।	

विषय पृष्ठ

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६१७-१८

(१) भारतीय तार अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १४ जुलाई १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९४४ में प्रकाशित भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(२) विभिन्न अधिवेशनों में, जो कि प्रत्येक के सामने बताये गये हैं मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ — प्रथम सत्र, १९६२ (तीसरी लोक सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या २ — सोलहवां सत्र १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ४ — पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(३) दिल्ली दूकान और प्रतिष्ठान अधिनियम १९५४ की धारा ७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १४ सितम्बर, १९६१ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० २०(९)/६२ लेब (२) की एक प्रति, जिसमें दिल्ली दूकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

(४) हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयो (१९६०—६२) के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

सदस्यों को सजा ६१८

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें भोपाल जिला जेल के सुपरिन्टेंडेंट से दिनांक ७ अगस्त, १९६२ का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि ६ अगस्त, १९६२ को लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री हुकम चन्द कछवाय, रामचन्द्र विट्ठल बड़े और होमी एफ० दाजी को भोपाल के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता का धारा १८८ के अधीन सात दिन की सादी कैद की सजा दिये जाने पर जेल में दाखिल किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . ६१८—२०

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने पश्चिम बंगाल के राज्य में कोयला खनन के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच हुए करार के बारे में एक वक्तव्य दिया और उस करार की एक प्रति भी सभा पटल पर रखी ।

विषय	पृष्ठ
समितियों के लिये निर्वाचन	६२०–२१
(२) स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) ने प्रस्ताव किया कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के सदस्य के रुप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
(२) श्री दासप्पा ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में काम करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
सहकारिता प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव	६२१—३५
श्री दी० चं० शर्मा ने सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवदन के बारे में प्रस्ताव पर जो कि १९ अप्रैल, १९६१ का सभा पटल पर रखा गया था प्रस्ताव प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी प्रतिवेदन–स्वीकृत	
चौथा प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत .	६३५—३९
श्री स० मो० बनर्जी द्वारा १५ जून, १९६२ को प्रस्तुत मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । श्री स० मो० बनर्जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।	
गैर सरकारी सदस्य का संकल्प वापस लिया गया .	६३९—४२
श्री दी० चं० शर्मा ने अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । उन्होंने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । सर्वश्री प्र० रं० चक्रवर्ती और ब० कु दास द्वारा दो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे । दोनों संशोधन क्रमशः अस्वीकृत हुए और वापस ले लिये गये । संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।	
स्थगन प्रस्ताव	६४२—५४
(१) अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने की कथित असफलता के बारे में, जो सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा ९–८–६२ को दिये गये वक्तव्य से पता चलता है, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्व श्री सूचना फ्रेंक एन्थनी, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, आनन्द नम्बियार और डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी ।	

स्थगन प्रस्ताव--(जारी) विषय

(२) अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में एक और विद्युत संयंत्र के बिगड़ जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री यशपाल सिंह ने दी थी, पेश करने की अनुमति दे दी ।

इसके बाद श्री यशपाल सिंह ने प्रस्ताव को पेश करने के लिय सभा की अनुमति मांगी और आपत्ति किये जाने पर अध्यक्ष महोदय ने उन सदस्यों से अपने-अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहा को अनुमति देने के पक्ष में थे । क्योंकि पचास से कम सदस्य खड़े हुए इसलिये अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सदस्य को सभा की अनुमति नहीं मिली है ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . . ६५४

श्री नम्बियार ने शहरी और ग्रामीण आवास अ कृगन्दी बस्तियों को हटाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सदस्य की गिरफ्तारी ६५४

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें भोपाल के पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट से दिनांक ९ अगस्त, १९६२ का एक तार प्राप्त हुआ है । जिसमें यह बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य श्री हरि विष्णु कामत को भोपाल में मध्य प्रदेश विधान सभा के विनियमित क्षेत्र के अन्दर प्रतिबन्ध को तोड़ना के लिये ९ अगस्त, १९६२ को भारतीच दण्ड संहिता की धारा १८८ के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया ।

सोमवार १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यवलि

भारत चीन सीमान्त स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GIPND—LS III—1520(Ai) LSD—13-12-62—140.